आयकर अपीलीय अधिकरण परिवार के
सदस्यों की साहित्यिक रचनाओं का संग्रह

सृजन

2020

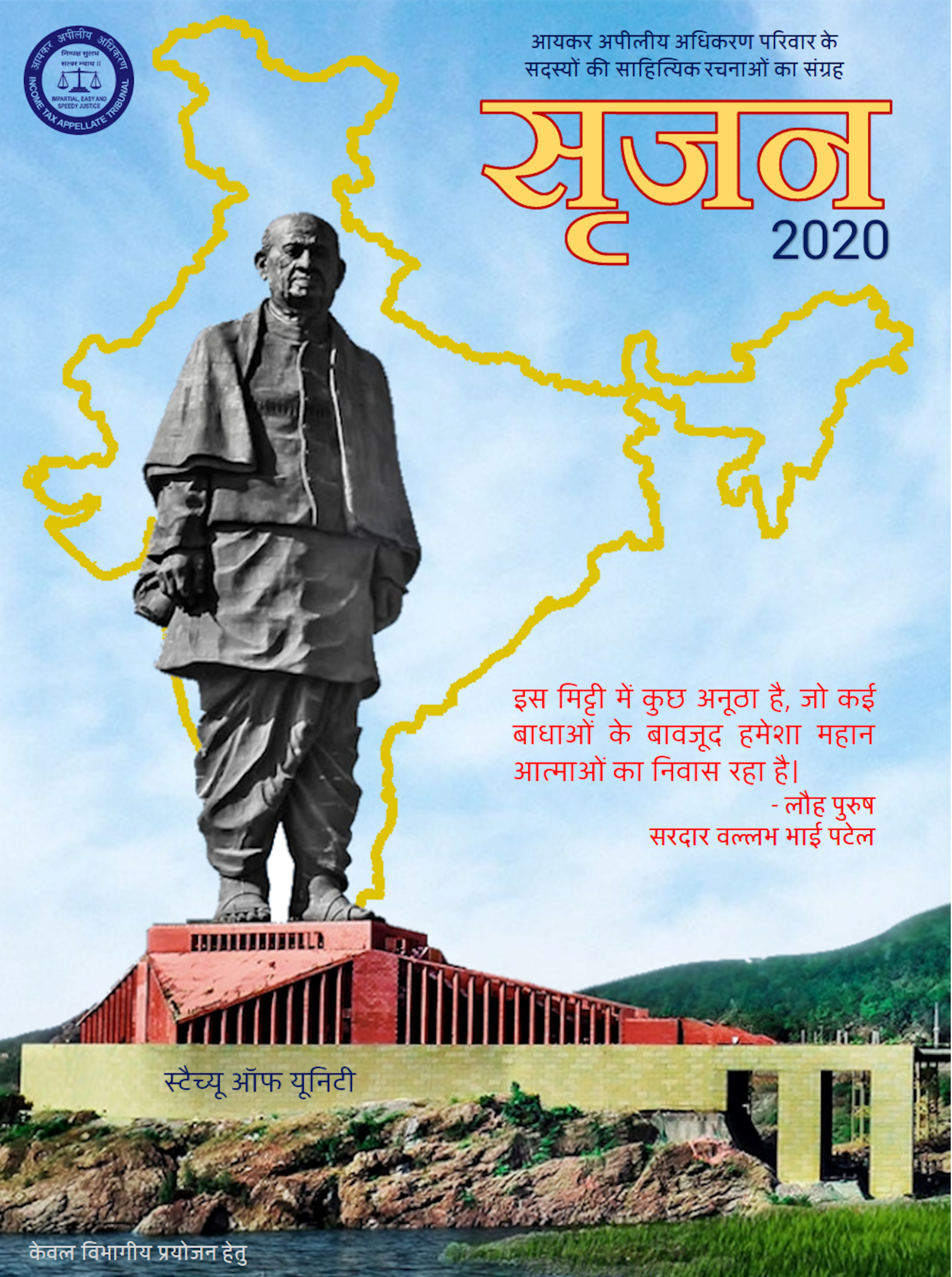

इस मिट्टी में कुछ अनूठा है, जो कई बाधाओं के बावजूद हमेशा महान आत्माओं का निवास रहा है।

- लौह पुरुष
सरदार वल्लभ भाई पटेल

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी

केवल विभागीय प्रयोजन हेतु

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आयकर अपीलीय अधिकरण कटक पीठ के कार्यालय-सह-आवासीय भवन परिसर का दिनांक 11/11/2020 को ऑनलाइन उद्घाटन ।

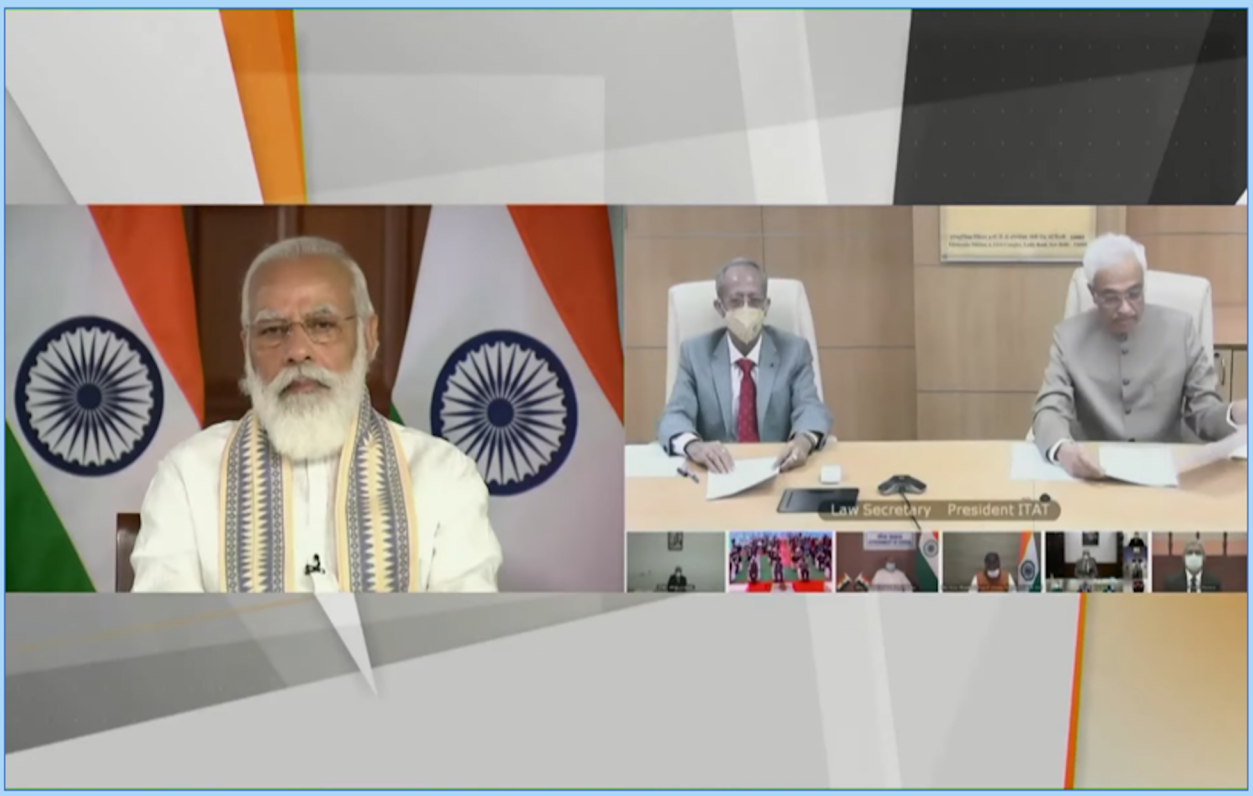

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तथा अन्य गणमान्य अतिथियों का आयकर अपीलीय अधिकरण, कटक पीठ के कार्यालय-सह-आवासीय भवन परिसर के ऑनलाइन उद्घाटन समारोह में स्वागत करते हुए माननीय न्यायमूर्ति श्री पी.पी. भट्ट,अध्यक्ष, आयकर अपीलीय अधिकरण।

मुख्य संरक्षक
न्यायमूर्ति श्री पी.पी. भट्ट
अध्यक्ष
आयकर अपीलीय अधिकरण

संरक्षक
श्री प्रमोद कुमार
उपाध्यक्ष
आयकर अपीलीय अधिकरण

संरक्षक
श्री जी.एस. पन्नु
उपाध्यक्ष
आयकर अपीलीय अधिकरण

मुख्य संपादक
श्री विकास अवस्थी
न्यायिक सदस्य व अध्यक्ष,
राजभाषा कार्यान्वयन समिति
आयकर अपीलीय अधिकरण, मुंबई

संपादक
श्री राजेश्वर प्रसाद
रजिस्ट्रार
आयकर अपीलीय अधिकरण

विवरणिका

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	माननीय अध्यक्ष का पृष्ठ	4
2.	संदेश- श्री आर.एस. स्याल, माननीय उपाध्यक्ष, आयकर अपीलीय अधिकरण, पुणे	6
3.	संदेश- श्री पी.एम. जगताप, माननीय उपाध्यक्ष, आयकर अपीलीय अधिकरण, कोलकाता	7
4.	संदेश- श्री एन.के. सैनी, माननीय उपाध्यक्ष, आयकर अपीलीय अधिकरण, चंडीगढ़	8
5.	संदेश- श्री एन.वी. वासुदेवन, माननीय उपाध्यक्ष, आयकर अपीलीय अधिकरण, बेंगलूरू	9
6.	संदेश- श्री प्रमोद कुमार, माननीय उपाध्यक्ष, आयकर अपीलीय अधिकरण, मुंबई	10
7.	संदेश- श्री ए. डी. जैन, माननीय उपाध्यक्ष, आयकर अपीलीय अधिकरण, लखनऊ	11
8.	संदेश- श्री जी.एस. पन्नु, माननीय उपाध्यक्ष, आयकर अपीलीय अधिकरण, नई दिल्ली	12
9.	संदेश- श्री राजपाल यादव, माननीय उपाध्यक्ष, आयकर अपीलीय अधिकरण, अहमदाबाद	13
10.	संदेश- श्री महावीर सिंह, माननीय उपाध्यक्ष, आयकर अपीलीय अधिकरण, चेन्नै	14
11.	संपादकीय कलम से	15
12.	संदेश- श्री राजेश्वर प्रसाद, आदरणीय रजिस्ट्रार, आयकर अपीलीय अधिकरण	16
13.	सरदार वल्लभ भाई पटेल	18
14.	विश्व महामारी (कोरोना) एवं संघर्षशील मानव-श्री ए.डी. जैन, माननीय उपाध्यक्ष, लखनऊ	19
15.	गुलशन को महकाएं- श्री कुल भारत, माननीय न्यायिक सदस्य, इंदौर	20
16.	प्रेरक प्रसंग- श्री मनीष बोरड़, माननीय लेखा सदस्य, इंदौर	21
17.	कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान न्यायाधिकरण में डिजिटल माध्यम से की गई गतिविधियां- श्री मनोज कुमार अग्रवाल, माननीय लेखा सदस्य, मुंबई	22
18.	महिला सशक्तिकरण- श्री मनोज कश्यप, सहायक रजिस्ट्रार, नई दिल्ली	23
19.	राजभाषा हिंदी की यात्रा-विकास एवं संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी- श्री मनीष भोई, सहायक रजिस्ट्रार, इंदौर	24
20.	लक्ष्य (स्वरचित कविता)- श्री टी.सी.नायर, वरिष्ठ निजी सचिव, अहमदाबाद	29
21.	मालिक और कर्मचारियों के बीच कैसा हो रिश्ता?- श्री अखिलेश कुमार, निजी सचिव, इंदौर	30
22.	अनुशासन - श्री रवि कुमार, निजी सचिव, पुणे-	31
23.	एक प्रेरणादायक सत्य- श्री चेतन आनंद सुमरा, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक, अहमदाबाद	31
24.	हिंदी की खूबियां-श्री चेतन आनंद सुमरा, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक, अहमदाबाद	32
25.	बेड़ियां- श्रीमती आशा पाल, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक, मुबई	32
26.	परस्पर स्नेह और आस्था का पर्व है करवा चौथ- श्रीमती आशा पाल, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक, मुंबई	35
27.	कोविड -19 बनाम लॉकडाउन- श्री शशि कुमार, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक, हैदराबाद	36
28.	मात्रुभाव की जय- श्रीमती गीता विश्वनाथन, कार्यालय अधीक्षक, बेंगलूरू	38
29.	जब तक परेशानी परेशान न करे आप परेशानी को परेशान न करें- श्रीमती गीता विश्वनाथन, कार्यालय अधीक्षक, बेंगलूरू	38

30.	सेवानिवृत्ति क्यों- श्रीमती ज्योति पाटिल, कार्यालय अधीक्षक, मुंबई	39
31.	विभिन्न संस्थाओं के संस्कृत ध्येय वाक्य – श्री राजीव कुमार, कार्यालय अधीक्षक, इलाहाबाद	40
32.	वृक्षारोपण- श्री अशोक सिंह, उच्च श्रेणी लिपिक, जबलपुर	41
33.	पानीवाला- श्री अशोक कुमार, उच्च श्रेणी लिपिक, जबलपुर	42
34.	कविता- श्री धर्मेन्द्रसिंह परमार, अवर श्रेणी लिपिक, अहमदाबाद	43
35.	समर्पण- श्री पंकज वर्गी, अवर श्रेणी लिपिक, अहमदाबाद	43
36.	गर, आज भगत सिंह होते- श्री पंकज वर्गी, अवर श्रेणी लिपिक, अहमदाबाद	44
37.	मां - श्री राम प्रेवश कुमार, अवर श्रेणी लिपिक, जबलपुर	44
38.	कोरोना- श्रीमती मिलन पाटिल, अवर श्रेणी लिपिक, मुंबई	45
39.	बेटियां- श्रीमती मिलन पाटिल, अवर श्रेणी लिपिक, मुंबई	45
40.	कोरोना से बदला जीवन- श्रीमती सोनाली मोरे, अवर श्रेणी लिपिक, मुंबई	45
41.	प्रसन्नता का स्त्रोत- श्री सी.बी. सिंह, अवर श्रेणी लिपिक, लखनऊ	46
42.	बेटी पंखुड़ी कहलाती है- श्री लोकेश प्रकाश चावरे, अवर श्रेणी लिपिक, पुणे	46
43.	अनूदित आदेश- आयकर अपीलीय अधिकरण, हैदराबाद पीठ	47
44.	अनूदित आदेश- आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर पीठ	52
45.	आयकर अपीलीय अधिकरण में जनवरी-दिसंबर, 2019 में हुई नियुक्तियां एवं सेवानिवृत्तियां	55
46.	विभागीय राजभाषा पत्रिका "सृजन" के सितंबर, 2019 संस्करण के विजेताओं की सूची	55

सत्यमेव जयते

न्यायमूर्ति श्री पी.पी. भट्ट
अध्यक्ष
आयकर अपीलीय अधिकरण

अध्यक्ष का पृष्ठ

मेरे प्रिय साथियों,

आयकर अपीलीय अधिकरण की विभागीय राजभाषा पत्रिका "सृजन" के माध्यम से मुझे एक बार फिर आप से संवाद करते हुए हर्ष की अनुभूति हो रही है। मेरा यह संवाद पिछले संवाद का अनुक्रम है। मैंने आपसे अपने पिछले संवाद में आयकर अपीलीय अधिकरण में कर्मचारियों की पदोन्नति एवं नियुक्ति तथा भौतिक संसाधनों के सशक्तिकरण के बारे में चर्चा की थी।

अपनी जटिल कार्य प्रणाली के बावजूद आयकर अपीलीय अधिकरण उत्कृष्ट कार्य कर देश के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। इसमें आयकर अपीलीय अधिकरण के प्रत्येक वर्ग के अधिकारी/कर्मचारी की महत्वपूर्ण भूमिका है जिनके अथक परिश्रम और लगन के फलस्वरूप यह संस्थान निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर है। मेरा भी प्रयास रहा है कि अधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के हित के लिए हमेशा कार्य किया जाए। इसी क्रम में पिछले 01 वर्ष में आयकर अपीलीय अधिकरण में बड़े पैमाने पर पदोन्नति दी गई है। जनवरी 2020 में आयकर अपीलीय अधिकरण के 03 वरिष्ठ सदस्यों को पदोन्नति प्रदान कर उपाध्यक्ष बनाया गया। जनवरी 2020 में ही विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर 05 कार्यालय अधीक्षकों को पदोन्नत कर अधीक्षक बनाया गया, 19 अवर श्रेणी लिपिकों को पदोन्नति देकर उच्च श्रेणी लिपिक बनाया गया, 09 एमटीएस कर्मचारियों को पदोन्नत कर अवर श्रेणी लिपिक बनाया गया और 07 एमटीएस कर्मचारियों को स्टाफ कार चालक के रुप में पदोन्नत किया गया। इसके अतिरिक्त अधिकरण के कुछ स्टाफ कार चालकों का ग्रेड बढ़ाकर उन्हें वित्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान किया गया।

पदोन्नति के अतिरिक्त अक्टूबर 2019 में आयकर अपीलीय अधिकरण के कार्यालय अधीक्षक, उच्च श्रेणी लिपिक, अवर श्रेणी लिपिक और एमटीएस को मिलाकर दिनांक 31.07.2019 तक पात्र कुल 75 कर्मचारियों को एमएसीपी (MACP) के अतंर्गत वित्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान किया गया। कर्मचारियों के साथ-साथ अधिकरण के 14 वरिष्ठ निजी सचिवों को भी एमएसीपी (MACP) का लाभ प्रदान किया गया है। विभाग में अनुकंपा के पात्र 02 कर्मचारियों के बहाली की प्रक्रिया भी जारी है और आशा है उन्हें शीघ्र ही स्थायी रुप से नियुक्त कर लिया जायेगा।

आधारिक संरचना के विकास को मजबूत करने की दिशा में आयकर अपीलीय अधिकरण के मुख्यालय, मुंबई का नवीनीकरण किया जा रहा है। कोलकाता एवं गुवाहाटी भवन के निर्माण हेतु भूमि प्राप्त की जा चुकी है। लखनऊ में भवन निर्माणाधीन है। देहरादून, उत्तराखंड में 27 फरवरी, 2020 को सर्किट पीठ की शुरुवात की गई। वाराणसी सर्किट पीठ व बेंगलूरु पीठ के नए भवन का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया गया। हाल ही में, दिनांक 11/11/2020 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयकर अपीलीय अधिकरण, कटक पीठ के नव निर्मित कार्यालय एवं आवासीय परिसर का लोकार्पण कर उसे राष्ट्र को समर्पित किया है। दिल्ली पीठ के लिए नए भवन के अधिग्रहण के लिए एन.बी.सी.सी. को कार्य सौंपा गया है। मुझे आप सबको यह बताते हुए सुखद अनुभूति हो रही है कि आयकर अपीलीय अधिकरण की अब अधिकांश पीठें जल्द ही अपने स्वयं के भवन से कार्य करना शुरु करेंगी।

सन 2020 की शुरुवात के साथ पूरा विश्व कोविड महामारी के रुप में आई मानवीय त्रासदी/संकट से क्षतिग्रस्त हुआ है। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। हम सब इस कठिन दौर से गुजरें हैं। ऐसे कठिन समय में भी अपीलों के निपटारे का कार्यक्रम चलता रहा। वर्चूअल कोर्ट के माध्यम से सुनवाई की गई और मुझे आप सबको यह बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि आयकर अपीलीय अधिकरण देश की पहली संस्था थी, जहां मामले वर्चूअल मोड में सुनने शुरु किए गए। लगभग दस हजार अपीलों का निर्णय वर्चूअल मोड द्वारा किया गया।

वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से न केवल प्रशासनिक कार्य एवं प्रशिक्षण कार्य पूरे किये गए बल्कि इन कठिन परिस्थितियों में स्टाफ के मनोबल को बनाए रखने के लिए योगा सत्र एवं अध्यात्मिक सत्र भी आयोजित किए गए। हिंदी पखवाड़ा कार्यक्रम का उद्घाटन, प्रतियोगिताएं एवं समापन भी ऑनलाईन के माध्यम से ही आयोजित किया गया।

'सृजन' एक माध्यम है, जिससे आप अपनी प्रतिभाओं को आयकर अपीलीय अधिकरण के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ सांझा कर सकते हैं। इस पत्रिका की रचनाएं स्तरीय एवं सराहनीय हैं। मुझे विश्वास है कि इस पत्रिका को और बेहतर बनाने के लिए आपके सुझाव एवं प्रतिक्रियाएं सदा मिलती रहेंगी।

मैं, अधिकरण के सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को बधाई एवं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो उन्होंने कोविड के समय में अपनी कार्य निष्ठा को सर्वोपरि रखा और अपने कार्य के प्रति दृढ़ संकल्प एवं ईमानदारी का परिचय दिया। कोविड महामारी के फैलने पर काफी नियंत्रण किया गया है, परंतु खतरा अभी टला नहीं है। इस बीमारी से बचने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मंत्र बताया है "जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं", "दो गज की दूरी, मास्क है जरुरी" का पालन करते रहें। एक बार फिर से आप सभी के प्रति मैं अपनी शुभेच्छा व्यक्त करता हूं और आपके और आपके परिजनों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं।

मुझे पूरा विश्वास है कि आनेवाले समय में आप पूरी लगन और निष्ठा से कार्य करते रहेंगे।

शुभेच्छाओं सहित।

न्यायमूर्ति पी.पी. भट्ट

सत्यमेव जयते

श्री आर.एस. स्याल
उपाध्यक्ष
आयकर अपीलीय अधिकरण
पुणे

संदेश

यह हर्ष और गौरवपूर्ण बात है कि हमारे विभागीय पत्रिका 'सृजन' के नये अंक का प्रकाशन हो रहा है।

हिंदी यह एक मात्र भाषा है जो भारत के लोगों को एक–दूसरे से जोड़ती है और देश को तरक्की के नये ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। यही कारण है कि 'सृजन' पत्रिका का प्रकाशन हिन्दी भाषा में होता है।

यह पत्रिका सभी अधिकारीयों एवं कर्मचारियों के कला एवं उनके गुणों को प्रकट करने का सर्वोत्तम माध्यम है। जैसे हिंदी भाषा में रुचि बढ़ाने के लिए सभी कार्यालयों में हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया जाता है वैसे ही यह पत्रिका हिंदी भाषा में अपनी प्रतिभा व्यक्त करने का अवसर प्रदान करती है और हिंदी भाषा पढ़ने में रुचि बढ़ती है। आयकर अपीलीय अधिकरण के सभी पीठों / कार्यालयों को एक दूसरे से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य 'सृजन' पत्रिका द्वारा किया जाता है।

मैं सभी लेखकों, कवियों, समस्त संपादक मंडल एवं सदस्यों को यह पत्रिका प्रकाशित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए हार्दिक बधाई देता हूं और आशा करता हूँ कि भविष्य में ऐसे ही 'सृजन' पत्रिका का सफल प्रकाशन करते रहे।

धन्यवाद,

आर. एस. स्याल

सत्यमेव जयते

श्री पी.एम. जगताप
उपाध्यक्ष
आयकर अपीलीय अधिकरण
कोलकाता

संदेश

साथियों,

आयकर अपीलीय अधिकरण की विभागीय पत्रिका 'सृजन' के नये अंक के प्रकाशन के अवसर पर आप सबको हार्दिक बधाई। आप सब जानते हैं कि आयकर अपीलीय अधिकरण एक अर्ध न्यायिक संस्थान है। सरकारी कार्यालय के नियमित कार्यालयीन कार्यों की बोझिलता भरे वातावरण में यह पत्रिका मुट्ठी भर ऑक्सीजन की तरह है, जो यहां के समस्त श्रेणी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों में समय-समय पर प्रकाशित होते हुए प्राण का संचार करती है। इस पत्रिका के माध्यम से आयकर अपीलीय अधिकरण परिवार के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की रचनात्मकता एवं सृजनात्मकता के प्रकाशन का एक अवसर प्राप्त होता है, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। इसके साथ ही अधिकरण की साम्प्रतिक गतिविधियों का ब्यौरा भी इसमें शामिल होता है, जो इसे पूर्णता प्रदान करती है।

इस पत्रिका के माध्यम से देश के विभिन्न प्रांतो में स्थित इस संस्थान में कार्यरत विभिन्न भाषाभाषी कर्मचारियों के बीच एक भावनात्मक जुड़ाव का परिवेश भी बनता है। साथ ही यह पत्रिका कार्यालय में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन का एक प्रेरक माध्यम भी होता है, जिससे विभाग में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की हिंदी के प्रति रूचि भी बढ़ती है।

आयकर अपीलीय अधिकरण की उन्नति के लिए निरंतर प्रयास जारी है। मेरा विश्वास है कि सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की एकाग्रता, कर्मनिष्ठा एवं अथक परिश्रम से हम अपने लक्ष्यों को अवश्य ही प्राप्त कर लेंगे।

जिन रचनाकारों ने अपने कार्यालयीन कार्यों की व्यस्तता के बावजूद कहानी, कविता, लेख इत्यादि के माध्यम से इस पत्रिका को समृद्ध किया है, उनका एवं पत्रिका के संपादकीय मंडल का मैं हृदयतल से आभार प्रकट करता हूं।

धन्यवाद,

पी. एम. जगताप

सत्यमेव जयते

श्री एन. के. सैनी
उपाध्यक्ष
आयकर अपीलीय अधिकरण
चंडीगढ़

संदेश

'सृजन' के इस अंक के लिए मेरी ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष हम एक बहुत बड़ी चुनौती से जूझते हुए वर्ष के अंत तक आ पहुंचे हैं। यह वर्ष 2020 सभी के लिए एक सीख और नए उद्देश्य स्थापित करके अपने अंतिम पड़ाव पर खड़ा हुआ है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह वर्ष बहुत कठिन और चुनौती भरा था। कोविड-19 महामारी ने हमारे परिवारों को, सरकारी तंत्र को और अर्थव्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। यह समय हमारे लिए धैर्य रखने और सचेत रहने का है।

लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जा रहे दिशा-निर्देशों का पालन करना और अपने संगठन के लिए कार्यरत रहना भी एक कठिन ध्येय था जिसको आयकर अपीलीय अधिकरण के माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार सभी उपाध्यक्षों, अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्राप्त करने का भरसक प्रयास किया है। हमारी कार्य प्रणाली पूर्णतया सूचना तकनीकी पर निर्भर हो गई है। कोविड-19 महामारी ने हमें टेकनॉलाजी के नए आयामों से अवगत करवाया और हम इस प्रयास में सफल भी रहे। हमने इस दौरान वर्चुअल सुनवाई करते हुए बहुत सारी अपीलों का निपटारा किया तथा आदेश पारित किए। आज भी प्रत्यक्ष सुनवाई के शुरू होने तक हम वर्चुअल सुनवाई करते हुए अपीलों का निपटारा करेंगे जिससे जनसाधारण को न्याय प्राप्त करने में किसी भी तरह की असुविधा न हो और इस संस्थान के उन्नति हेतु और नए मानदंडों को प्राप्त करने हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा तय किए गए मापदंडो और दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए इस संस्था को और अधिक ऊंचाई तक पहुंचाने का प्रयत्न करते रहेंगे।

हमने इस विकट परिस्थिति में नई बात यह सीखी कि हमने अपने घरों में रहकर भी नए-नए इलेक्ट्रानिक माध्यमों का उपयोग करते हुए निरंतर अपने दायित्वों का निर्वाह किया है। मैंने यह स्वयं अनुभव किया है कि चंडीगढ़ जोन में आने वाली सभी पीठों के अधिकारी एवं कर्मचारी नए इलेक्ट्रानिक माध्यमों का उपयोग करते हुए कार्यालय से संबंधित सभी कार्यों व दिशा-निर्देशों का सफलतापूर्वक निष्पादन कर रहे हैं। इस दौरान आयकर अपीलीय अधिकरण की सभी पीठों ने प्रशासनिक, स्थापन और न्यायिक कार्यों का सफलतापूर्वक निष्पादन किया और सभी कार्य यथावत चलते रहे।

मित्रों, आज सृजन के इस अंक के माध्यम से मैं आप सभी से यही अपील करूंगा कि आप लोग कोविड-19 के दौर में स्वयं एवं अपने परिवार को सुरक्षित रखते हुए पूरे समाज को स्वस्थ और सुरक्षित बनाने का प्रयत्न करेंगे और साथ ही कोविड-19 में जो हमें आर्थिक व सामाजिक हानि हुई है उसके अनुभवों से सीख लेकर भविष्य में आगे बढ़ते रहने के लिए स्वयं को तैयार रखेंगे।

अंत में मैं आयकर अपीलीय अधिकरण के समस्त परिवार और 'सृजन' के प्रकाशन से जुड़ी संपूर्ण टीम के अच्छे स्वास्थ्य और उत्तम भविष्य की कामना करता हूं।

धन्यवाद,

एन. के. सैनी

सत्यमेव जयते

श्री एन.वी. वासुदेवन
उपाध्यक्ष
आयकर अपीलीय अधिकरण
बैंगलूरू

संदेश

भाषा तो वो जोड़ है जो हमें विभिन्न सभ्यता, संस्कृतियों से परिचित कराने के साथ-साथ वहां के लोगों के संग आत्मीय संबंध स्थापित करने में भी मदद करती है। हम सभी देशवासी यदि एक दूसरे का सम्मान करें और सीखें तो अवश्य ही हमारे अंदर मधुरता के रस का संचार होना प्रारंभ हो जाएगा।

"अखिल भारत के परस्पर व्यवहार के लिए ऐसी भाषा की आवश्यकता है जिसे जनता का अधिकतम भाग पहले से ही जानता-समझता है और हिंदी इस दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। -(महात्मा गांधी)

हिंदी हमारी भारतीयता की पहचान होने के साथ ही हमारा स्वाभिमान भी है। अपने बदले स्वरुप के साथ हिंदी आज भले ही विश्व पटल पर अपनी पहचान बना चुकी है परंतु आज भी हर एक नागरिक को हिंदी के उत्थान के लिए प्रयास करना चाहिए।

राजभाषा के रुप में हिंदी के विकास के लिए हम हिंदी दिवस, हिंदी पखवाड़ा एवं हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन कर रहे हैं। तात्पर्य यह है कि हिंदी में काम करने का वातावरण बनाने के लिए हर संभव उपाय किये जा रहे हैं।

आप सभी जानते हैं कि पूरा देश कोरोना के साये में है। इस संकटकाल में हम सब भारतवासियों को एक सूत्र में बांधके रखने में हिंदी का महत्वपूर्ण योगदान है। इस महामारी के कारण इस वर्ष हिंदी पखवाड़ा वर्चुअल रुप में आयकर अपीलीय अधिकरण के सभी पीठों के द्वारा किया गया। इस विषमकालीन परिस्थिति में भी इस पत्रिका का प्रकाशन करने के लिए जो प्रयत्न किया जा रहा है, वह सराहनीय है।

अंत में, मैं इस पत्रिका की संपादन समिति सहित सभी लेखकों को बधाई देता हूं जिनके प्रयास से सृजन भविष्य में भी अपनी गति निरंतर बनाए रखे।

धन्यवाद,

एन.वी. वासुदेवन

सत्यमेव जयते

श्री प्रमोद कुमार
उपाध्यक्ष
आयकर अपीलीय अधिकरण
मुंबई

संदेश

प्रिय पाठकों,

आप सब के समक्ष विभागीय राजभाषा पत्रिका 'सृजन' का यह अंक प्रस्तुत करते हुए मैं आत्मीय खुशी का अनुभव कर रहा हूं। इस पत्रिका के माध्यम से आयकर अपीलीय अधिकरण परिवार के अधिकारी/कर्मचारियों को अपनी सृजनात्मक एवं साहित्यिक प्रतिभा की अभिव्यक्ति का सुअवसर मिलता है।

हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है। जैसे एक बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूल खिले होते हैं, वैसे ही इस देश में विभिन्न प्रकार के लोग, भाषाएं भौगोलिक परिस्थितियां, खान-पान, पहनावा, रीतिरिवाज, मान्यताएं पर्व आदि हैं। किंतु इस विविधता में समरसता का एक भाव है और उस भाव की अभिव्यक्ति हिंदी के माध्यम से होती है।

हिंदी न केवल मेरी वरन् असंख्य लोगों के हृदय, भाव, उद्गार की भाषा भी है। यह एक महान धारा है जो हमें जोड़ती और समृद्ध करती है। दरअसल हिंदी एक समुद्र है और इसमें अन्य भाषाओं व संस्कृतियों के तत्वों को ग्रहण कर अपना बनाने की अद्भुत क्षमता है। साथ ही, हिंदी की आंतरिक शक्ति ने दूसरी भाषाओं और संस्कृतियों को भी दूर तक प्रभावित किया है। हिंदी वस्तुतः हमारी जनभाषा व हृदयभाषा है। हिंदी हमारे अस्तित्व व अस्मिता की पहचान है।

राजभाषा विभाग के दायित्वों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन भी एक प्रमुख दायित्व है। मेरा मानना है कि भाषा संप्रेषण के सहज उपलब्ध माध्यम के रुप में हिंदी गृह पत्रिकाओं की पहुंच कार्यालय के प्रत्येक कार्मिक तक होती है। राजभाषा के नियमों और आदेशों के अनुपालन का महत्व सर्वोपरि है, साथ ही हिंदी पत्रिका जैसे साहित्यिक-सांस्कृतिक मंच के माध्यम से कर्मचारिगण अपनी भाषा संस्कृति और परंपरा से जुड़कर अपना अधिकाधिक कार्य हिंदी में करते हैं।

मैं 'सृजन' के प्रकाशन से जुड़े सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि हम हिंदी के प्रचार-प्रसार का अपना यह प्रयास आगे भी जारी रखेंगे।

धन्यवाद,

प्रमोद कुमार

सत्यमेव जयते

श्री ए.डी. जैन
उपाध्यक्ष
आयकर अपीलीय अधिकरण
लखनऊ

संदेश

प्रिय पाठकों,

हर्ष का विषय है कि विभागीय राजभाषा पत्रिका "सृजन" के आगामी अंक का प्रकाशन किया जा रहा है। इससे जहां एक ओर राजभाषा कार्यान्वयन को गति मिलेगी, वहीं अधिकारियों एवं कर्मचारियों की साहित्यिक प्रतिभा को उजागर करने का यह एक सशक्त माध्यम बनेगी।

हिंदी को भारतीय चिंतन और संस्कृति का वाहक माना गया है। भारत में हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसमें भारतीय जनमानस की संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने का सामर्थ्य है। हिंदी ने अपनी मौलिकता, सरलता, सुबोधता के बल पर ही भारतीय संस्कृति और साहित्य को जीवंत बनाए रखा है। हिंदी बहुत ही समृद्ध भाषा है और इसने जनमानस की आकांक्षाओं को पूरा किया है। राजभाषा हिंदी मे समरसता है और इसका शब्दकोष व्यापक एवं समृद्ध है।

जहां तक सरकारी कामकाज में इसके प्रयोग का संबंध है, हमें अपने अंतः मन में ऐसा निश्चय करना होगा और अपना कर्तव्य मानना होगा कि सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग करने के लिए किसी संकल्प की आवश्यकता न पड़े। हमें यह भी प्रयास करने चाहिए कि राजमर्रा का सरकारी कामकाज मूलतः हिंदी में हो और अनुवाद कराने की आवश्यकता कम पड़े। इसके लिए हमें राजभाषा हिंदी के प्रयोग के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाना होगा।

अंत में मैं विभागीय पत्रिका "सृजन" के लिए रचनाएं भेजने वाले सभी रचनाकारों को शुभकामनाएं देता हूं और आयकर अपीलीय अधिकरण के सभी अधिकारी/कर्मचारियों से आग्रह करता हूं कि इस पत्रिका के समृद्धि के लिए वे भविष्य में भी निरंतर अपनी रचनाएं भेजते रहें।

धन्यवाद!

ए. डी. जैन

सत्यमेव जयते

श्री जी. एस. पन्नु
उपाध्यक्ष
आयकर अपीलीय अधिकरण
नई दिल्ली

संदेश

प्रिय बंधुगण,

सृजन जीवन का शाश्वत सत्य है जो संसार के हर क्षेत्र को गति और ऊर्जा प्रदान करता है। सृजनात्मक इच्छा ही मूल रुप से जीवन के हर कार्य को प्रेरित करती है और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हमें सकारात्मक ऊर्जा और शक्ति प्रदान करती है।

भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। हालांकि आजकल संचार के नये माध्यमों के चलते लेखन प्रक्रिया में भारी परिवर्तन आया है परंतु इसका महत्व अब भी पूर्ववत है। अत्यंत हर्ष का विषय है कि विभागीय पत्रिका 'सृजन' का नवीन अंक जारी किया जा रहा है। इसका प्रकाशन राजभाषा नियमों के अंतर्गत हमारा संवैधानिक कर्तव्य ही नही बल्कि आयकर अपीलीय अधिकरण परिवार के हिंदी भाषी सदस्यों के साथ ही अन्य भाषा-भाषी सदस्यों की सृजनात्मक एवं लेखन प्रतिभा को यथोचित मंच प्रदान करने का एक उत्तम माध्यम है। प्रकाशन हेतु अपनी रचनाएं देने वाले रचनाकारों के साथ-साथ प्रकाशन कार्य का उत्तरदायित्व संभालने वाला संपादक मंडल भी बधाई का पात्र है जिनके राजभाषा हिंदी के प्रति लगाव, अथक परिश्रम और दृढ़संकल्प के परिणामस्वरुप ही यह कार्य संपन्न हो पाया है।

किसी भाषा के प्रति विश्व का प्रेम और सम्मान उस देश की उपलब्धियों का प्रतीक होता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने संपूर्ण विश्व में अपनी एक नई पहचान बनाई है जिससे विश्व में हिंदी के प्रति प्रेम और सम्मान में वृद्धि हुई है। राजभाषा हिंदी ही विभिन्न भाषाओं वाले भारतवर्ष को एकता के सूत्र में बांधने की क्षमता रखती है।

मुझे आशा ही नहीं अटल विश्वास है कि भविष्य में भी यह पत्रिका अपनी सार्थकता को बारम्बार प्रमाणित करती रहेगी तथा अधिकरण परिवार के सभी सदस्यों से इसे इसी प्रकार का प्रेम एवं सहयोग प्राप्त होता रहेगा।

शुभकामनाओं सहित!

जी. एस. पन्नु

सत्यमेव जयते

श्री राजपाल यादव
उपाध्यक्ष
आयकर अपीलीय अधिकरण
अहमदाबाद

संदेश

प्रिय भाईयों एवं बहनों,

आयकर अपीलीय अधिकरण की विभागीय राजभाषा पत्रिका 'सृजन' अधिकरण की एक मात्र पत्रिका है जिसमें अधिकरण के भिन्न-भिन्न पीठों के कर्मचारी/अधिकारी/सदस्यों द्वारा राजभाषा हिंदी में लिखी गई रचनाओं का संकलन होता है। एक न्यायिक संस्थान होने के बावजूद भी आयकर अपीलीय अधिकरण में बड़े पैमाने पर हिंदी में कार्य संपादित किया जा रहा है। वास्तव में यह पत्रिका आयकर अपीलीय अधिकरण के परिवार को एक सूत्र में बांधने का कार्य करती है। अहमदाबाद पीठ में सितंबर माह में 'हिंदी दिवस' एवं हिंदी पखवाड़ा का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता रहे प्रतिभागियों को नकद पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।

आयकर अपीलीय अधिकरण प्रगति की ओर अग्रसर होता जा रहा है। वर्तमान समय में, कोविड-19 के संक्रमण के कारण आयकर अपीलीय अधिकरण, अहमदाबाद पीठें में ऑनलाइन माध्यम से मामलों की सुनवाई की जा रही है। हमारा अधिकरण न्याय को बनाए रखते हुए अपने बहुमूल्य निर्णयों से आयकर मामलों का निपटारा सूक्ष्म एवं निष्पक्ष तरीके से करते हुए निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर है। आयकर अपीलीय अधिकरण की उन्नति एवं विकास के लिए निरंतर प्रयास जारी है।

मैं पत्रिका के सभी रचनाकारों एवं संपादक मंडल को हार्दिक बधाई देता हूं जिन्होने इस पत्रिका के सफल प्रकाशन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

धन्यवाद,

राजपाल यादव

सत्यमेव जयते

श्री महावीर सिंह
उपाध्यक्ष
आयकर अपीलीय अधिकरण
चेन्नै

संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि आयकर अपीलीय अधिकरण की विभागीय पत्रिका "सृजन" के नवीन अंक का प्रकाशन होने जा रहा है। कार्यालय में रचनात्मक वातावरण तैयार करने तथा कर्मचारियों में राजभाषा के प्रति निष्ठा जगाने में विभागीय पत्रिका का महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसी पथ पर अग्रसर रहते हुए कार्यालय की हिंदी पत्रिका "सृजन" कार्यालय कार्मिकों की सृजनात्मक प्रतिभाओं की अभिव्यक्ति के लिए मंच के रुप में कार्य कर रही है। पत्रिका विचारों के आदान-प्रदान का एक सशक्त माध्यम है। इसलिए विभागीय पत्रिकाओं का योगदान राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में अत्यंत सराहनीय है।

राजभाषा हिंदी सांस्कृतिक और सामाजिक परंपरा की धनी है तथा विचारों और भावों की अभिव्यक्ति में पूर्ण सक्षम भी है। हिंदी दुनियां की उन्नत भाषाओं में से एक है। हिंदी में कार्य करने में हमें गर्व की अनुभूति होनी चाहिए। राजभाषा हिंदी सांस्कृतिक विभिन्नता में एकता का प्रतीक है और इसे बढ़ावा देना हम सबका संवैधानिक कर्तव्य भी है। आयकर अपीलीय अधिकरण राजभाषा हिंदी के संवर्द्धन और उत्थान के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। कोरोना की विकट परिस्थति के बाबजूद भी आयकर अपीलीय अधिकरण की सभी पीठों में हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया और सफलता पूर्वक प्रतियोगिताएं संपन्न हुई। पखवाड़े के समापन के पश्चात हम इस पत्रिका के प्रकाशन के लिए प्रतिबद्ध हो गए और सभी के परिश्रम के फलस्वरुप यह पत्रिका आपके सम्मुख प्रस्तुत है। हम राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन और विकास के लिए हमेशा सजग और सचेत हैं।

मुझे विश्वास है कि पत्रिका में प्रकाशित रचनाएं पाठकों के लिए ज्ञानवर्धक तथा रचनात्मक भाव सृजन करने में सफल होगी। पत्रिका के प्रकाशन के माध्यम से यह प्रयत्न किया गया है कि सभी भाषा-भाषियों को हिंदी में अभिव्यक्ति का अवसर मिले एवं कार्यालयीन कार्यों को हिंदी में करने के प्रयत्न को बढ़ावा दिया जा सके। मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि यह पत्रिका हिंदी के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ अपने बहुउद्देश्यी लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूर्णतः सफल रहेगी।

पत्रिका से जुड़े सभी अधिकारी और कर्मचारी प्रशंसा के पात्र हैं। पत्रिका के संपादक मंडल, रचनाकारों तथा प्रकाशन से जुड़े सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सफल प्रयास के लिए हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं!

धन्यवाद,

महावीर सिंह

सृजन

2020

मुख्य संपादक

श्री विकास अवस्थी
न्यायिक सदस्य एवं अध्यक्ष,
राजभाषा कार्यान्वयन समिति,
मुंबई

संपादक

श्री राजेश्वर प्रसाद, रजिस्ट्रार,
आयकर अपीलीय अधिकरण

उप संपादक

श्री बिजु पी.के.,
सहायक रजिस्ट्रार,
आयकर अपीलीय अधिकरण,
मुंबई

प्रकाशन एवं मुद्रण

आयकर अपीलीय अधिकरण
तीसरा एवं चौथा तल,
प्रतिष्ठा भवन, 101,
महर्षि कर्वे मार्ग,
मुंबई- 400020

कृपया निम्नलिखित ई-मेल
पर अपनी प्रतिक्रिया भेजें:
hindi.ho@itat.nic.in

सत्यमेव जयते

श्री विकास अवस्थी
न्यायिक सदस्य एवं अध्यक्ष, राजभाषा
कार्यान्वयन समिति, मुंबई

संपादकीय कलम से

आयकर अपीलीय अधिकरण परिवार के सदस्यों के साथ 'सृजन' के माध्यम से यह मेरा पहला संवाद है। मैं इस अवसर के लिए माननीय अध्यक्ष, आयकर अपीलीय अधिकरण का हार्दिक धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे सृजन के संपादन का उत्तरदायित्व दिया।

आयकर अपीलीय अधिकरण की पीठों में एक से बढ़कर एक रचनाकार हैं जिनकी कृतियां मन मोह लेती हैं। यह पत्रिका आत्माभिव्यक्ति तथा रचनात्मकता के लिए एक ऐसा मंच है जिसके द्वारा आप अपनी सोच, अपने अनुभव तथा विचार आयकर अपीलीय अधिकरण परिवार से बांट सकते हैं। इस पत्रिका की रचनाएं स्तरीय एवं सराहनीय हैं तथा आयकर अपीलीय अधिकरण में राजभाषा हिंदी को प्रकाशित करने में इस पत्रिका की महत्वपूर्ण भूमिका है।

हिंदी भाषा न केवल हमारी राजभाषा है परंतु यह हमें राष्ट्रीय एकता के सूत्र में भी बांधती है। हम किसी भी प्रांत से आए हों और हमारी मातृभाषा कुछ भी हो परंतु हिंदी हमें एक दूसरे से जुड़ने का अवसर प्रदान करती है। आयकर अपीलीय अधिकरण में 'सृजन' के माध्यम से हिंदी का प्रचार-प्रसार बढ़ रहा है और राजभाषा हिंदी में लोगों की रूचि बढ़ रही है तथा अपने कार्यालयीन कार्यों में अधिकारी/कर्मचारीगण तेजी से इसका प्रयोग कर रहे हैं।

मेरा सभी पाठकों से अनुग्रह है कि वे भविष्य में भी 'सृजन' के प्रकाशनार्थ अपनी रचनाएं प्रेषित करते रहें और इस पत्रिका के उत्कर्ष के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव भेजते रहें। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय अध्यक्ष महोदय के मार्गदर्शन में हम आयकर अपीलीय अधिकरण में हिंदी भाषा के कार्यान्वयन तथा 'सृजन' पत्रिका को नए आयाम तक लेकर जायेंगे।

धन्यवाद,

विकास अवस्थी

सत्यमेव जयते

श्री राजेश्वर प्रसाद
रजिस्ट्रार
आयकर अपीलीय अधिकरण

संदेश

जिस प्रकार समूची सृष्टि "सृजन" के अनन्त आयामों का दृश्य रूप हैं उसी प्रकार हमारी विभागीय पत्रिका 'सृजन' अपने आप में विराट भावों को समाहित किए हुए है। गौर से देखने और अनुभव करने पर "सृजन" के दो रूप दृष्टिगोचर होते हैं जिनमें प्रथम है, ईश्वरीय सत्ता के अधीन प्रकृति का "सृजन" जिसमें चराचर जगत, पेड़-पौधे, पशु-पक्षी, झरने, नदियाँ, तालाब, जंगल, पर्वत आदि दिखाई देते हैं। द्वितीय है, मानव द्वारा "सृजन " जिसमें समस्त कलाएं, धर्म, संस्कृति, भाषाएँ आदि समाविष्ट है। यह "सृजन" मानव की विचारात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक या रचनात्मक अभिव्यक्ति का परिणाम होता है जो न केवल सृष्टि का श्रृंगार करते हैं अपितु उसे देखने और अनुभव करने की दृष्टि भी प्रदान करते हैं। इस समस्त "सृजन" प्रक्रिया में भाषा एक महत्वपूर्ण कारक है जो हमारी विभागीय पत्रिका "सृजन" को भी आधार देती है और इस प्रकार भाषा "सृजन" के विराट संसार में अभिव्यक्ति का विशेष माध्यम बनती है जिसमें संस्कृत की तनया हिन्दी एक समृद्ध एवं महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।

वर्तमान में हमारे गणतंत्र की राजभाषा हिन्दी को विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं में एक प्रमुख स्थान प्राप्त है। भाषा केवल भावनाओं, विचारों, मन के उदगारों आदि की अभिव्यक्ति का साधन मात्र नहीं है, अपितु यह किसी व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की सशक्त पहचान होती है। अनादि काल से भाषाएँ मानव सभ्यता के प्रवाह को बनाए हुए है। वर्तमान में भारतीय भूखंड पर राजभाषा हिन्दी सर्वाधिक प्रचलित एवं लोकप्रिय भाषा है इसके महत्व को समझते हुए हमारे संविधान निर्माताओं , चिन्तकों, विचारकों ने हिन्दी को ही राजभाषा का स्थान दिया।

गैर भाषा-भाषी क्षेत्रों में रहते हुए मुझे यह अनुभव हुआ कि वहाँ के अधिसंख्यक लोग थोड़ी कठिनाई या उच्चारण दोष के साथ हिन्दी बोल लेते हैं। लिपि न जानने के कारण लिखने में कठिनाई हो सकती है लेकिन समझ तो अधिकांश लोग लेते हैं। इससे यह तो स्पष्ट ही है कि भारत में और आसपास के क्षेत्रों या देशों में हिन्दी की संपर्क भाषा के रूप में अत्यंत महत्ता है।

विभाग के राजभाषा में होने वाले कार्यों का लेखाजोखा यह बताता है कि पिछले कुछ वर्षों में 'सृजन' पत्रिका के माध्यम से साथियों की हिन्दी लेखन एवं हिंदी में कार्य करने में रुचि बढ़ी है।

हमारा विभाग लोकतांत्रिक न्यायिक व्यवस्था की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। राजभाषा के माध्यम से विभाग के कार्य कलापों से प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से समाज का बहुत बड़ा एवं विशिष्ट वर्ग प्रभावित होता है, तत्प्रयोजार्थ राजभाषा के प्रचार- प्रसार एवं संरक्षण में हमारी विभागीय पत्रिका "सृजन" की अहम भूमिका रही है। आप सभी के अथक परिश्रम एवं हिन्दी के प्रति समर्पण का ही परिणाम रहा है कि आज अपनी 'सृजन' पत्रिका राजभाषा की एक श्रेष्ठ पत्रिका के रूप में अपनी पहचान बना सकी है। यूँ तो अपना भारतवर्ष एक बहुभाषीय राष्ट्र के रूप में जाना जाता है और सभी भाषाएँ लोकतांत्रिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं तथापि संपर्क की भाषा के रूप में राजभाषा हिन्दी की स्वीकार्यता बहुत तेजी से बढ़ी है।

यदि भाषाओं के आपसी संबंध एवं सौहार्द के विषय में कहा जाए तो कुछ यूँ कहा जा सकता है -

हिन्दी संस्कृत की बेटी,
ये नित-नित नयी नवेली है
गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी
या बोली बुंदेली है
तमिल, मराठी, बंगला, उर्दू
पंजाबी अलबेली है
हिंदुस्तानी हर भाषा
हिंदी की सखी सहेली है।
रसों, छंदों, अलंकारों का
सुरभित गान है हिन्दी।
सनातन प्रेम संस्कारों का
इक वरदान है हिन्दी।
बही जो विश्व के आँगन में
ये हिन्दी की पुरबाई,
लगा हिन्दोस्ताँ का इक
विजय अभियान है हिन्दी।

भाषा का सम्मान एवं व्यक्ति एवं राष्ट्र के स्वाभिमान का भी परिचायक होता है। जो लोग अपनी भाषा एवं संस्कृति का सम्मान नहीं करते उनकी सभ्यता एवं संस्कृति धीरे-धीरे दुनिया के नक्शे से मिट जाती है।

वर्तमान में वैचारिक एवं सांस्कृतिक संक्रमण, नैतिक पतन निहित स्वार्थ के मायाजाल के कारण तेजी से फैल रहा है उसमें हिन्दी भाषा एक औषधि का कार्य कर सकती है। चूँकि भाषा किसी भी समाज और संस्कृति के मूल्यों की संरक्षक एवम पहचान होती है अतः यदि संस्कृति को बचाना है तो भाषा को समृद्ध करना अतिआवश्यक है।

तत्प्रयोजनार्थ अधिकरण का रजिस्ट्रार होने के नाते मैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों से विनम्र निवेदन तथा अन्य विभागीय साथियों से अपेक्षा करता हूं कि हम सभी राष्ट्र भाषा के प्रचार-प्रसार में प्रत्यक्ष और परोक्ष रुप से सहभागी बनें,

शुभकामनाओं सहित,

आपका स्नेहिल,

राजेश्वर प्रसाद

कर्म का सिद्धांत कहता है, 'जैसे कर्म वैसा फल' आज का प्रारब्ध, पुरुषार्थ पर अवलंबित है, 'आप ही अपने भाग्यविधाता है,' यह बात याद रखकर कठोर परिश्रम पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए.

-स्वामी विवेकानंद

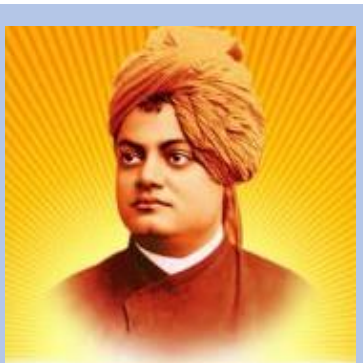

सरदार वल्लभ भाई पटेल

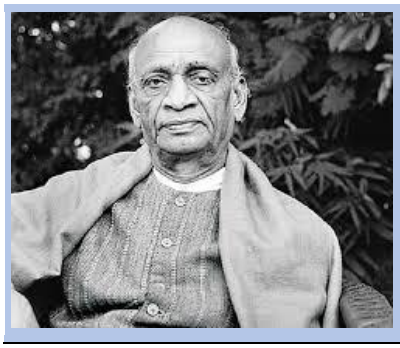

कठिन समय में कायर बहाना ढूंढ़ते हैं,
बहादुर व्यक्ति रास्ता खोजते हैं।

- सरदार वल्लभ भाई पटेल

सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। भारत की आजादी के बाद वे प्रथम गृह मंत्री और उप-प्रधानमंत्री बने। वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नादिद ग्राम में हुआ था। उनके पिता झवेरभाई पटेल एक साधारण किसान और माता लाड बाई एक साधारण महिला थी। बचपन से ही वे परिश्रमी थे, अपनी पढ़ाई के साथ-साथ वे अपने पिता की खेती में मदद करते थे। स्कूल के दिनों से ही वे होशियार और विद्वान थे, उन्होंने 1896 में अपनी हाई स्कूल की परीक्षा पास की। लंदन जाकर उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की और वापस आकर अहमदाबाद में वकालत करने लगे।

महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। 1917 में गांधी जी के संपर्क में आने के बाद उन्होंने ब्रिटिश राज की नीतियों के विरोध में अहिंसक और नागरिक अवज्ञा आंदोलन के जरिए खंडा, बरसाई और बारडोली के किसानों को एकत्र किया। 1918 में गुजरात का खेडा खंड भयंकर सूखे की चपेट में था। किसानों ने अंग्रेज सरकार से भारी कर में छूट की मांग की। जब यह स्वीकार नहीं किया गया तो सरदार पटेल, गांधीजी एवं अन्य लोगों ने किसानों का नेतृत्व किया और उन्हें कर न देने के लिए प्रेरित किया। अंत में सरकार झुकी और उस वर्ष करों में राहत दी गई। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में बारडोली, गुजरात में एक प्रमुख किसान आंदोलन हुआ जिसका नेतृत्व वल्लभभाई पटेल ने किया। उस समय सरकार ने किसानों के लगान में तीस प्रतिशत तक की वृद्धि कर दी थी। पटेल ने इस लगान वृद्धि का जमकर विरोध किया। अंग्रेजी सरकार को विवश होकर किसानों की मांगों को मानना पड़ा। इस सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभभाई पटेल को 'सरदार' की उपाधि प्रदान की। 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 36वें अहमदाबाद अधिवेशन की स्वागत समिति के अध्यक्ष बने। वे गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष बने। सरदार पटेल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कई बार जेल गए।

1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद गृह मंत्री के रुप में उनकी पहली प्राथमिकता छोटी-छोटी रियासतों को भारत में मिलाना था। इसको उन्होंने बिना कोई खून बहाए संपादित कर दिखाया। केवल हैदराबाद स्टेट के आपरेशन पोलो के लिए उनको सेना भेजनी पड़ी। भारत के एकीकरण में उनके महान योगदान के लिए उन्हें "भारत का लौह पुरूष" के रुप में जाना जाता है। भारत के एकीकरण के लिए उन्हें "भारत का बिस्मार्क" भी कहा जाता है। गृहमंत्री के रुप में सरदार पटेल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय नागरिक सेवाओं आई.सी.एस. का भारतीयकरण कर इन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवाएं आई.ए.एस. बनाया। 15 दिसंबर 1950 को सरदार पटेल इस दुनिया को अलविदा कह गए।

सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत वर्ष 1991 में भारत के सर्वोच्च सम्मान "भारत रत्न" से सम्मानित किया गया। सरदार पटेल की यादों को ताजा रखने के लिए अहमदाबाद के शाहीबाग में सरदार वल्लभ भाई पटेल मेमोरियल सोसायटी में सरदार पटेल का थ्री डी संग्रहालय तैयार किया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 137वीं जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर, 2013 को गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार पटेल के स्मारक का शिलान्यास हुआ। यह स्मारक सरदार सरोवर बांध से 3.2 किलोमीटर की दूरी पर साधु बेट नामक स्थान पर है जो कि नर्मदा नदी पर एक टापू है। यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है जिसकी लंबाई 182 मीटर(597 फीट) है। इसका नाम 'एकता की मूर्ति' (स्टैच्यू ऑफ यूनिटी) रखा गया है। इसका उदघाटन माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल के जन्मदिवस के मौके पर किया गया। यह स्मारक महान व्यक्तित्व को सच्ची श्रद्धांजलि है।

****

विश्व महामारी (कोरोना) एवं संघर्षशील मानव

श्री ए.डी. जैन
उपाध्यक्ष, लखनऊ

आज कोरोना महामारी या COVID-19 से पूरे विश्व का प्रत्येक मानव प्राणी न केवल परिचित है बल्कि प्रभावित हो चुका है। कोरोना वायरस की प्रभावी गंभीरता को देखते हुए विश्व चिकित्सीय जांच एवं खोज में पाया गया कि कोरोना वायरस मानव बाल की मोटाई से भी सूक्ष्म है लेकिन उसकी दुष्प्रभावी गति बहुत ही तीव्र है। विश्व के चिकित्सीय ज्ञानविदों के अनुसार इस वायरस ने चीन के वुहान शहर में दिसंबर, 2019 में लोगों का प्रभावित किया और इसने जनवरी फरवरी 2020 तक विश्व के अनेक देशों को प्रभावित कर दिया। एक सामान्य बीमारी बुखार, सर्दी-जुकाम से मिलते-जुलते लक्षण वाली इस महामारी ने विश्व की दिनचर्या, अर्थ-व्यवस्था, यातायात- सभी को निष्क्रिय कर दिया।

विश्व स्तर पर 03 नवंबर 2020 के विकीपीडिया द्वारा जारी आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित देश सबसे अधिक प्रभावित हुए-

क्र.सं.	देश	प्रभावित मामले	मृत्यु
	विश्व	**47458222**	**1214645**
1.	अमेरिका	9490941	236319
2.	भारत	8267623	123097
3.	ब्राजील	5567126	160548
4.	रूस	1693454	29217
5.	फ्रांस	1502763	38289
6.	स्पेन	1259366	36495
7.	अर्जेन्टीना	1195263	32052
8.	कोलंबिया	1099392	31847
9.	यूनाइटेड किंगडम	1073882	47250
10.	मैक्सिको	938405	92593

"समस्या ही आविष्कार की जननी है" की लोकोक्ति को चरितार्थ करते हुए मानव प्राणी इस महामारी से बचने के उपायों के साथ अपनी जीवन चर्या को गति देते हुए पुनः पूर्ण सामान्य स्थिति की ओर अग्रसर हो रहा है।

चीन के शहर वुहान से शुरू हुई कोरोना महामारी ने निश्चित रुप से समूची मानव-जाति के लिए संकट उत्पन्न कर दिया था। किंतु समुचित प्रबंधन, सजगता और वैश्विक स्तर पर WHO के प्रयासों से फलस्वरुप धीरे-धीरे हम इस महामारी से उबरने की दिशा में अग्रसर हैं।

जहां तक हमारे देश की बात है तो भारत ने एहतियाती कदम, जैसेः लॉकडाउन, आवाजाही पर प्रतिबंध, कोरोना हेतु पृथक चिकित्सालयों की व्यवस्था इत्यादि उठाकर कोरोना महामारी की व्यापकता को कम करने का प्रयास प्रारंभ में ही कर लिया था।

वास्तव में किसी भी प्राकृतिक आपदा या महामारी को आने से पूर्णतः ही रोक पाना संभव नहीं है। किंतु उत्तम प्रबंधन, दृढ़ इच्छा शक्ति और संसाधन की समुचित और सामयिक व्यवस्था से इस पर प्रभावी नियंत्रण अवश्य पाया जा सकता है। भारत ने इस दिशा में श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है जिसकी संयुक्त राष्ट्र सहित विश्व के तमाम संगठनों और देशों ने सराहना की है।

130 करोड़ की आबादी वाला हमारा देश जिसकी एक तिहाई जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे हो, उस देश द्वारा कोरोना पर नियंत्रण का प्रयास एवं आंकड़े अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली जैसे देशों से श्रेष्ठतर हो, तो इसे चमत्कार ही कहा जाएगा। भारत ने न केवल इस महामारी पर सफल नियंत्रण पाया है, अपितु वैश्विक स्तर पर विश्व के कई देशों को कोरोना निवारण की दवाएं उपलब्ध कराकर पूरी मानवता की सेवा करने की ओर हमारा देश अग्रसर है।

आज हम इस महामारी से उबरने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। ऐसा इस आधार पर कहा जा रहा है कि भारत समेत विश्व के प्रमुख देश, जैसेः अमरीका,

ब्रिटेन, रुस द्वारा कोरोना के उपचार की वैक्सीन अगले वर्ष के शुरूआत में आ जाने की पूरी संभावना है।

आयकर अपीलीय अधिकरण भी इस महामारी को चुनौती के रुप में स्वीकारते हुए एवं सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए जनहित में कार्यालयी एवं न्यायिक कार्यों का निष्पादन कर रहा है।

निश्चित रुप से आपदा प्राकृतिक हो या कृत्रिम, मानव जाति को यह उसकी सीमा में रहने की सीख देकर जाता है। कोरोना के विषय में भी ऐसा ही है। आज हम आधुनिकता के दौर में प्रकृति का अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं। पेड़ काटे जा रहे हैं, जंगल उजाडे जा रहे हैं, फैक्ट्रियों और वाहनों से निकलने वाला धुंआ वायुमंडल में जहर घोल रहा है, नदियां प्रदूषित की जा रही हैं। ऐसी दशा में इसके दुष्परिणाम के रुप में आपदा या महामारी का आना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, जैसा कोरोना ने निःसंदेह विदित करवा दिया है।

आज हमें महात्मा गांधी के इस संकल्प को आत्मसात करने की जरूरत है कि प्रकृति से हम उतना ही प्राप्त करें जितनी न्यूनतम आवश्यकता हो। प्रकृति का अविवेकपूर्ण दोहन पूरी मानव जाति के अस्तित्व के लिए संकट उत्पन्न कर सकता है।

वास्तव में आज हमें "जियो और जीने दो" के सिद्धांत को बेहतर प्रबंधन और दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ अपनाने की आवश्यकता है। तभी हम कोरोना जैसी महामारी का सामना सफलता पूर्वक कर सकते हैं।

******

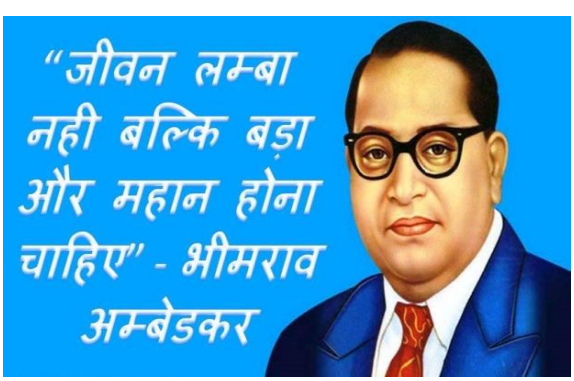

गुलशन को महकाएं

श्री कुल भारत
न्यायिक सदस्य, इंदौर

इस गुलशन को हम यू महकाएं
इसकी आभा को देख धरा भी
इठलाए, गगन मंद मंद मुस्काए।
स्वच्छ निष्कपट निर्मल हो हर जन,
भाईचारे और अहिंसा को अपनाएं
इस गुलशन को हम यूं महकाएं।
न ईर्ष्या, न द्वेष हो बस प्रेम का संचार हो
ना लालच, लोभ हो, समानता का अधिकार हो
आओ, ऐसा हम समाज बनाएं
इस गुलशन को हम यूं महकाएं।
स्वस्थ रहे हर जन भूख किसी को ना सताए
हर बच्चा और जवान बहादुर हो शक्तिवान हो
और बने अति महान
भारत माता की कीर्ति को चरम पर पहुचाएं।
इस गुलशन को हम यूं महकाएं।
घनघोर अंधेरा भी ना डराए
भयंकर तूफान भी इसको ना रोक पाए
कारवां यह प्रगति का बस यू ही चलता जाए
इस गुलशन को हम यू महकाएं।

******

प्रेरक प्रसंग

श्री मनीष बोरड़
लेखा सदस्य, इंदौर

बापू भी लगे लाइन में

साबरमती आश्रम में यह नियम था कि वहां भोजन काल में दो बार घंटी बजाई जाती थी। उस घंटी की आवाज सुनकर आश्रम में रहनेवाले सभी लोग भोजन के लिए आ जाते थे। जो लोग दूसरी बार घंटी बजने पर भी नहीं पहुंच पाते थे, उन्हें दूसरी पंक्ति लगने तक इंतजार करना पड़ता था।

एक दिन की बात है कि बापू समय पर उपस्थित न हो सके। तब तक भोजनालय बंद हो गया था। फलस्वरूप उन्हें दूसरी पंक्ति लगने तक इंतजार करना पड़ा। बापू लाइन में लगे थे, तभी एक व्यक्ति व्यंग कसते हुए बोला, "आज तो बापू लाइन में लगे हैं।"

बापू मंद-मंद मुस्कराकर बोले, " नियम तो सभी के लिए एक जैसा होना चाहिए। जो नियम का पालन न करने की भूल करें, उसे दंड भी भोगना चाहिए। "

नियम पालन

फांसी के लिए निर्धारित दिन भी महान क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल प्रातः जल्दी उठे और नित्य की भांति व्यायाम करने लगे।

उन्हें व्यायाम करते देख जेल वार्डन ने हैरान होकर पूछा, "एक घंटे बाद तो आपको फांसी पर लटका दिया जाएगा, तब व्यायाम करने का क्या औचित्य है ?"

वार्डन की जिज्ञासा दूर करते हुए रामप्रसाद बिस्मिल ने उसे सीख दी, "जीवन नियमों एवं आदर्शों से निबद्ध है। जब तक शरीर में सांस बचे, प्रत्येक मनुष्य को नियमों का अनुपालन अवश्य ही करनी चाहिए। इसलिए मैं भी नियमों का पालन कर रहा हूँ। अब आप भी अपने कर्तव्य का पालन करें।"

नेताजी की प्रखरता

नेताजी सुभाषचंद्र बोस भारतीय प्रशासनिक सेवा की नौकरी के लिए साक्षात्कार देने इंग्लैंड गए। उनका साक्षात्कार ले रहे अंग्रेज अधिकारियों ने छत के पंखे की ओर संकेत करते हुए पूछा, "बताओ, इस पंखे में कितनी पंखुड़िया हैं?

प्रश्न सुनना था कि नेताजी तुरंत उठे और स्विच को बंद कर दिया और आराम से पंखुड़िया गिनकर बता दी। अंग्रेज अधिकारी उनकी विलक्षण बुद्धि से इतने प्रभावित हुए कि अन्य कोई प्रश्न नहीं किया।

सरदार पटेल

सरदार वल्लभभाई पटेल फौजदारी के सुप्रसिद्ध वकील थे। वह एक केस की पैरवी कर रहे थे। मसला काफी संगीन था, जरा भी असावधानी बरती जाती तो संभव था कि अभियुक्त को फांसी की सजा हो जाती। इसलिए वह गंभीर होकर जिरह किए जा रहे थे।

उसी समय किसी व्यक्ति ने उनके नाम का एक तार हाथ में थमा दिया। उन्होंने तार को पढ़ा और जेब में रखकर पुनः पैरवी करने लगे।

अदालत उठी तो वह जल्दा-जल्दी अहाते से बाहर निकले। उनको हडबड़ाया देख कर उनके साथी वकील ने पूछा, "क्या बात है, तार किसका था?"

वह बोले, "मेरे पत्नी का स्वर्गवास हो गया है। तार उसी के बारे में था।"

साथी वकील बोला, "कमाल है! इतना बड़ा हादसा हो गया और तुम बहस करते रहे।" सरदार पटेल बोले, "करता भी क्या? वह तो जा ही चुकी थी। क्या उसके पीछे उस अभियुक्त को भी चले जाने देता ?"

महात्मा बुद्ध की सीख

उस स्त्री का एक ही बेटा था, वह भी मर गया तो रोती-बिलखती वह महात्मा बुद्ध के पास पहुंची और उनके पैरों में गिरकर बोली, "महात्माजी, आप किसी तरह मेरे लाल को जीवित कर दें।"

महात्मा बुद्ध ने उसके प्रति सहानुभूति जताते हुए कहा, "तुम शोक न करो। मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूंगा लेकिन एक शर्त है कि तुम किसी ऐसे घर से भिक्षा के रूप में कुछ भी मांग लाओ जहां किसी व्यक्ति की कभी मृत्यु न हुई हो। "

उस स्त्री को कुछ तसल्ली हुई और दौड़कर गांव में पहुंची। अब वह ऐसा घर खोजने लगी जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। उसने बहुत ढूंढा लेकिन ऐसा कोई घर उसे नहीं मिला। वह निराश होकर महात्मा बुद्ध के पास आई और वस्तुस्थिति से अवगत कराया।

तब बुद्ध बोले, "यह संसार चक्र है। यहां जो आता है, उसे एक दिन अवश्य ही जाना पड़ता है। तुम्हें इस दुख को धैर्यता से सहन करना चाहिए। "

******

कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान न्यायाधिकरण में डिजिटल माध्यम से की गई गतिविधियां

श्री मनोज कु. अग्रवाल, लेखा सदस्य, मुंबई

परिंदों को मंजिलें मिलेगी यक़ीनन
ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं
अक्सर वो लोग ख़ामोश रहते हैं
ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं

कोरोना महामारी आधुनिक समय में निश्चित तौर पर मानवता के सामने पेश आने वाली सबसे गंभीर एवं भयंकर चुनौती रही है । इस महामारी ने २०२० के मार्च माह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त कर दिया तथा पूरा देश लॉकडाउन की चपेट में आ गया । जीवन की गति पूर्ण रूप से रुक गई तथा चारों तरफ़ निराशा का घनघोर अंधकार छा गया । सरकारी काम पूर्ण रूप से ठप्प पड़ गया तथा यह स्वाभाविक ही था कि आयकर अपीलीय अधिकरण का कार्य भी पूरी तरह से स्थिर हो गया । ऐसी विपरीत स्थितियों में अधिकरण के सदस्यों एवं अधिकारियों के मनोबल को मज़बूत बनाए रखने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय न्यायमूर्ति श्री पी.पी. भट्ट द्वारा अप्रैल माह की शुरुआत में एक प्रपत्र जारी करते हुए निर्देश दिया गया कि लॉकडाउन के समय का सदुपयोग करते हुए विभिन्न विषयों पर इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा विभिन्न वेबिनार और कार्यक्रम आयोजित किए जाएं । दिशा-निर्देश यह थे की विषय केवल आयकर से संबंधित ही न हों बल्कि अन्य विषय जैसे की स्वास्थ्य, अध्यात्म और हॉलिस्टिक वैलनैस भी शामिल किए जाएं । माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार अप्रैल माह के प्रारंभ से डिजिटल माध्यम से कार्यक्रमों का सिलसिला चलाया गया जिसमें अधिकरण के माननीय सदस्यों और अधिकारियों द्वारा बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया गया और सभी कार्यक्रम बड़ी सफलता पूर्वक आयोजित किये गये।

शुरुआत में आयकर से संबंधित ज्वलंत विषयों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए और धीरे-धीरे अन्य विषय भी इनमें शामिल किए गए। ख़ासतौर से सरकार की नई योजना 'विवाद से विश्वास' से सदस्यों को अवगत करवाया गया और विषय का बारीकी से अध्ययन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड के माननीय अध्यक्ष भी शामिल हुए और उन्होंने अधिकरण द्वारा इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों की काफ़ी सराहना की । साथ ही साथ दिए गए सुझावों पर गहन रुचि भी दिखाई।

जहाँ माह के पहले पखवाड़े में आयकर से संबंधित ज्वलंत विषयों पर ध्यान दिया गया वहीं 10 अप्रैल को अध्यात्म गुरू श्री श्री रविशंकर जी द्वारा ध्यान का कार्यक्रम आयोजित किया गया जो बेहद सफल रहा । माननीय अध्यक्ष महोदय की अगुवाई में इस कार्यक्रम को काफ़ी सफलता मिली और भारी संख्या में सम्मानित व्यक्तियों की उपस्थिति रही । न्यायाधिकरण के सदस्यों द्वारा अध्यात्म का अभ्यास किया गया जिसकी भरसक सराहना हुई । इस कार्यक्रम का मुख्य विषय यह भी था कि अपना कार्य निर्वाहन करते हुए प्रसन्नचित्त कैसे रहें और एक अच्छी ज़िंदगी कैसे जीयें।

इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए 17 अप्रैल को ब्रह्म कुमारी की ओर से शारीरिक और मानसिक स्वस्थता बनाए रखने का कार्यक्रम 'संकल्प से सृष्टि' आयोजित किया गया जिसकी भी काफ़ी सराहना हुई। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए योगगुरु परम पूज्य बाबा रामदेव जी द्वारा योग का कार्यक्रम 'कोरोना संक्रमण और अपेक्षित जीवनशैली' भी आयोजित किए गया । मई माह में परम पूज्य ब्रह्मबिहारीदास स्वामीजी के सानिध्य में 'भविष्य का सामना' नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी प्रकार अन्य कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किये गए जिन्होंने न्यायाधिकरण के प्रत्येक व्यक्ति का ऐसे कठिन समय में मनोबल उच्च स्तर पर बनाए रखा तथा गंभीर स्थिति को मज़बूती के साथ निपटने में काफ़ी मदद की।

इन सभी कार्यक्रमों की बदौलत लॉकडाउन का कठिन समय सहज रूप से गुज़र गया और माननीय अध्यक्ष महोदय की सूझ-बूझ और दूरदर्शिता का एक और उच्चतम उदाहरण मिला। ये उनके प्रयासों का ही नतीजा था जिसकी वजह से एक कठिन दौर में भी सदस्यगणों और अधिकारीगण का मनोबल ऊँचा बना रहा और प्रभु की कृपा से एक बुरा दौर गुज़र गया। किसी ने सही ही कहा है कि फ़र्क सिर्फ़ सोच का होता है सकारात्मक या नकारात्मक, वरना सीढ़ियाँ वहीं होती है जो किसी के लिए नीचे आती हैं और किसी के लिए ऊपर जाती है।

क्यों डरें की ज़िंदगी में क्या होगा, हर वक़्त क्यों सोचें कि बुरा होगा, बढ़ते रहें मंजिलों की ओर, हमें कुछ न मिला तो क्या हुआ, तजुर्बा तो नया होगा।

और अंत में - मुश्किलें हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है क्योंकि वो लोग ही उसे बेहतरीन तरीक़े से अंजाम देने की ताक़त रखते हैं।

******

महिला सशक्तिकरण

श्री मनोज कश्यप
सहायक रजिस्ट्रार
नई दिल्ली

सर्वप्रथम शब्द सशक्तिकरण के अर्थ पर विचार करते हैं। सशक्तिकरण का अर्थ है किसी को शक्तियुक्त, शक्ति संपन्न बनाना या शक्ति प्रदान करना। कैसी विडंबना है कि उस देश में जहां रावण से युद्ध करते हुए स्वयं को शक्तिहीन पाकर सर्वपूजित भगवान राम, शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा से याचना करते हैं, जहां बुद्धि को शुद्ध व निर्मल रखने के लिए देवी सरस्वती की अभ्यर्थना की जाती है, जहां भय निवारण हेतु मां काली के समक्ष नतमस्तक हुआ जाता है, उसी देश में आज महिला सशक्तिकरण विषय पर विचार करने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है।

आइये, पहले भारतवर्ष के इतिहास पर थोड़ी नजर डालते हैं। इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि प्राचीन गुरूकुलों में ज्ञान गंगा प्रवाहमान रखने में गुरू पत्नियों का योगदान स्वयं गुरूओं से कम नहीं रहा है। विदुषी मैत्रेयी, गार्गी, लोपामुद्रा और घोषा के नाम अब भी उस युग की मनीषा के परिचायक हैं। शकराचार्य, जिनके घर का तोता तक संस्कृत में श्लोक पाठ करता था, उन्हें शास्त्रार्थ में पराजित करने वाली मंडन मित्र की पत्नी उभय भारती को क्या सशक्तिकरण की आवश्यकता थी? आध्यात्म व भक्ति के क्षेत्र को प्रकाशित करने वाली मीरा के भजन आज भी भारतीय जन मानस में रचे बसे हैं। आज भी इस क्षेत्र में सहज योग की संस्थापिका मां निर्मला देवी का अपना स्थान है और माता अमृता आनंदमयी आध्यात्म के क्षेत्र को रौशन किये हुए हैं। झांसी आज भी रानी लक्ष्मी बाई के कारण विख्यात है न कि उनके पति राजा गंगाधर राव के कारण। क्या झांसी के रानी की वीरता किसी अन्य पुरूष योद्धा से किंचित मात्र भी कम थी? कित्तूर की रानी चेन्नमा, रानी कर्णावती, रानी दुर्गावती के पराक्रम और अक्षय तेज को भला कौन दीपक दिखला सकता है। अब थोड़ा आधुनिक युग की ओर नजर डालते हैं। प्रबंधन और वित्त के क्षेत्र में इंदिरा नूयी व इंद्रा कोचर, राजनीति के क्षेत्र में राजकुमारी अमृता कौर, सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सुषमा स्वराज, सुमित्रा महाजन के नाम किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। अपने-अपने क्षेत्रों में मेधा पाटकर, किरण बेदी, मदर टेरेसा, अंतरिक्ष तक छलांग लगाने वाली कल्पना चावला व सुनीता विलियम्स औरो के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाली नीरजा भनोट को सशक्त कर सकने का भला कौन दावा कर सकता है? यदि शारीरिक शक्ति को ही श्रेष्ठता का मापदंड माना जाए तो भी कर्णम मल्लेश्वरी, मैरी कॉम, फोगाट बहनें किसी भी सक्षम विरोधी को धूल चटाने में पूरतयः समर्थ हैं।

यदि अंग्रेजी उक्ति 'Responsibility in the cost of greatness'(महानता की कीमत उत्तरदायित्व है) को सही माना जाये तो उल्लेखनीय है कि प्रकृति ने जननी होने का अतिरिक्त उत्तरदायित्व भी महिलाओं के कंधों पर ही डाला है। विनाश करने में क्षण मात्र लगता है, हिरोशिमा और नागासाकी इसके उदाहरण हैं परंतु निर्माण में, और वो भी सभ्य, सुशिक्षित नागरिकों के निर्माण करने में जितने साहस की आवश्यकता है, वह महिलाओं के ही बूते की बात है। पिता रात में बच्चे के रोने पर नींद खराब होने पर फौरन झल्ला उठता है परंतु रात भर जागकर बीमार बालक की सुश्रुषा केवल धैर्यवान माता ही कर सकती है। विख्यात साहित्यकार मुशी प्रेमचंद ने कहा है कि स्त्रीयोचित गुण आने पर पुरूष देवता हो जाता है जबकि पुरूष के गुण पा लेने पर स्त्री राक्षसी बन जाती है।

अब प्रश्न उठता है कि जब उपरोक्त उल्लिखित महिलाएं इतनी समर्थ व सक्षम हैं तो आखिर महिला सशक्तिकरण का मुद्दा उठा ही क्यों ? और यदि मुद्दा भी तो आखिर वे कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें सशक्तिकरण की आवश्यकता है? मेरे विचार से महिला सशक्तिकरण के लिए अगर भारत का पुरूष प्रधान समजा यदि कुछ योगदान कर सकता है तो केवल इतना ही कि वह अपने अहंकार व रूढ़िवादिता को अपने परिवार की महिलाओं के मार्ग का रोड़ा, उनके पांवों की बेड़ियां न बनने दे। हर वर्ष बोर्ड की परीक्षा में छात्राओं का छात्रों से बढ़कर उत्तीर्ण होने का प्रतिशत इस बात का साक्षी है कि सभी बंधनों, कम सुविधाओं के बावजूद भी छात्राएं छात्रों से कहीं बेहतर प्रदर्शन कर रही है। घोड़े के पावों में रस्सी बांधकर गधे के साथ दौड़ाना और फिर उसके पिछड़ने पर उसके सामर्थ्यहीन होने का ताना देना भला कहां कि बुद्धिमता है? आज प्रशासन, विधि, चिकित्सा, शिक्षा के क्षेत्रों की तो बात ही क्या, सशस्त्र सेना तक में महिलाओं की भागीदारी है। अपने जयपुर प्रवास के दौरान महिला मोर्चा, महिला कुली व महिला ई-रिक्शा चालक को निशंक भाव से सड़कों पर अपनी रोजी-रोटी कमाते मैंने स्वयं देखा है। कम से कम ऐसी महिलाओं को किसी और के द्वारा सशक्त किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। आज के युग में आर्थिक रुप से दूसरे पर आश्रित होना ही सबसे बड़ी विकलांगता है। साथ ही महिलाओं को इस बात पर विचार करने की भी आवश्यकता है कि प्राकृतिक रुप-लावण्य लोगों के मन में क्षणिक मोह-आकर्षण तो उत्पन्न कर सकता है परंतु उनके मन में अपने प्रति स्थायी सम्मान उत्पन्न करने के लिए महिलाओं को रियायत मांगना बंद करना होगा व कर्मठ बनना होगा। व्यक्तिगत तौर पर मैं अपने कार्यालय की उस महिला कर्मचारी का ह्रदय से सम्मान कर सकता हूं जो अपने रोगी पति के दीर्घकाल से शैय्यारूढ़ रहने पर भी कार्यालय के कार्य में कोई कोताही नहीं करती और जिसकी

कार्यक्षमता पर उसकी घरूलू परिस्थितियों के बावजूद भी भरोसा किया जा सकता है परंतु दूसरी ओर ऐसी महिला कर्मचारी, जो फाइलों को रैक से निकालने को लड़कों का काम बताएं, उसके प्रति मेरे मन में श्रद्धा का अभाव होना स्वभाविक है। यदि आपको अधिकारों में बराबरी की इच्छा है तो उत्तरदायित्व में बराबरी भी अपरिहार्य है। विशेषाधिकार मांगने वाला समानता का अधिकार स्वंय ही खो देता है। यदि आप खेत में मिट्टी खोदने में बराबर फावड़ा चलायेंगे तो सिंहासन पर साथ बैठने के आपके अधिकार को भला कौन चुनौती दे सकता है?

******

"राजभाषा हिंदी की यात्रा- विकास एवं संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी"

श्री मनीष भोई
सहायक रजिस्ट्रार, इंदौर

भारत विभिन्न भाषाओं का देश है। जैसे कि एक लोकोक्ति है - "हर दो मील में पानी बदले और हर चार मील में भाषा"। 1961 की जनगणना के अनुसार भारत में 1652 मातृभाषा बोली जाती है जो कि आनुवांशिक रूप से 05 विभिन्न भाषाई परिवार से आती हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार विभिन्न मातृभाषाओं की 10,400 पांडुलिपियां मौजूद थीं जिन्हें 1576 मातृभाषाओं में व्यवस्थित किया गया। इसके उपरांत पूरे देश में 2001 में कुल 122 भाषाएं तथा 234 मातृभाषाओं को व्यवस्थित किया गया। हालांकि भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची के अनुसार कुल 22 भाषाएं हैं ये भाषाएं हैं 1.आसामी 2.बंगाली 3.गुजराती 4.हिंदी 5.कन्नड 6.कश्मीरी 7.कोंकणीं 8.मलयालम 9.मणिपुरी 10.मराठी 11.नेपाली 12.ओडिया 13.पंजाबी 14.संस्कृत 15.सिंधी 16.तमिल 17.तेलगु 18.उर्दू 19.बोडो 20.संथाली 21.मैथिली 22.डोगरी।

भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के समय हालांकि प्रत्येक भाषा ने औपनिवेशिक राज्य़ के विरूध्द अपनी भूमिका निभाई थी किंतु उस समय भी राष्ट्रीय भाषा की आवश्यकता महसूस की गई थी एक देश जहाँ कि विभिन्न भाषाएँ तथा अनेकानेक बोलियाँ बोली जाती हों उस देश के लोगों को एक सूत्र में पिरोने के लिए तथा पूरे देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए एक ऐसी भाषा की आवश्यकता थी जो सभी को स्वीकार्य हो। भारतीयों को एकजूट रख कर देश निर्माण का कार्य करना एक बहुत बड़ा कार्य था जिसका बीड़ा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने उठाया। महात्मा गांधी जी ने स्वयं इस बात पर बल दिया कि भारत को एक सूत्र में जोड़ने के लिए एक राष्ट्र भाषा की आवश्यकता है। उन्होनें सन 1917 में भरुच में हुए गुजरात शिक्षा संगोष्ठी में कहा कि हिंदी ही वह भाषा हो सकती है जो कि भारत की राष्ट्र भाषा बने क्योंकि यह पूरे भारत वर्ष में बहुसंख्यक लोगों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है।हिंदी में वो सभी गुण हैं कि वह आर्थिक,राजनैतिक तथा सामाजिक संचार की माध्यम बने। स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी ने पूरे भारत के एकीकरण का समाधान दिया अनेकानेक भाषाई समूहों तथा गठित विधान सभाओं के विरोध के पश्चात हिंदी को अग्रेजी के साथ देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में दिनांक 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया।इसलिए प्रत्येक वर्ष के 14 सितंबर को उसकी स्मृति में राष्ट्रीय हिंदी दिवस/हिंदी दिवस मनाया जाता है। आज 40 करोड़ भारतीय लोगों की मातृभाषा हिंदी है। 2011 के जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या के 41 प्रतिशत लोग बोलचाल में हिंदी का प्रयोग करते हैं। बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, उत्तराचंल, छत्तीसगढ़, झारखंड़ तथा राजस्थान राज्यों की राज्य भाषा है। प्रवासी भारतीय जो अमेरिका, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका, यमन, न्यूजीलैंड तथा नेपाल इत्यादि देशों में पूरे विश्व में बसे हुए हैं वे सभी हिंदी बोलते हैं इस तरह हिंदी पूरे विश्व में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है।

हिंदी भाषा का संक्षिप्त परिचय

हिंदी संस्कृत की अनुगामी भाषा के रूप में जानी जाती है। संस्कृत को देवभाषा के रूप में जाना जाता है जिसे भारत के उत्तर-पश्चिमी प्रांत में बसने वाले आर्यन सभ्यता के लोगों के द्वारा बोला जाता था। यह महान इंडो-यूरोपियन भाषाओं के आधुनिक इंडो-आर्यन भाषा के परिवार से संबंधित है। कालांतर में कलात्मक संस्कृत से पाली-प्राकृत,अपभ्रंश होते हुए हिंदी विभिन्न चरणों से गुजरते हुए विकास के इस क्रम में पहुंची है। हिंदी का सर्वप्रथम रूप हिंदवी कहलाता है। हिंदुस्तानी तथा खड़ी बोली की उपस्थिति इतिहास में दसवीं शताब्दी में मिलती है। हिंदी का वर्तमान प्रकार तकरीबन 300 वर्ष पुराना है।

10वीं सदी में प्राकृत के बाद अपभ्रंश से शुरू हुई हिंदी ने कई रूप बदले। कभी इस पर अरबी,फारसी तथा तुर्की शब्दों का प्रभाव रहा तो कभी स्थानीय बोलियों का। इसने संस्कृतनिष्ठ रूप भी लिया तो आधुनिक काल में अंग्रेजी शब्दों को अपनाते हुए जन-जन की भाषा बनी।

इसे मोटे तौर पर पांच काल में विभाजित किया जा सकता है।

1.	**पूर्व आदिकाल**	हिंदी का आरंभ काल 1050 से 1375 तक माना गया है। अपभ्रंश में शारंगधर के हम्मीर रासो की रचना तथा हिंदी का अनगढ़ रूप दिखाई देता है।
2.	**उत्तर आदिकाल**	हिंदी में लिखने वाले फारसी के पहले कवि अमीर खुसरो (1253-1325) खड़ी बोली को चलन में लाने का श्रेय। दैनिक जन-जीवन के प्रसंगों की अभिव्यक्ति।
3.	**भक्ति काल**	कवितावली - तुलसीदास (1532-1623) भक्तिकाल 1400 से 1650 तक माना गया है। यह मानव के गरिमामय प्रतिष्ठा का काल माना जाता है। ईश्वर को सर्वोत्तम आदर्श का प्रतीक माना गया है।
4.	**रीति काल**	दोहे - बिहारी (1595-1664) रीतिकाल का समय 1650 से 1850 तक माना गया है। हिंदी पर ब्रज तथा अवधि जैसी भाषाओं का प्रभाव रहा।इस काल में सांसारिक प्रसंगों की भावपूर्ण अभिव्यक्ति की गई।
5.	**भारतेंदू युग**	आधुनिक काल 1850 से अब तक माना गया है।हिंदी ने गद्य एवं आलोचना का रूप लिया। अरबी,फारसी,तुर्की के साथ संस्कृत के शब्द समाहित हुए।

<u>प्रसंग</u>

चंद्रकाता एक तिलस्मी रचना जो कि न सिर्फ हिंदी के शुरूआती उपन्यासों में से एक है अपितु हिंदी के प्रचार-प्रसार में यह उपन्यास महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है।1888 में देवकी नंदन खत्री का लिखा उपन्यास प्रकाशित हुआ। इसके कई संस्करण बिक गए। इससे उत्साहित होकर उन्होनें 24 भागों वाला चंद्रकांता संतति लिखा। यह रोचक उपन्यास इतना लोकप्रिय हुआ कि इसे पढ़ने के लिए हजारों गैर-हिंदी भाषियों ने हिंदी सीखी। दक्षिण भारत में तो हिंदी सिखाने वाले कई केंद्र स्थापित हो गए।

आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती 1972 में कोलकाता में किसी प्रसंगवश धार्मिक उपदेशक केशवचंद्र सेन से मिले। सेन ने उन्हें सलाह दी की आप संस्कृत छोड़ कर हिंदी बोलना प्रारंभ करें। इससे भारत का असीम कल्याण होगा। तभी से स्वामीजी के व्याख्यानों की भाषा हिंदी हो गई। इसी कारण स्वामीजी ने अपनी रचना सत्यार्थ-प्रकाश की भाषा भी हिंदी ही रखी।

2011 के जनगणना के मुताबिक भारत में 41.03 प्रतिशत लोगों की मातृभाषा हिंदी है। हिंदी को दूसरी भाषा के तौर पर इस्तेमाल करने वाले अन्य भारतीयों को मिला लिया जाए तो देश के लगभग 75 प्रतिशत लोग हिंदी बोल सकते हैं। इन्हें मिलाकर पूरी दुनियां में तकरीबन 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इसे बोल या समझ सकते हैं। भारत के अलावा इसे नेपाल, मारिशस, फिजी, सूरीनाम, यूगांडा, दक्षिण अफ्रीका कैरेबियन देशों ट्रिनिडाड तथा टोबेगो और कनाडा में बोलने वालों की अच्छी खासी संख्या है।

<u>इंदौर में 1910 में गांधीजी की प्रेरणा से मध्यभारत हिंदी साहित्य समिति बनी</u>। 29 मार्च 1918 को समिति के आठवें अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए गांधीजी ने पहली बार हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा का दर्जा देने की बात कही थी।

पृष्ठभूमि- कलात्मक संस्कृत तथा प्राकृत की अवधि (अनुमानित तिथि)	
750 ई.पू.	वैदिक काल के उपरांत संस्कृत का क्रमिक विकास
500 ई.पू.	बुद्ध के प्राकृत लिपि तथा जैन उद्भव (पूर्वी भारत)
400 ई.पू.	पाणिनि द्वारा संस्कृत व्याकरण की रचना (पश्चिमी भारत), वैदिक से पाणिनि संस्कृत का संक्रमण काल
322 ई.पू.	ब्राम्ही लिपि, मौर्यों के प्राकृत में लेख (पाली)
250 ई.पू.	कलात्मक संस्कृत का उद्भव, संस्कृत ने क्रमिक विकास में प्राकृत लेख का स्थान लिया।
320	गुप्त काल अथवा सिद्ध-मातृका लेख का उद्भव
अपभ्रंश तथा प्राचीन हिंदी का उद्भव	
400	विक्रमवशंम में कालिदास द्वारा अपभ्रंश
550	वल्लभी के दर्शन में अपभ्रंश साहित्य का उल्लेख
779	"कुवालयामाला" में उद्योतन सूरी के द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख
769	सिद्धा सहस्त्रपद द्वारा "दोहाकोश" की रचना, जिन्हें प्रथम हिंदी कवि माना गया
800	इस अवधि के उपरांत संस्कृत साहित्य के टीका प्रचुर मात्रा में उपलब्ध
933	देवसेना का "सर्वाकाचार"- प्रथम हिंदी पुस्तक मानी गयी
1100	आधुनिक "देवनागरी" लिपि का उद्भव

1145-1229	हेमचन्द्र ने अपभ्रंश व्याकरण लिखा
अपभ्रंश का ह्रास तथा आधुनिक हिंदी का उद्भव	
1283	खुसरो की पहेलियां तथा मुकरीज "हिंदवी" शब्द का प्रयोग
1398-1518	कबीर की रचनाएं – "निर्गुण भक्ति काल"
1370	असाहत की "हंसावली" से प्रेम-कहानियों के काल का प्रारंभ
1400-1479	"रायघु"- महान अपभ्रंश कवि का अंतिम काल
1450	रामानंद से "सगुण भक्ति" काल का प्रारंभ
1580	बुरहानुद्दीन जैनम की "कालमितुल-हकायत" पूर्वी दख्खनी रचना
1585	नभदास की "भक्तकमल" - हिंदी भक्ति कवि
1601	बनारसीदास की "अर्ध-कथानक" प्रथम आत्मकथा हिंदी में
1604	"आदि-ग्रंथ" गुरू अर्जनदेव के कार्यों का संकलन विभिन्न कवियों द्वारा
1532-1623	कालजयी कृति "रामचरित मानस" तुलसी दास जी द्वारा
1623	"गोरा बादल की कथा" जाटमल द्वारा खड़ी बोली में
1643	"रीतिकाल" रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा प्रारंभ
1645	शाहजंहा ने दिल्ली के किला का निर्माण करवाया उसके आस-पास बोली जाने वाली भाषा को "उर्दू" कहा गया।
1667-1707	वाली की रचनाएं लोकप्रिय हुईं, उर्दू ने क्रमशः दिल्ली सल्तनत के फारसी को प्रतिस्थापित करना प्रारंभ किया। जिसे सौदा, मीर इत्यादी ने बहुधा "हिंदी" कहा।
1600-1825	बिहारी से पद्माकर तक के कवियों का ओरछा तथा अन्य शासकों द्वारा आश्रय
आधुनिक हिंदी साहित्य का उद्भव	
1796	पूर्वकालिक टंकण आधारित देवनागरी लिपि का मुद्रण
1805	"लालूलाल प्रेमसागर"- फोर्ट विलियम्स कॉलेज कोलकाता से प्रकाशित
1813-46	महाराजा स्वाति तिरुनल रामा वर्मा (ट्रावणकोर) ने हिंदी के साथ-साथ दक्षिणी भाषा में भी "छंद" की रचना की।
1826	"उदंत मार्तंड" कोलकाता से प्रकाशित हिंदी साप्ताहिक
1837	"ओम जय जगदीश हरे" के रचियता फुलौरी का जन्म
1839,1847	"हिंदी साहित्य का इतिहास" फ्रेंच में गारसिन दी टेसी द्वारा
1833-86	गुजराती कवि नर्मत ने हिंदी को "राष्ट्र-भाषा" के रूप में प्रस्तावित किया।
1850	उर्दू को हिंदी बोलना अभ्यास से बाहार।
1854	"समाचार सुधावर्षन" हिंदी डेली का कोलकाता से प्रकाशन
1873	"पदार्थ-विज्ञान" (रसायन) - महेंद्र भट्टाचार्य की हिंदी में
1877	"भाग्यवती" – श्रद्धाराम फिलौरी का उपन्यास
1886	आधुनिक हिंदी साहित्य का "भारतेंदू युग" का प्रारंभ
1893	बनारस में "नागरी प्रचारिणी सभा" की स्थापना
1900	"सरस्वती" में किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी "इंदुमति"
1913	"राजा हरिशचंद्र" प्रथम हिंदी सिनेमा – दादा साहब फाल्के द्वारा
1918-1938	"छायावाद काल"
1918	दक्षिण भारत "हिंदी प्रचार सभा" की स्थापना – महात्मा गांधी द्वारा
1929	"हिंदी साहित्य का इतिहास" – आचार्य रामचंद्र शुक्ल
1931	"आलमआरा" - प्रथम हिंदी सिनेमा संवाद के साथ
1930	हिंदी टंकण यंत्र (नागरी लेखन यंत्र) का प्रादुर्भाव
हमारा युग	
1949	राजभाषा अधिनियम से "हिंदी" केंद्रीय सरकारी कार्यालयों में अनिवार्य
1950	"संविधान के द्वारा हिंदी संघ की राजभाषा"

सांविधिक व्यवस्था

राजभाषा के विषय में विधान मंडल के द्वारा विस्तार से विचार-विमर्श किया गया तथा यह सुनिश्चित किया गया कि हिंदी देवनागरी लिपि में संघ की राजभाषा होगी। इसी आधार पर संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। भारत के संविधान का भाग 18 राजभाषा की स्थिति को इस तरह से स्पष्ट करता है।

अनुच्छेद 343. संघ की राजभाषा

संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।

खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था :

परन्तु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान, आदेश द्वारा, संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा।

इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, संसद उक्त पन्द्रह वर्ष की अवधि के पश्चात, विधि द्वारा

(I)अंग्रेजी भाषा का, या

(II)अंकों के देवनागरी रूप का,

अनुच्छेद 344. राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति--

राष्ट्रपति, इस संविधान के प्रारंभ से पांच वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात ऐसे प्रारंभ से दस वर्ष की समाप्ति पर, आदेश द्वारा, एक आयोग गठित करेगा जो एक अध्यक्ष और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करे और आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी।

आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को--

संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग,

संघ के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधनों,

अनुच्छेद 348 में उल्लिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा,

संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप,

संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा और उनके प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्देशित किए गए किसी अन्य विषय, के बारे में सिफारिश करे।

खंड (2) के अधीन अपनी सिफारिशें करने में, आयोग भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्यायसंगत दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा।

एक समिति गठित की जाएगी जो तीस सदस्यों से मिलकर बनेगी जिनमें से बीस लोक सभा के सदस्य होंगे और दस राज्य सभा के सदस्य होंगे जो क्रमशः लोक सभा के सदस्यों और राज्य सभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे।

समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह खंड (1)के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करे और राष्ट्रपति को उन पर अपनी राय के बारे में प्रतिवेदन दे।

अनुच्छेद 343 में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति खंड (5) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् उस संपूर्ण प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निदेश दे सकेगा।

अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश

संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।

भारत सरकार के कदम

संविधान के उपरोक्त अनुच्छेदों के प्रबंधों के अनुसार राजभाषा अधिनियम 1963 (यथासंशोधित 1967) अधिनियमित की गई जिसके अनुसार 25 जनवरी 1965 के पश्चात भी राजकीय कार्यों में अंग्रेजी को जारी रखा गया। इस अधिनियम के अनुसार कुछ विशेष प्रयोजनों यथा संकल्प, सामान्य आदेश, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्तियां, संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने वाले आधिकारिक दस्तावेज, करार, निविदा-सूचनाएं तथा निविदाओं के प्रपत्र इत्यादि शामिल हैं।

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 8(1) के प्रावधानों के अनुसार सन 1976 में राजभाषा नियम बनाया गया जिसके मुख्य बिंदु निम्नानुसार हैं।

1.यह केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त आयोग, समिति एवं अधिकरण, निगम

एवं कंपनी जो कि केंद्रीय सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्राणाधीन हैं पर लागू होंगें।

2.केंद्रीय सरकार के कार्यालय उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड़, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड़, बिहार, झारखंड़, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तथा अंडमान निकोबार के केंद्रशासित क्षेत्र एवं क क्षेत्र में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ हिंदी में पत्राचार करेंगें।

3.केंद्र सरकार के कार्यालय पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र तथा चंड़ीगढ़ केंद्रशासित क्षेत्र के कार्यालयों से सामान्यतः हिंदी में पत्राचार करेंगें। हालाकि 'ख' क्षेत्र में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति से हिंदी अथवा अग्रेंजी में पत्राचार करेंगें।

4.केंद्र सरकार के कार्यालय ग क्षेत्र के उन सभी राज्य सरकारों के कार्यालयों तथा केंद्रशासित प्रदेश के उन कार्यालयों से जो क तथा ख क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं(केंद्र सरकार के कार्यालयों के अतिरिक्त) से पत्राचार हिंदी में करेंगें।

5.केंद्र सरकार के कार्यालय आपस में तथा केंद्र सरकार के कार्यालयों एवं राज्य सरकार / केंद्रशासित क्षेत्र एवं व्यक्तियों के साथ समय-समय में निर्धारित मानदंडो के आधार पर हिंदी में करेंगें।

6.केंद्र सरकार से संबंधित सभी मेनुअल, कोड तथा प्रकियात्मक साहित्य हिंदी एवं अंग्रेजी में होंगें। सभी प्रपत्र, नाम-पट्ट, सूचना-फलक, लेखन-साम्रगी एवं रजिस्टरों के शीर्ष हिंदी में होंगें।

7.अधिनियम के तहत धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किए जाने वाले समस्त दस्तावेज हिंदी तथा अंग्रेजी में जारी किए जाएंगें। जिसका उत्तरदायित्व हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का होगा।

8.यह केंद्र सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रमुख का उत्तरदायित्व होगा कि अधिनियम के उप-नियम 2 के अंतर्गत जारी नियम तथा निदेशों का समुचित पालन हो तथा इन उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए जांच-बिंदू बनाएं।

राजभाषा 1968 के संकल्पों के अनुपालन में राजभाषा विभाग प्रत्येक वर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम जारी करता है। उक्त वार्षिक कार्यक्रम में केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के लिए मूल रूप से हिंदी में पत्राचार किए जाने के लिए लक्ष्य निर्धारित करती है।तथा उन लक्ष्यों की प्राप्ति एवं हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित उपलब्धियों के विषय में सूचना एकत्रित किए जाने के लिए केंद्र सरकार के प्रत्येक कार्यालय से प्रत्येक तिमाही में एक रिपोर्ट मंगवाती है। इन तिमाही रिपोर्ट के आधार पर वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की जाती है। जिसे संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखे जाते हैं। राजभाषा नीति के कार्यान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिए पूरे भारत में आठ स्थानों- बेंगलुरू, कोचीन, मुंबई, कोलकाता, गोहाटी, भोपाल, दिल्ली तथा गाजियाबाद में क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय स्थापित किए गए हैं।

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग की आवधिक समीक्षा करने के लिए सर्वप्रथम 1976 में एक संसदीय समिति का गठन किया गया। इस समिति में लोकसभा के 20 सांसद एवं राज्यसभा के 10 सांसद, सदस्यों के रूप में होते हैं। संघ की राजभाषा हिंदी के उन्नयन हेतु शीर्ष नीति निर्धारण एवं विभिन्न दिशा-निदेश तैयार किए जाने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 1967 में एक सर्वोच्च समिति, केंद्रीय हिंदी समिति गठित की गई। उक्त केंद्रीय हिंदी समिति के निदेश पर सभी मंत्रालयों/विभागों में केंद्रीय हिंदी सलाहकार समिति का गठन किया गया जो कि मंत्रालय की अगुवाई में कार्य करती हैं।

इसके अतिरिक्त संघ के राजकीय कार्यों में हिंदी का प्रयोग, समय-समय पर राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा-निदेशों के कार्यान्वयन तथा कर्मचारियों के हिंदी में प्रशिक्षण की स्थिति की समीक्षा के लिए केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया। शहरों में जहाँ केंद्रीय सरकार के कम से कम 10 कार्यालय हैं वहाँ अपने सदस्य कार्यालयों में संघ की राजभाषा हिंदी के प्रयोग की समीक्षा किए जाने के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया। अब तक पूरे भारत में 255 नगर राजभाषा समिति का गठन किया जा चुका है।

राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार ने सभी मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमो एवं उनके प्रत्येक कार्यालयों में प्रत्येक वर्ष इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार की योजना चलाई है। इसके तहत हिंदी में मूल रूप से उत्कृष्ट पुस्तक लेखन के लिए बैंक, वित्तीय संस्थानों, विश्वविद्यालयों, प्रशिक्षण संस्थानों एवं स्वायत्तशासी संस्थानों के वर्तमान अधिकारी/ कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए नगद पुरस्कारों की योजना लागू है। हिंदी के प्रचार-प्रसार एवं उसे बढ़ावा देने के लिए आधुनिक विज्ञान तथा तकनीक एवं समकालीन विषयों के सभी शाखाओं में हिंदी में पुस्तक लिखने के लिए भारत के समस्त नागरिकों के लिए विशेष पुरस्कार योजना चलाई जा रही है। राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए क्षेत्रीय एवं स्थानीय स्तरों पर भी अनेक योजनाएं कार्यान्वित की गई है। सरकार ने हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी में प्रशिक्षण दिए जाने हेतु अखिल भारतीय स्तर पर कुल 119 पूर्ण कालिक तथा 49 अंशकालिक केंद्र स्थापित किए हैं। कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई तथा गोहाटी में कुल पांच स्थानों पर हिंदी शिक्षण योजना के क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए हैं। यह कार्यालय देश के विभिन्न भागों में हिंदी शिक्षण योजना को अकादमिक तथा प्रशासनिक सहयोग प्रदान करती है। उत्तर-पूर्वी भारत में हिंदी प्रशिक्षण के बढ़ते हुए माँग को देखते हुए गुवाहटी में एक नया क्षेत्रीय मुख्यालय खोला गया

है तथा इंफाल, आइजॉल एवं अगरतला में नए हिंदी प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं।

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 31 अगस्त 1985 में की गई है। जिसके द्वारा हिंदी भाषा/हिंदी टंकण/हिंदी आशुलिपि का गहन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम नियमित रुप से एवं पत्राचार पाठ्यक्रम के द्वारा हिंदी भाषा/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। मार्च 1971 में केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की गई थी जो कि मंत्रालय/विभागों केंद्र सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों तथा बैंकों के गैरसांविधिक साहित्य, मैनुअल्स, कोड तथा प्रपत्र के अनुवाद का कार्य करती है। इसके अलावा यह केंद्र सरकार के कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए लघु-अवधि के अनुवाद पाठ्यक्रम का आयोजन करती है।

सूचना एवं प्रसारण की नई तकनीक के आगमन से राजभाषा हिंदी का डिजीटली प्रचार-प्रसार किए जाने के लिए विभिन्न सॉफ्टवेयर तथा कंप्यूटर के एप्लीकेशन टूल्स विकसित किए गए हैं। राजभाषा विभाग ने www.rajbhasha.gov.in के नाम से अपना पोर्टल विकसित किया है जबकि लगभग सभी मंत्रालयों एवं विभागों के वेबसाइट हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। ट्विटर, फेसबुक, व्हाटस-अप जैसे सोशल मीडिया साइट्स ने अपने यूजर्स के लिए हिंदी में कार्य करने का विकल्प उपलब्ध किया है। ऑपरेशनल रिसर्च से संबंधित "रीजनल मार्केटिंग इन द डिजीटल एज" नामक संस्था ने अपने रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया है कि भारत के शहरों में इंटरनेट यूज करने वाले लोगों में 60 प्रतिशत यूजर्स ने इंटरनेट की हिंदी की सूचना-साम्रगी को एक्सेस किया है उसके उपरांत क्षेत्रीय भाषा तमिल एवं मराठी से संबंधित सूचना-सामाग्रियों को एक्सेस किया गया है। भारत सरकार ने भी हिंदी बोलने वाले राज्यों को निदेश दिया है कि अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म में हिंदी का समकक्ष उपयोग करें। इसके अतिरिक्त सभी मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों तथा बैकों को यह निदेश जारी किया है कि उनके द्वारा ट्विटर, फेसबुक, गुगल, यूट्यूब तथा ब्लॉग आदि सोशल मीडिया के द्वारा चलाए जाने वाले आधिकारिक एकॉउंटस में हिंदी भाषा को प्राथमिकता दें। हिंदी में अपना सर्वाधिक कार्यालयीन कार्य करने वाले तीन व्यक्तियों को नकद पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को इंगित किया है कि डिजीटली, हिंदी भाषा शीघ्र ही प्रमुख भाषा का स्थान प्राप्त कर लेगी। उपरोक्त सभी पर विचार करते हुए हिंदी का भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा है।

******

लक्ष्य
(स्वरचित कविता)

श्री टी.सी. नायर,
वरिष्ठ निजी सचिव,
अहमदाबाद

सत्य जैसी कोई तपस्या नहीं
आत्म-सुख जैसा कोई बंधु नहीं।

ज़िन्दगी का महत्व ज़िन्दगी में है
आदमी का महत्व उसके कर्म में है।

रोटी को मिट्टी मत बनाओ
मिट्टी को रोटी बनाओ।

प्रकृति विशाल और सुन्दर है
प्रकृति के साथ जुड़ना एक प्रभाव है।

प्रकृति से प्यार करो
और प्रकृति के सान्निध्य में रहो।

फल देता है वृक्ष बिना मूल्य से और
फल बेचे मूल्य से, मानव जाति।

उत्साह से बने हम सुन्दर जीवित और
ऊर्जा से बने हमारा कर्म

ऊजाला जरूर मिलेगा एक दिन
उदास कभी ना होना, ज़िन्दगी हमारी है।

सत्य जैसा कोई तपस्या नहीं
आत्म-सुख जैसा कोई बंधु नहीं।

******

मालिक और कर्मचारियों के बीच का कैसा हो रिश्ता?

श्री अखिलेश कुमार
निजी सचिव, इंदौर

मालिक और कर्मचारी एक दूसरे से पूरक होते हैं तथा एक दूसरे के बिना दोनों का ही कोई आस्तित्व नहीं होता है। कोई भी उद्योग, संस्थान, व्यवसाय, दुकान आदि है तो मालिक और कर्मचारी भी स्वाभाविक रूप से होंगे ही।

अब सवाल यह उठता है कि मालिक और कर्मचारी के बीच रिश्ता कैसा होना चाहिए ? इस सवाल का सीधा सा जवाब यह है कि दोनों के बीच रिश्ता ऐसा हो कि वे एक-दूसरे का पूरा-पूरा ख्याल रखें। कारण मालिक से कर्मचारी का आस्तित्व तथा कर्मचारी से मालिक का आस्तित्व बना रहता है। यह आस्तित्व भविष्य में तभी बना रह सकता है जब दोनों एक-दूसरे के पूरक हो।

किसी भी संस्थान की तरक्की के लिए खुशनुमा माहौल का होना बहुत ही जरूरी होता है। मालिकों को अपने कर्मचारियों के लिए उर्जात्मक वातावरण तैयार करना चाहिए ताकि लोग खुशी-खुशी अपने काम को अंजाम देते रहें। इस तरह के माहौल में काम करने वाले लोगों की कार्यक्षमता बढ़ती है फलस्वरूप अच्छा और बेहतरीन कार्य होता है। संस्थान का भी विकास होता है तथा साथ ही साथ बेहतर साख का निर्माण होता है।

कर्मचारियों का भी कर्तव्य बनता है कि वे अपने संस्थान के बेहतरी के लिए समर्पण की भावना रखते हुए ईमानदारी से शानदार प्रदर्शन करें। उन्हें पूरे तन-मन से अपने संस्थान, उद्योग, व्यवसाय आदि के कार्य करना चाहिए ताकि विकास का वातावरण निर्मित हो सकें। इससे मालिक के मन में भी अपने कर्मचारियों के लिए सॉफ्ट कार्नर बनेगा जो कि निश्चित रूप से कर्मचारियों के हित में ही होगा।

किसी भी संस्थान आदि का विकास उसमें कम करने वाले लोगों की कार्यकुशलता से होता है। अतः मालिक को अपने कर्मचारियों के कौशल को निखारने के लिए हमेशा उचित प्रयास करना चाहिए जिससे लोग अपने कार्य को बेहतर तरीके से करने की योग्यता हासिल कर सकें। कर्मचारी बंधुओं को भी अपनी कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए उचित प्रयास करते रहना चाहिए।

समय-समय पर संस्थान की ओर से उसमें कार्य करने वाले कर्मचारियों को उनके शानदार योगदान के लिए प्रोत्साहित भी करना चाहिए ताकि लोगों के बीच कुछ बेहतर करने की चाहत विकसित हो सकें। इस प्रकार लोगों में अपने संस्थान के लिए कुछ अच्छा करने का जुनून पैदा होगा। फलस्वरूप अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उचित माहौल बनेगा और जहाँ सभी लोग अच्छे काम करेंगे, वहाँ सब कुछ अच्छा ही होगा।

समय-समय पर मालिक और कर्मचारियों के बीच मेल-मिलाप होते रहना चाहिए ताकि अपनापन बना रहे। साथ ही विचारों का आदान-प्रदान भी होना चाहिए ताकि अच्छे सुझावों को अमल में लाया जा सकें। हो सकता है किसी के विचार संस्थान के लिए मील का पत्थर साबित हों। लोगों को अपने विचार रखने की स्वतंत्रता हो ताकि वे खुलकर अपने विचार रख सकें।

कई बार ऐसा होता है कि मामूली सा इंसान भी लाख टके की बात कह जाता है। अतः मालिक और वरिष्ठ लोगों को अपने कर्मचारियों की बातें गंभीरता से सुनना चाहिए और सही लगने पर उचित कदम भी उठाया जाना चाहिए। आपस में मित्रवत वातावरण बनाए रखा जाना चाहिए और साथ ही साथ संस्थान के तरक्की के लिए सभी लोगों को एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए।

प्रकृति का नियम है कि आप इस संसार में जो कुछ देते है वही वापस लौटकर आता है। यदि आप खुशी देते है तो खुशी ही मिलती है। मालिक हो या कर्मचारी यदि आप किसी से नफरत करते हो तो नफरत ही पैदा होगी। तो क्यों न हम एक-दूसरे के प्रति स्नेह और प्रेम की भावना रखें ताकि सभी में सद्भाव पैदा हो।

"जय हिंद !"

******

अनुशासन

श्री रवि कुमार
निजी सचिव, पुणे

क्या अनुशासन का मतलब कोई दिक्कत पैदा होने या कोई गलती हो जाने के बाद उसे दूर करना है? क्या इसका मतलब कोई चीज आपके उपर थोपना है? क्या इसका अर्थ दुर्व्यहार करना है? क्या इसका मतलब आजादी छीन लेना है? इनमें किसी का जबाब हां नहीं है। अनुशासन का मतलब यह नहीं है कि हम अपना डंडा उठाकर बच्चों को पीटना शुरू कर दें। यह तो एक पागलपन है। अनुशासन का मतलब है दृढ़ता। यह एक दिशा है। इसका मतलब है समस्या पैदा होने से पहले ही उसकी वजह को मिटा देना। इसका मतलब है ऊर्जा को बड़ी उपलब्धियां हासिल करने की दिशा में प्रवाहित और व्यवस्थित करना। अनुशासन कोई चीज नहीं है जो हम दूसरों के लिए करते हैं बल्कि यह एक ऐसी चीज है जिसे उन लोगों के लिए करते हैं जो इसकी परवाह करते हैं।

अनुशासन प्यार के इजहार का एक तरीका है। कई बार हमको भलाई करने के लिए सख्ती करनी पड़ती है। सभी दवाईयों का टेस्ट मीठा नहीं होता है और न ही दर्द दिये बिना सारे आपरेशन किये जा सकते हैं। फिर भी हमें इनका सहारा लेना पड़ता है। हमको कुदरत से थोड़ा सबक लेना चाहिए। हमलोग जिराफ नामक भारी भरकम जानवर के बारे में जानते हैं, मादा जिराफ अपने प्रजनन के समय अपने बच्चे को खड़े-खड़े जन्म देती है। जिराफ का बच्चा अपनी मां के नरम कोख से एकाएक कठोर जमीन पर आ गिरता है, और फिर बैठ जाता है। मां सबसे पहला काम करती है कि बच्चे के पीछे जाकर उसे जोरदार ठोकर मारती है। बच्चा खड़ा हो जाता है लेकिन पांव कमजोर होने की वजह से लड़खड़ा जाती है। मां फिर भी बच्चे को ठोकर मारते रहती है जब तक कि बच्चा अपने पांव पर खड़े होकर चलने नहीं लगता। वह ऐसा इसलिए करती है ताकि बच्चा जिंदा रह सके। अगर वह अपने पांव पर खड़ा नहीं होगा तो मांसभक्षी जानवर उसे खा जायेंगे और मां इस बात को जानती है। तो क्या यह प्यार नहीं है? बेशक है। प्रेम और अनुशासन के वातावरण में पले बच्चे बड़े होकर मां-बाप को अधिक इज्जत देते हैं एवं कानून का पालन करने वाले बनते हैं। अच्छे मां बाप अनुशासन लागू करने से नहीं हिचकते, भले ही बच्चे कुछ देर के लिए उन्हें नापसंद करें।

"बाहरी दबावों में नहीं, बल्कि उन मानसिक आदतों को जो कि स्वाभाविक रुप से अवांछनीय गतिविधियों के बजाय वांछनीय रुप से हो, ही अनुशासन है।"

******

एक प्रेरणादायक सत्य

संकलन कर्ताः

श्री चेतन आनंद सुमरा
वरिष्ठ हिंदी अनुवादक,
अहमदाबाद

एक बार पिता और पुत्र साथ-साथ टहलने निकले। वे दूर खेतों की तरफ निकल आये। तभी पुत्र ने देखा कि रास्ते में पुराने हो चुके एक जोड़ी जूते उतरे पड़े हैं, जो संभवतः पास के खेत में काम कर रहे गरीब मजदूर के थे। पुत्र को मजाक सूझा। उसने पिता से कहा- क्यों न आज की शाम को थोड़ी शरारत से यादगार बनायें! आखिर मस्ती ही तो आनन्द का सही स्रोत है। पिता ने असमंजस से बेटे की ओर देखा। पुत्र बोला- हम ये जूते कहीं छुपा कर झाड़ियों के पीछे छुप जाएं, जब वो मजदूर इन्हें यहाँ नहीं पाकर घबराएगा तो बड़ा मजा आएगा। उसकी तलब देखने लायक होगी और इसका आनन्द मैं जीवन भर याद रखूंगा।

पिता, पुत्र की बात सुनकर गम्भीर हुए और बोले- बेटा! किसी गरीब और कमजोर के साथ उसकी जरूरत की वस्तु के साथ इस तरह का भद्दा मजाक कभी न करना। जिन चीजों की तुम्हारी नजरों में कोई कीमत नहीं, वो उस गरीब के लिये बेशकीमती हैं। तुम्हें ये शाम यादगार ही बनानी है, तो आओ, आज हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल दें और छुप कर देखें कि इसका मजदूर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। पिता ने ऐसा ही किया और दोनों पास की ऊँची झाड़ियों में छुप गए।

मजदूर जल्द ही अपना काम ख़त्म कर जूतों की जगह पर आ गया। उसने जैसे ही एक पैर जूते में डाला उसे किसी कठोर चीज का आभास हुआ। उसने जल्दी से जूता हाथ में लिया और देखा कि अन्दर कुछ सिक्के पड़े थे। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और वो सिक्के हाथ में लेकर बड़े गौर से उन्हें देखने लगा। फिर वह इधर-उधर देखने लगा कि उसका मददगार शख्स कौन है? दूर-दूर तक कोई नज़र नहीं आया, तो उसने सिक्के अपनी जेब में डाल दिए। अब उसने दूसरा जूता उठाया, उसमें भी सिक्के पड़े थे, मजदूर भाव विभोर हो गया। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ, आसमान की तरफ देख फूट-फूट कर रोने लगा। वह हाथ जोड़ बोला- हे भगवान् ! आज आप ही किसी रूप में यहाँ आये थे, समय पर प्राप्त इस सहायता के लिए आपका और आपके माध्यम से जिसने भी ये मदद दी, उसका लाख-लाख धन्यवाद। आपकी सहायता और दयालुता के कारण आज मेरी बीमार पत्नी को दवा और भूखे बच्चों को रोटी मिल सकेगी। तुम बहुत दयालु हो प्रभु ! आपका कोटि-कोटि धन्यवाद।

मजदूर की बातें सुन.....बेटे की आँखें भर आयीं। पिता ने पुत्र को सीने से लगाते हुए कहा- क्या तुम्हारी

मज़ाक मजे वाली बात से जो आनन्द तुम्हें जीवन भर याद रहता उसकी तुलना में इस गरीब के आँसू और दिए हुये आशीर्वाद तुम्हें जीवन पर्यंत जो आनन्द देंगे वो उससे कम है क्या?

बेटे ने कहा पिताजी- आज आपसे मुझे जो सीखने को मिला है उसके आनंद को मैं अपने अंदर तक अनुभव कर रहा हूँ। अंदर में एक अजीब सा सुकून है। आज के प्राप्त सुख और आनन्द को मैं जीवन भर नहीं भूलूँगा। आज मैं उन शब्दों का मतलब समझ गया जिन्हें मैं पहले कभी नहीं समझ पाया था। आज तक मैं मजा और मस्ती-मजाक को ही वास्तविक आनन्द समझता था पर आज मैं समझ गया हूँ कि लेने की अपेक्षा देना कहीं अधिक आनंददायी है।

(सोशल मीडिया से साभार)

******

हिंदी की खूबियाँ

आज के छात्रों को भी पता नहीं होगा कि भारतीय भाषाओं की वर्णमाला विज्ञान से भरी है। वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर तार्किक है और सटीक गणना के साथ क्रमिक रूप से रखा गया है। इस तरह का वैज्ञानिक दृष्टिकोण अन्य विदेशी भाषाओं की वर्णमाला में शामिल नहीं है। जैसे देखेः-

क ख ग घ ङ - पांच के इस समूह को "कण्ठव्य" कहा जाता है क्योंकि इस का उच्चारण करते समय कंठ से ध्वनि निकलती है। उच्चारण का प्रयास करें।

च छ ज झ ञ - इन पाँचों को "तालव्य" तालु कहा जाता है क्योंकि इसका उच्चारण करते समय जीभ तालू महसूस करेगी। उच्चारण का प्रयास करें।

ट ठ ड ढ ण - इन पांचों को "मूर्धन्य" मूर्धन्य कहा जाता है क्योंकि इसका उच्चारण करते समय जीभ मुर्धन्य (ऊपर उठी हुई) महसूस करेगी। उच्चारण का प्रयास करें।

त थ द ध न - पांच के इस समूह को दन्तव्य कहा जाता है क्योंकि यह उच्चारण करते समय जीभ दाँतों को छूती है। उच्चारण का प्रयास करें।

प फ ब भ म - पांच के इस समूह को कहा जाता है ओष्ठव्य क्योंकि दोनों होठ इस उच्चारण के लिए मिलते हैं। उच्चारण का प्रयास करें।

दुनिया की किसी भी अन्य भाषा में ऐसा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है? हमें अपनी भारतीय भाषा के लिए गर्व की आवश्यकता है, लेकिन साथ ही हमें यह भी बताना चाहिए कि दुनिया को क्यों और कैसे बताएं।

जय हिंदी, जय हिंद..

******

बेड़ियां

श्रीमती आशा पाल
वरिष्ठ हिंदी अनुवादक,
मुबई

आप के बेटे रोहित और इस लड़की अंजलि की कुंडली बिलकुल नहीं मिलती. अगर यह शादी हुई तो दोनों परिवार दुर्भाग्य का शिकार होंगे। बेटे की जान को खतरा..... आर्थिक नुकसान...आपसी मनमुटाव.....मानसिक अशांति....नहीं, यह रिश्ता नहीं होना चाहिए....." पंडित ओमप्रकाश के मुंह से निकली मन कंपाने वाली ये बातें कांताप्रसाद और उन की पत्नी कौशल्या के जेहन में लगातार गूंजती रहीं.

बेटे रोहित की प्रेमिका अंजलि से करीब 2 सप्ताह पहले मिल कर दोनों बहुत खुश हुए थे. वह उन्हें हर तरह से भावी बहू के रुप में जंची थी.

पंडित ओमप्रकाश के ज्योतिष ज्ञान पर इन दोनों को पक्का विश्वास था. उनसे हुई मुलाकात के बाद अंजलि को ले कर उन के मन खटास से भर गए. उन्हें अंजलि अपने बेटे रोहित के लिए उसी पल से दुर्भाग्यशाली लगने लगी.

उस रात को उन्होंने रोहित से अंजलि के साथ उस के विवाह होने के प्रति अपनी अनिच्छा कठोर शब्दों में जाहिर कर दी.

रोहित के चेहरे का रंग उड़ गया और उस ने परेशान लहजे में कहा, "अंजलि और मेरे जीवनसाथी बनने की बुनियाद में हमारा एकदूसरे के प्रति प्रेम होना चाहिए, न कि कुंडलियों का मिलान. रुढ़िवादिता के चक्कर में फंस कर आप दोनों हमारी कोमल भावनाओं को ठेस मत पहुंचाएं, प्लीज. शादी के लिए आप दोनों की इजाजत जरुरी है."

"इस मामले में जिद करोगे तो बुरी तरह से पछताओगे. सिर्फ प्रेम बे बल पर भावी मुसीबतों का सामना नहीं कर सकोगे तुम रोहित," कौशल्या की आंखों में आंसू छलक आए.

"रीतिरिवाज के खिलाफ चलने का दंड तुम्हारे साथसाथ हम सब को भुगतना पड़ेगा. नहीं, इस लड़की को तुम भूल जाओ, " क्रोधित अंदाज में अपना फैसला सुना कर कांता प्रसाद अपने कमरे में चले गए.

भावी अनिष्ट की आशंका के चलते रोहित की मनोदशा को समझने की उन दोनों ने कोशिश ही नहीं की. बेटे की प्रार्थना गुस्सा या गिड़गिड़ना उन दोनों के दिलों को पिघला नहीं सका.

रोहित अंजलि से शादी करने की अपनी जिद पर अड़ गया तो कांताप्रसाद ने रोजरोज के कलह से बचने के लिए एक दिन कह दिया, "इस शादी के लिए हां कहने को अभी हमारा मन नहीं मानता. साल 6 महीने बाद इस के बारे में फिर सोचेंगे."

उन्हें उम्मीद थी कि इतने समय में शायद अंजलि और रोहित के संबंध अपने आप टूट जाएंगे. पर ऐसा नहीं हुआ.

रोहित ने बड़ा संयम दिखाया. अंजलि ने अपने व्यवहार से उन्हें कोई शिकायत नहीं होने दी. दोनों आशावान थे कि उन का अच्छा व्यवहार कांताप्रसाद और कौशल्या के दिलों को बदल देगा.

करीब 6 महीने बाद रोहित ने फिर से शादी की इच्छा जाहिर की. इस बार कांताप्रसाद और कौशल्या उससे उलझने के बजाय अंजलि की मां रजनी और पिता राजेंद्र से मिलने पहुंच गए.

उन दोनों की सोच और संस्कार भी इन दोनों जैसे ही निकले उनके अपने पंडित ने भी कुंडलियां मिला कर वैसे ही अनिष्ट की आंशका जाहिर की, जैसी पंडित ओमप्रकाश ने की थी.

रजनी और राजेंद्र को रोहित वैसे भी भावी वर के रुप में पसंद नहीं था. उन्हें वह अपनी हैसियत के अनुरुप नहीं लगता था क्योंकि वह मैडिकल रिप्रैंजेटिव था.

कुंडलियां न मिलने पर उन्हें रोहित के खिलाफ शोर मचाने का अच्छा मौका मिला. कांताप्रसाद और कौशल्या ने उनका पूरा साथ दिया. रोहित और अंजलि के ऊपर एकदूसरे को भुला देने के लिए और दबाव बन गया.

अपने मातापिता की बातें सुन कर अंजलि कभी-कभी डर कर कमजोर पड़ जाती थी. लेकिन रोहित के ऊपर कुछ अशुभ घटने की संभावना कोई प्रभाव नहीं डाल रही थी. वह अंजलि से ही शादी करने की अपनी जिद पर डटा हुआ था.

अंततः उसने अपने मातापिता को अल्टीमेटम दे दिया, "आप दोनों शादी की तारीख तय कीजिए, नहीं तो मैं अंजलि से कोर्ट मैरिज कर लूंगा."

कौशल्या उस का फैसला सुन कर खूब रोई. उन्होंने मरने तक की धमकी दे डाली. जब रोहित टस से मस नहीं हुआ तब उन्होंने उसे व अंजलि को जी भर कर कोसना शुरु कर दिया.

कांताप्रसाद ने अपने बेटे को धमकी दे डाली, "रोहित, अगर तुम ने हमारी मरजी के खिलाफ अंजलि से शादी की, तो हमारा तुम दोनों से कोई संबंध नहीं रहेगा. समझ लेना कि तुम हमारे लिए और हम तुम्हारे लिए मर गए हैं."

रोहित अपने में सिमट कर बिलकुल खामोश हो गया. अंजलि से भी उस ने अपने दिल की बातें कहनी बंद कर दीं. शिकायतों और गुस्से का ज्वालामुखी लगातार उस के अंदर धधकता रहता. अपने मातापिता के रुखे, अड़ियल व्यवहार के प्रति गुस्से व शिकायतों का लावा बाहर न निकल पड़े. इसलिए उस ने अपने होंट सिल लिए.

कोई भी झुकने और बदलने को तैयार नहीं था. हार कर रोहित ने अपने 2 करीबी दोस्तों दिनेश और अजय के सहयोग से कोर्ट मैरिज कर ली.

दिनेश की पत्नी जया ने उस दिन अंजलि को दुल्हन की तरह तैयार किया. अजय और उसकी पत्नी अनिता ने उन के एक कमरे वाले किराए के घर को गृहस्थी चलाने के लिए तैयार किया. फर्नीचर, रसोई के सामान व अन्य जरुरी चीजों की खरीदारी का खर्चा काफी हद तक इन दोनों ने उठाया.

समाज से टक्कर लेने का कार्य सिर्फ युवा हृदय रखने वाले इंसान ही कर सकते हैं. अपने इन मित्रों के सहयोग के बिना रोहित और अंजलि जीवनसाथी नहीं बन पाते. उन के मातापिता ने तो सामाजिक बेड़ियों में जकड़े रह कर उन्हें अपनी जिंदगी से काट कर अलग ही कर दिया था.

अपनी सुहागरात का एक बड़ा समय अंजलि ने रोहित की छाती से लग कर आंसू बहाते हुए बिताया. अपनी शादी को ले कर उस ने जो रंगीन, सुखद सपने देखे थे, वे उस दिन पूरी तरह से टूट कर बिखर गए.

"तुम किसी तरह की चिंता न करना, अंजलि. हर कदम पर सहयोग कर के हम अपनी विवाहित जिंदगी को सफल और सुखी बनाएंगे. अपने आंसुओं से कमजोर करने के बजाय अपनी प्यारी सी मुस्कान होंटो पर सजा कर मुझे संघर्षों से लड़ने की शक्ति दो." भावुक रोहित की आंखों में भी आंसु झिलमिलाने के बावजूद उस की आवाज आत्मविश्वास से भरी थी.

"आप को मुझ से कभी कोई शिकायत नहीं होगी," अंजलि ने फौरन आंसू पोंछ कर मुसकराने का प्रयास किया.

"शिकायतों की बात न कर हम सदा एकदूसरे के जीवन में प्रेम और खुशियों की सुगंध फैलाने का वादा करें."

'"मैं ऐसा करने का दिल से वादा करती हूं."

"और मैं भी, रोहित ने अपने हाथ फैला दिए."

लजाती, शर्माती अंजलि उस की मजबूत बाहों के घेरे में समा गई. सारी चिंताओं और तनाव को भुला कर उन दोनों ने बाकी रात प्यार के सागर के गोते लगाते हुए बिताई.

संयुक्त परिवार में मिलने वाली आर्थिक, सामाजिक व पारिवारिक सुरक्षा व सुविधा से वंचित इस नवविवाहित जोड़ी के जीवन में संघर्ष अगले दिन से ही शुरु हो गया.

पहले अंजलि और फिर रोहित को खांसीबुखार के झटके ने चित कर दिया. रोहित को जो सप्ताह भर की छुट्टियां मिली थीं वे एकदूसरे की तीमारदारी में बीत गईं.

फिर रोहित काम पर जाने लगा. अंजलि ने भी पास के स्कूल में छोटी कक्षा के बच्चों को पढ़ाना शुरु किया. पास में जमापूंजी न होने की चिंता के कारण दोनों को करियर बनाना जरुरी था.

कांताप्रसाद और कौशल्या ने तो उन दोनों से कोई रिश्ता ही नहीं रखा. अपने बेटे बहू के प्रति दोनों के अंदर कितना जहर भरा है, उन्हें इस की जानकारी कोई परिचित या पड़ोसी समय-समय पर दे जाता.

अंजलि की मां रजनी ने अपनी सहेली के हाथों बेटी-दामाद के पास रुपये 10 हजार भेजे, पर उन दोनों ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया.

कांताप्रसाद और कौशल्या का रोहित और अंजलि की शादी के बाद राजेंद्र और रजनी से किसी भी तरह का संपर्क नहीं रहा, रोहित और अंजलि की शादी का विरोध दोनों पार्टियों ने मिल कर किया, पर शादी के बाद एकदूसरे के लिए नफरत व कड़वाहट ही बची. अपनी संतान की जिंदगी बरबाद करने के लिए वे एकदूसरे की संतान को दोषी मानते थे.

अभावों से भरी जिंदगी होने के बावजूद भी रोहित और अंजलि साथ-साथ रहते हुए बेहद खुश थे. जब भी उन्हें अकेलेपन का एहसास सताता, तब एकदूसरे का हौसला बढ़ा कर वे जल्दी ही उदासी व निराशा के धुंध से बाहर निकल आते.

'इन दोनों ने कुंडलियों की अनदेखी कर जो शादी की है, उस का फल इन्हें जरुर भुगतना पड़ेगा,' इन के मातापिता के मुंह से निकलने वाला यह वाक्य इनकी शादी के करीब 8 महीने बाद सच होने लगा.

इनके न चाहने पर भी अंजलि गर्भवती हो गई. इस बात ने उन्हें खुशी देने के साथसाथ चिंताओं को भी बढ़ाया. उनकी परेशानियां 2 कारणों से बढ़ी. एक तो अंजलि की तबीयत खराब रहने लगी. चक्कर और उलटियों के कारण उस का घूमना-फिरना व पढ़ाने जाना मुश्किल हो गया. इस के साथ रोहित को काम के सिलसिले में शहर से बाहर 3-4 दिनों के लिए हर पखवाड़े में जाना पड़ने लगा. दरअसल, बेहतर पगार पर उसने जिस नई कंपनी को ज्वाइन किया, उस की ऐसी ही शर्तें थीं.

रोहित की अनुपस्थिति में अंजलि हौसला खो कर खूब आंसू बहाती. वह जब वापस लौटता, तब उसे अंजलि पहले से ज्यादा मुरझाई हुई मिलती.

परेशानी के इस दौर ने रोहित की जबान कड़वी कर दी.

"तुम अपना ध्यान ठीक से क्यों नहीं रखती हो?" खुश हो कर खूब खानेपीने के बजाय आंसू बहाने में अपनी शक्ति क्यों बरबाद करती हो? मेरी मुसीबतों को जानबूझ कर बढ़ाने का क्या तुम ने ठेका ले रखा है?" रोहित की ऐसी चुभती बातें अंजलि को तनाव व उदासी के गहरे कुएं में ढकेल देतीं. उनके घर का माहौल बोझिल रहने लगा. दोनों के होंठों से हंसी गुम हो गईं. प्यार के मीठे बोलों के बजाय अब वे भावी कठिनाइयों की चर्चा ज्यादा करते.

डाक्टर ने कमजोर अंजलि को आराम करने की सलाह दी. इस कारण उसे नौकरी छोड़नी पड़ी. आर्थिक कठिनाइयों से जुड़ा सोचों का शिकंजा दिन पर दिन दोनों के दिलोदिमाग पर ज्यादा कसने लगा.

अजय, दिनेश और उन की पत्नियों ने इन का हौसला टूटने नहीं दिया. इन के मातापिता तक सारी परेशानियों की खबरें पहुंच जातीं, पर उन्होंने इन की कोई खोजखबर नहीं ली.

'ये दोनों अपने किए का फल भुगत रहे हैं, ' ऐसी रुखी, कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त कर वे इन दोनों से पूरी तरह कटे रहे.

रोहित और अंजलि को एक जबरदस्त झटका तब लगा जब डिलिवरी से कुछ समय पहले डाक्टर ने उन्हें बताया कि गर्भाशय में शिशु का सिर ऊपर है, इसलिए नॉर्मल डिलिवरी होने की संभावना कम है, हमें ऑपरेशन करना पड़ सकता है. आप उस के हिसाब से रुपयों का इंतजाम रखें.

तब रुपये 8-10 हजार के बजाय खर्च रुपये 20 हजार तक होने की संभावना पैदा हो गई. रोहित बेबसी और मायूसी का शिकार हो गया.

"मैं अपनी मम्मी से रुपये मंगा लूंगी," अंजली की इस पेशकश को सुन रोहित मुंह से कुछ न बोला. बस दोनों हाथों से सिर थाम कर उदास बैठ गया.

उनके मकानमालिक सुशील अपनी पत्नी वंदना के साथ अंजलि का हाल जानने आए. वे दोनों अपने इस किराएदार जोड़े के प्रति काफी सहानुभूति का भाव दिलों में रखते थे.

उन की समस्या की जानकारी सुशील ने ढेर सारे सवाल पूछ कर प्राप्त कर ही ली. वैसे मकान मालिक कंजूस किस्म के इंसान थे पर इस वक्त उन की असहाय अवस्था ने उन का दिल भी पिघला दिया.

"रोहित, तुम कुछ महीनों तक किराया देने की फिक्र मत करना. जब ये कठिन समय गुजर जाए, तब किस्त बांध कर बकाया किराया चुका देना," कंजूस सुशील का यह छोटा सा एहसास भी रोहित को बड़ी राहत पहुंचाने वाला लगा.

"अंजलि, तुम रुपयों की फिक्र न करना. अगर ऑपरेशन की नौबत आई, तो रुपये 10-15 हजार मैं तुझे दूंगी." अकेले में अंजलि से ऐसा वादा कर के वंदना ने हौसला बढ़ाया.

इस कठिन समय में उन के सब से करीबी लोगों के अलावा लगभग सभी दोस्तों व पड़ोसियों ने रोहित और अंजलि का साथ दिया.

परेशान रोहित रात को पलंग पर लेटने के बाद काफी देर से सो पाता. अपने मातापिता की बेरुखी उस के मन में कड़वाहट पैदा कर उसे सोने न देती.

अंजलि ने अंततः ऑपरेशन से सुंदर बेटे को जन्म दिया. इस खुशखबरी को नर्स के मुंह से सुन रोहित और उस के दोस्त एकदूसरे को मुबारकबाद देते हुए बार-बार गले मिले. फौरन मिठाई का डब्बा मंगवा कर सब का मुंह मीठा कराया गया.

पहले नाती-पोते का जन्म होना ऐसी बात होती है, जिस के बाद बेटा-बटी से रुठे मातापिता फिर से संबंध जोड़ने को आतुर हो सकते हैं. अंजलि का ऑपरेशन होने के कारण राजेद्र और रजनी ने भावुक हो कर उस से मिलने का निर्णय लिया, तो वंश का नाम आगे बढ़ाने वाले पोते के संसार में आने की खुशी ने कांताप्रसाद और कौशल्या को अपने बेटे-बहू के पास जाने को मजबूर कर दिया.

नवजात शिशु के दादा-दादी व नाना-नानी लगभग साथ-साथ ही उस नर्सिंग होम में पहुंचे जहां अंजलि भरती थी. जनरल वार्ड के एक बिस्तर पर लेटी अंजलि को तब तक होश आ चुका था.

अपने पोते को निहारते हुए कौशल्या की आंखों में आंसू आ गए, रजनी अपनी बेटी के सिर पर हाथ फिराते हुए रोने लगी. रोहित ने अपने पिता और ससुर के पैर छुए जरुर, पर तीनों साफ तौर पर एकदूसरे से खिंचे से नजर आए.

"बहू को प्राइवेट कमरे में शिफ्ट कराने का इंतजाम कराओ, रोहित," कांताप्रसाद ने अपने बेटे को लंबे अंतराल के बाद संबोधित किया.

"अब हम आ गए हैं, इसलिए तुम खर्चे की फिक्र छोड़ दो," राजेंद्रजी की आवाज में अकड़ साफ झलकी.

रोहित ने फौरन दोनों को जवाब दिया, "आप दोनों फिक्र मत करें. अपनी हैसियत के हिसाब से मैं ने खर्चे का बंदोबस्त किया हुआ है."

"तुम्हें किसी से कर्जा लेने की अब कोई जरुरत नहीं है."

"जो मेरे अपने हैं, उन से कर्ज लेने में मुझे कोई बुराई नजर नहीं आती," रोहित ने रुखे लहजे में अपने ससुर को जवाब दिया.

"आपसी मनमुटाव के कारण क्या हम अब पराए हो गए हैं?"

"इस सवाल का जवाब आप सब खुद अपने मन में झांक कर पूछें. मैं कुछ दवा ले कर आता हूं."

बाहर की तरफ जा रहे रोहित का उस की सास रजनी ने हाथ थामा और भावुक लहजे में समझाते हुए कहा,

"रोहित, हम सभी को पुरानी बातें भुला देनी चाहिए. इस वक्त अंजलि और तुम्हारे बेटे की सेहत व सुखसुविधा का ध्यान रखना महत्त्वपूर्ण है."

"तुम दोनों पहले ही अपनी जिद के कारण बहुत कष्ट उठा चुके हो. देखना, अब सब ठीक हो जाएगा. मैं सारा इंतजाम कर के आई हूं." भावुक कौशल्या ने पास आ कर अपने बेटे का दूसरा बाजू थाम लिया.
"क्या इंतजाम कर के आई हैं आप?" रोहित के माथे में फौरन बल पड़े.
"तुम्हारी विवाहित जिंदगी की परेशानियां अब कम हो जाएंगी. बहू और पोते के घर पहुंचने से पहले पंडित ओमप्रकाशजी वहां हवन और जाप करेंगे. ग्रहों की दशा सुधारने के लिए....."
"मां, मेरे घर में कोई हवन या जाप नहीं होगा," रोहित ने कौशल्या से क्रोधित लहजे में कहा.
"रोहित, बेकार की जिद कर के अपने भविष्य को बिगाड़ मत," कांताप्रसाद चिढ़ उठे, "कुंडलियां न मिलने के बावजूद शादी करने का दुष्फल क्या अभी तक तुम भुगत नहीं चुके हो?" "मैं ने कोई दुष्फल नहीं भुगता है, पापा" रोहित ने रुखे लहजे में जवाब दिया.
"हम मिले नहीं तुम से पर तुम्हारी मुसीबतें हम से छिपी नहीं हैं. रुपये पैसे की किल्लत.....बहू की रोज रोज की बीमारी.....तुम्हारा स्कूटर चोरी हो जाना.....अरे, ये सब देखने के बाद अब तो अपनी टांग मत अड़ा," आवेश के कारण कांताप्रासद का मुंह लाल हो गया.
"पापा, आप बता पाएंगे कि कृष्ण चाचा की शादी कुंडलियां मिला कर हुई थी, पर लता चाची क्यों बीमार पड़ कर असमय चल बसीं? आप ने भूमि पूजन धूमधाम से कराया था, पर आज भी बेसमेंट में पानी क्यों भर जाता है? पड़ोस वाले सुनीलजी की लड़की तलाक ले कर मायके में क्यों पड़ी है? पंडित ओमप्रकाश के अपने लड़के की नौकरी क्यों नहीं लगती? उन के बड़े बेटे के यहां एक के बाद एक 3 लड़कियां कैसे हुईं? लड़का क्यों नहीं हुई? " व्यंग्य भरी आवाज में रोहित एक के बाद एक सवाल पूछता चला गया.
कांताप्रसाद ने अटकते स्वर में जवाब देने की कोशिश की, "अपने अपने भाग्य का लिखा सब को भुगतना पड़ता है."

"तब कुंडलियां मिलाने या हवनपूजा कराने का क्या अर्थ और फायदा हुआ?"
"मुझे बेकार की बहस में मत उलझाओ, रोहित," चिढ़ कर कांताप्रसाद ने अपने बेटे को डपट दिया.
"मैं जो कहना चाह रहा हूं, वह बहस का नहीं बल्कि समझने का मुद्दा है, पापा. समस्याएं और संघर्ष हम सभी के जीवन का हिस्सा हैं. कुंडलियां, पूजा, हवन, कथा, व्रत इत्यादि इन्हें किसी के जीवन में आने से नहीं रोक सकते.
अंजलि और मेरी विवाहित जिंदगी में शायद कुछ ज्यादा परेशानियां आई हैं, पर उन का कारण हमारी कुंडलियां का न मिलना नहीं हैं. हमारे अपनों ने.....आप सभी ने हम से मुंह मोड़ लिया..... हमारी घर गृहस्थी बसाने में सहायता व सहयोग नहीं दिया, इस कारण हमारी मुसीबतें बढ़ी."
"मेरे दोस्त, मेरे मकान मालिक मेरे साथ रहे, तो हमें हर समस्या का हल मिलता रहा. अगर आप सभी हमारा साथ देते, तो अंजलि इस वार्ड में न लेटी होती, हमारी समस्याओं के लिए कुंडलियां नहीं, बल्कि पुरानी सड़ी गली प्रथाओं में उलझी आप की सोच, आप के मन का भय और हृदय की कठोरता जिम्मेदार है, " रोहित की आंखों में आंसू छलक आए.
कांताप्रसाद से अपने जवान बेटे के आंसू नहीं देखे गए, उन्होंने आगे बढ़ कर रोहित को गले से लगा लिया.
"अपने बड़े व ज्यादा समझदार होने की अकड़ के कारण शायद हम से ही भूल हो गई रोहित बेटे. हमारा स्नेह, आशीर्वाद व मार्गदर्शन तुम्हें मिलता ही रहना चाहिए था. हमें माफ कर दो, प्लीज" राजेंद्रजी की पलकें भी नम हो उठीं.
कौशल्या ने रजनी को गले से लगा लिया. फिर आंखों में आंसू लिए दोनों ने अंजलि को खूब प्यार किया.
तभी नवजात शिशु के रोने की आवाज ने सभी का ध्यान आकर्षित किया.
'अर्थहीन बेड़ियों को महत्त्व देने के बजाय जीवन को संभालने, संवारने व सजाने में सहयोग करो,' नवजात शिशु की आवाज शायद यही संदेश उन सब को दे रही थी.
दादा दादी व नाना नानी पास आ कर नन्हे मुन्ने से खेलने लगे. रोहित ने मुस्करा कर अंजलि की आंखों में झांका और मजबूती से उस का हाथ थाम लिया. उसे पूरा विश्वास था कि उन के अपनों के सहयोग से न मिलने वाली कुंडलियां बुरी तरह से हार जाएंगी.

******

परस्पर स्नेह और आस्था का पर्व है करवा चौथ

हिंदू धर्म में जीवन का उद्देश्य आत्मज्ञान या ईश्वर को पाना है और इसे पाने के लिए व्रत को भी माध्यम माना गया है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार व्रत या उपवास से भगवान का सानिध्य मिलता है और शरीर और आत्मा में तादात्म्य बनता है। व्रत मनुष्य के भौतिक और आध्यमात्मिक पोषण में सहायक है। व्रत रखना पूजापाठ का अंग ही नहीं, आत्म अनुशासन के लिए भी आवश्यक है। व्रत मस्तिष्क और शरीर को कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देता है और संकल्प बल बढ़ाता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो उपवास से पाचनतंत्र को विश्राम मिलता है और आभा मंडल पर ओज निखरता है। स्त्री की धार्मिक प्रतिबद्धता परिवार को शक्ति प्रदान कररने वाली मानी गई है। उसके धार्मिक कार्य पति समेत पूरे घर को एकता के सूत्र में बांधने वाले कहे गए हैं। मन की शुद्धता व्रत में बढ़ जाती है, साथ ही शरीर में शक्ति का संचार होता है। पौराणिक आख्यानों में वर्णन है कि समाधिस्थ शिव को जगाने और उन्हें विवाह तक मनाने के लिए मां पार्वती को कठोर तप करना पड़ा। इस तपस्या का संबंध करवा चौथ से माना गया है। शायद मां पार्वती के प्रति कृतज्ञता दर्शाने के लिए ही करवा चौथ व्रत की कल्पना की गई हो, जिन्होंने भगवान शंकर को अपने संकल्प बल से समाधि से जगाया। शिव और शक्ति की अविभाज्य प्रकृति को बताने के लिए है। करवा का अर्थ है दीपक या मिट्टी का टोंटीदार घड़ा। चौथ यानी शरद पूर्णिमा के बाद का चौथा दिन।

हिंदू धर्म में सुहागिन स्त्रियों के लिए करवा चौथ का व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। सफल एवं मधुर दांपत्य-बंधन का आधार यह व्रत भारतीय हिंदू नारी का सबसे प्रिय त्योहार भी है। विवाहित स्त्रियां अपने पति की चिरायु एवं स्वस्थ जीवन की कामना से इस दिन निर्जला व्रत का अनुष्ठान

करती हैं और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर अन्न-जल ग्रहण करती हैं। इस व्रत का प्रसंग कई पौराणिक कथाओं से भी संबंध रखता है। माना जाता है कि यह व्रत महाभारत काल में द्रौपदी ने अपने पतियों की दीर्घायु एवं कुशलता के लिए श्रीकृष्ण के परामर्श पर किया था। इस व्रत को वे अविवाहित कन्याएं भी अपने भावी पति के लिए करती हैं, जिनका विवाह निश्चित हो गया हो। इस व्रत में शिवजी द्वारा कही गई एक कथा कहने एवं सुनने का रिवाज है।

पूरे भारत और मुख्यतः उत्तरी क्षेत्र में महिलाएं श्रद्धा एवं भक्ति के साथ इस व्रत की तैयारी कई दिन पहले आरंभ कर देती हैं। करक चतुर्थी को विवाहित स्त्रियां ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि से निवृत्त हो गणेश जी के समक्ष निर्जला व्रत का संकल्प लेती हैं। हालांकि उस दिन घरों में भांति-भांति के पकवान बनाए जाते हैं। संध्याकाल में सुहागिन का श्रृंगार कर, आस-पड़ोस की विवाहित स्त्रियों के साथ मिलकर किसी पवित्र तालाब या सरोवर के किनारे श्री गणेश एवं कार्तिकेय सहित शिव-पार्वती का पूजन करती हैं। स्त्रियां रात्रि में चलनी की ओट से चांद के दर्शन कर व उसे अर्घ्य देकर अपने पति के दर्शन करती हैं तथा चरण स्पर्श कर पति के हाथों से जल एवं अन्न ग्रहण कर व्रत पूरा करती हैं।

यह व्रत जहां एक ओर पति-पत्नि के ह्रदय में आपसी प्रेम, त्याग एवं समर्पण की भावना जागृत करता है, वहीं दूसरी ओर दिन-ब-दिन पुराने होते प्रणय-बंधन में प्रतिवर्ष एक नवीन ऊर्जा का समावेश करता है।

आज समाज में बदलाव आ रहा है। अभी तक इस व्रत को केवल स्त्रियां ही निभाती रही हैं, लेकिन अब पति भी काफी संख्या में व्रत करने लगे हैं। पति के व्रत रखने से करवा चौथ स्त्री विरोधी नहीं कहा जाएगा।

अब पति, भी यही चाहते हैं कि केवल पत्नी ही क्यों दिन भर भूखी –प्यासी रहे। करवा चौथ वास्तव में परस्पर स्नेह और आस्था का त्यौहार है।

******

कोविड -19 बनाम लॉकडाउन

श्री शशि कुमार
वरिष्ठ हिंदी अनुवादक,
हैदराबाद

संपूर्ण विश्व में जिसने अपना आतंक फैलाकर विश्व को चिंताजनक बना दिया वह है ''कोरोना वायरस''। कोरोना शब्द लैटिन भाषा से गृहित है जिसका अर्थ होता है ''मुकुट'' जब इस वायरस को सुक्ष्मदर्शी मशीन से देखा गया तो इस वायरस के चारों ओर काँटेदार ढाचें देखे गये जिसकी आकृति मुकुट जैसी प्रतीत होती है इसलिए इसे कोरोना वाइरस का नाम दिया गया। इस वायरस का जन्म चीन देश के वुहान शहर के सीफूड बाजार से हुआ है।

आखिरकार क्या है 'कोविड -19'' ?

''कोविड-19'' एक प्रकार की संक्रमित बीमारी है जो एसएआरएस- सीओवी-2 नाम के वायरस से होता है। इसे नॉवल कोरोना नाम से भी जाना जाता है। इनके कारण मनुष्यों में श्वास तंत्र संक्रमण पैदा होता जिसकी वजह से हल्की सर्दी जुकाम से लेकर गंभीर रूप धारण कर मृत्यु तक हो जाती है।

इस बीमारी की शुरुआत : नया कोरोना वायरस 2019 के आखिर में अनजान कारणों से निमोनिया जैसी बीमारी से सामने आया। बाद में पता चला कि इस बीमारी का कारण सीवियर एक्यूट रेस्परेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 या सार्स कोरोना वायरस-2 है। इसमें शुरुआत में हल्की सर्दी-जुकाम जैसे लक्षण प्रकट होते हैं। डब्लूएचओ के मुताबिक, कोरोना संक्रमित करीब 80 फीसदी लोग बिना किसी खास इलाज के ठीक हो जाते हैं। संक्रमित छह लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार पड़ता है और वह सांस लेने में तकलीफ होने की स्थिति तक पहुंचता है।

संक्रमण की चार श्रेणियां : प्रोफेसर विल्सन के अनुसार, कोविड-19 से संक्रमित लोगों को चार श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहली श्रेणी में वे लोग होते हैं, जिनमें कोई लक्षण नहीं दिखता है। इसके आगे की श्रेणी में वे लोग हैं, जिनमें श्वसन नली के ऊपरी हिस्से में संक्रमण होता है। इस स्थिति में संक्रमित लोगों को बुखार, कफ, सिरदर्द या कंजक्टीवाइटिस (आंख संबंधी बीमारी) के लक्षण होते हैं। इन लक्षणों वाले लोग संक्रमण के वाहक होते हैं लेकिन संभवत: उन्हें इसकी जानकारी नहीं होती है। तीसरी श्रेणी में कोविड-19 पॉजिटिव लोग होते हैं, जिनमें निमोनिया जैसे लक्षण होते हैं और उन्हें अस्पताल में रहना होता है। चौथी श्रेणी के लोगों में निमोनिया जैसी बीमारी का गंभीर रूप दिखता है। अभी वर्तमान में खोज करने से ऐसे मरीज भी सामने आ रहे है जिन्हें उपरोक्त कोई भी लक्षण दृष्टिगोचर नहीं होते लेकिन फिर भी कोरोना से संक्रमित लोग मिल रहें है। कहने का तात्पर्य यह कोरोना एक घातक रोग हो गया जिसके बारे में निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता।

कोरोना से स्वयं बचाव :

अंग्रेजी में कहावत है ''prevention is better than cure'' अर्थात रोकथाम इलाज से बेहतर है। स्वास्थय विभाग की इकाई के मार्गदर्शन के अनुसार ऐसा बताया गया है कि अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता और नियमित रूप से हाथ धोने के लिए कहने तक सीमित है। जो लोग खुद को संक्रमित होने का संदेह करते हैं, उन्हें सर्जिकल मास्क पहनने और चिकित्सा सलाह के लिए डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा जाता है। ऐसे स्थान पर ना जाए जहां अधिक से अधिक लोग जमा हो क्योकि यह बीमारी संक्रमित प्रकृति होने की वजह से दूसरों के संपर्क में आने से अधिक

प्रभावित होती है। घर से बाहर जाते समय और आते समय हैंड सेनेटाइजर का इस्तेमाल करने से बहुत हद तक इस बीमारी से संक्रमित होने से बचा जा सकता है। जनता ने अक्सर बहुत अधिक सावधानी बरती है लोगों द्वारा सर्जिकल मास्क का व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। लोग उत्पादों को खरीद रहे हैं जैसे सेनेटरी, हैंड सैनिटाइज़र और डिसइंफेक्टेंट जिससे लोग अपने हाथों और कपड़ों को साफ़ रखना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त लोग मुख्यभूमि चीनी लोगों के संपर्क से बच रहे हैं यहां तक के बहुत दूर संयुक्त राज्य अमेरिका तक जापानी लोगों को सर्जिकल मास्क पहनने और उन क्षेत्रों में वायु कीटाणुनाशक दवाओं के साथ खुद को स्प्रे करने की सूचना मिली है जहां विदेशी लोग अधिक रहते हैं। कोरोना वायरस सतहों पर कुछ घंटों के लिए जीवित रहते हैं, कई दिनों तक नहीं, इसलिए किसी संक्रमित व्यक्ति द्वारा भेजे गए मेल या पैकेज को स्वीकार करने में कोई जोखिम नहीं है। सतहों से वायरस को हटाने के लिए क्लोरीन आधारित कीटाणुनाशक, 75% इथेनॉल पेरासिटिक एसिड और क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल कर हटा सकते हैं।

कोरोना का अभी तक कोई टीका मुक्कमल खोजा नहीं गया कहने का मतलब है इस बीमारी से लड़ने के लिए अभी समय लगेगा तब तक हमें अपने आपका स्वयं देखभाल और उससे बचाव करने की आवश्यकता है। हमारे देश में वैसे तो कई घरेलू नुस्खे मौजूद है, जैसे हल्दी को दूध में मिलाकर कई वाइरस या बैक्टीरिया को नष्ट किया जा सकता है। गरम पानी के साथ तुलसी के पत्तों का सेवन ऐसे कई प्रभावी घरेलू नुस्खे हमारे देश में कई सदियों से मौजूद है।

कोरोना की बीमारी का विस्तार : कोरोना बीमारी से शायद ही विश्व में कोइ अछूता रहा हो इस व्याधि ने संपूण विश्व में अपने कदम बिछा दिये। विश्व में इस बीमारी से अधिकतर लोगों की जाने भी गयी है और प्रारंभिक स्तर पर अधिकतर मरीजों को इस बीमारी से ठीक भी किया गया। यदि हम इस बीमारी को विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इस बीमारी से अमेरीका अधिक प्रभावित हुआ है। कोरोना के विस्तार को रोकने में यदि कोई महत्वपूर्ण भूमिका किसी देश ने अपनायी है तो वह भारत देश है। इस बीमारी का जन्म हमारे पड़ोसी देश चीन से हुआ। तुलनात्मक दृष्टि से आंका जाए तो चीन के समस्त पड़ोसी देशों में इस महामारी का प्रकोप अधिक फैलना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुए। इस महामारी को अधिक से अधिक संक्रमित रोकने का श्रेय यदि जाता है तो वो हमारे वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेन्द्र मोदी है। जिन्होंने चरणबद्ध तरीके से ''लॉकडाउन'' ब्रह्मास्त्र को लागू कर अधिक से अधिक कोरोना महामारी को अधिकतम सीमा तक नियंत्रण में रखा है। आज हम देखते है कि चीन से कोसों दूर अमेरिका देश में इस महामारी से लाखों लोग संक्रमण से प्रभावित हुए है, चूंकि वहां के राष्ट्रपति ने हमारे प्रधानमंत्री जैसे विवेक से काम नहीं किया। अगर भारत में भी लॉकडाउन को लागू नहीं किया गया तो हमारे देश में कोरोना महामारी अमेरिका के आंकड़े से तीगुणा होती। कोरोना का विस्तार मनुष्य की गलतियों से भी हो रहा है जो लोग इस रोग से ग्रस्त है, वो कोरंटाइन न होकर इस रोग को फैलाने में सहायक हो रहें है। कुछ लोग देश में कोरोना को धार्मिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे है। ये भावना देश प्रेम के विरूद्ध है।

लॉकडाउन का जनता पर प्रभाव : भारत में जैसे-जैसे कोरोना माहमारी का प्रकोप बढ रहा था तो इसको नियंत्रण करने के लिए भारत के सभी राज्यों में भारत सरकार ने शक्ति के साथ लॉकडाउन को प्रभावी ढंग से लागू कर दिया। जिससे इस महामारी को अधिक सीमा तक नियंत्रित किया गया और लॉकडाउन को वरदान मान लिया गया लेकिन लॉकडाउन की वजह से भारत में अन्य गतिविधियां बुरी तरह से प्रभावित हुई है, जैसे भारत की आर्थिक स्थिति का निम्न स्तर पर पहुंचना, शैक्षणिक संस्थान, व्यापार–वाणिज्य, यातायात, विदेशी व्यापार, लघु उद्योग से बड़े-बड़े उद्योग बुरी तरह से ठप्प हो गये। जो मजदूर प्रतिदिन अपनी जीविका के लिए अपने गंतव्य स्थान से दूर- दूर जाकर काम करके अपनी रोजी-रोटी कमाते थे वो सभी बुरी तरह से प्रभावित हो गए कई लोगों को भोजन न मिलने के कारण अपने घर न लौटने की वजह से मृत्यु हो गयी। ऐसी परिस्थिति में बच्चों से लेकर सभी वर्ग के लोग सामान्य से सामान्य बीमारी होने पर समय पर स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करने में बुरी तरह से बाधित हुए। कई घरों में लोग तरस गये अनाज की नुमाइश अर्थात (Food Exhibition) के लिए। आज भारत में जनता की जो परिस्थितियाँ हैं वो नागार्जुन कवि की "अकाल और उसके बाद" कविता की प्रासंगिकता को चरितार्थ करती है :

कई दिनों तक चूल्हा रोया , चक्की रही उदास
कई दिनों तक कानी कुतिया सोइ उनके पास
कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त
कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त।

दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद
धुआं उठा आंगन से उपर कई दिनों के बाद
चमक उठी घर की आंखे कई दिनों के बाद
कौए ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद।

नही रहा भय अब कोरोना का जनता के पास
कोरोना तो दूर रहा , भूख प्यास, दरिद्रता रही आस-पास
रोजाना-रोजाना कोरोना बोला बाहर नही निकलो ना
कम्बख्त बोला कोरोना घरों में रहो ना।

लॉकडाउन की चुनौतियाँ :

संपूर्ण भारत जब कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा था तब ऐसी विषम परिस्थितियों में भारत में असामाजिक तत्व उसका लाभ उठाना चाहते थे और भारत में कोरोना को आतंकवाद का हथियार बनाकर उसका लाभ उठाना चाहते थे लेकिन मौजूदा सरकार की सूझ-बूझ की नीतियों और कानूनों ने उनके मनसूबों पर पानी फेर दिया। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान महामारी को एक हथियार बनाकार भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने का सतत प्रयास कर रहा था। ऐसी स्थितियों में भी भारत देश हर चुनौतियों का मुंहतोड़ जवाब दे रहा था कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो भारत में मौजूदा सरकार की सशक्तता ही देश में हर आनेवाली चुनौतियों से लड़ने में सर्वशक्ति के रूप में उभर कर सामने आयी हैं। अंततोगत्वा जहां लॉकडाउन महामारी के खिलाफ वरदान साबित हुआ वहीं दूसरी ओर अभिशाप भी। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो लॉकडाउन की ये परिरिस्थतियां मनुष्य की संकीर्ण सोच के कारण घटने की बजाए बढ़ती ही चली गयीं। हमारा संकल्प, उत्तरदायित्व, सर्वप्रथम देश की भलाई के लिए होनी चाहिए न की उसके खिलाफ। चंद लोग धर्मान्धता में आकर लॉकडाउन के नियम एवं कायदे का अनुपालन न कर इस कोरोना जैसी महामारी को बजाए कम करने के उसको अधिक से अधिक फैलाने का दृढ़ संकल्प लिया जिसके कारण सरकार को विवश होकर उसकी अवधि बढ़ानी पड़ी जिसका भारी नुकसान अंततोगत्वा जनता को ही भोगना पड़ा। चुनौतियां इस देश में पहली बार नहीं आयी कई बार आयीं तथा गयीं भी हमारे अथक प्रयास एवं दृढ़ संकल्प द्वारा हमारे देश ने हर चुनौतियों को शिकस्त दी। कई दिनों तक घर में बच्चे रहने के कारण बच्चों में कोई खेल क्रीड़ा न होने के कारण उनके मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ा। प्रतिदिन मजदूर लोग अपनी अपनी रोजी–रोटी जुटाने में कष्ट उठाने लगे। छोटे से बड़े कारोबारी जरूरी सामान को लेकर काला बाजारी करने लगे।

निष्कर्ष : इस लेख से यह निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य समाज का अंग है और समाज से देश। हमारा पहला कर्तव्य है देश की प्राथमिकता। देश के लिए सच्चाई एवं सदभावना रखें। कोई भी धर्म संप्रदाय मनुष्य को अच्छे कर्म एवं उसके लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने की प्रेरणा देता है। भारत जैसे बड़े प्रजातंत्र देश में ही नागरी स्वतंत्रता संभवत: ही किसी अन्य देश में मिले। जिस प्रकार परिवार में हम अपने आत्मजनों का सादर सम्मान करते है उसी प्रकार यह देश भी अपना ही परिवार है इसे अलग खेमें में रखकर न देखे। सच्ची देश भावना ही कोरोना जैसी महामारी से लड़ने में एक स्तंभ का कार्य करेगी। कोरोना एक अंधकार है, इस अंधकार को मनुष्य की सकारात्मक किरण जैसी सोच ही दूर कर सकती है।

******

मात्रुभाव की जय

श्रीमती गीता विश्वनाथन
कार्यालय अधीक्षक,
बेंगलूरू

शिकागो (अमेरिका) के विश्व सम्मेलन से लौटते समय स्वामी विवेकानंद यूरोप का भ्रमण करते हुए जब फ्रांस पहुंचे तो वहां पाश्चात्य विचारों वाली एक फ्रांससी सुंदर युवती ने उनके व्यक्तित्व से प्रभावित और आकर्षित होकर स्वामीजी से समय मांगकर एकांत में उनसे विवाह करने की अभिलाषा निवेदित की। विवेकानंद उसके इस अविवेक और दुःसाहस पर आश्चर्यचकित हो गये, किंतु उन्होंने बड़े धैर्य और संयमित स्वर में उससे प्रश्न किया- "तुम मुझसे विवाह क्यों करना चाहती हो?" युवती का उत्तर था- इसलिए कि मैं आप जैसा पुत्र अपने लिए चाहती हूं। सुनते ही स्वामीजी ने तुरंत समाधान किया-तब तो तुम मुझे ही अपना पुत्र मान लो। तुम मेरी मां हो, मां। वह विदेशी युवती स्वामीजी की बात सुनते ही हतप्रभ और अवाक् रह गई। स्वामीजी के इस वाक्य ने उसकी आंखे खोल दी। उसने मन ही मन भारतीय उच्च संस्कारशीलता और नैतिकता को सादर नमन करते हुए स्वामीजी को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। भारत के एक तपोनिष्ठ संत ने उसके विचारों में महान परिवर्तन ला दिया। आदर्श चरित्र की शिक्षा का मोल ऐसा ही अनमोल होता है।

******

<u>जब तक परेशानी परेशान न करे</u>
<u>आप परेशानी को परेशान न करें</u>

एक पति-पत्नी अपने एक मित्र से मिलने के लिए निकले, जो कुछ मील की दूरी पर रहता था। रास्ते में उन्हें याद आया कि उन्हें ऐसा पुल पार करना होगा जो बहुत पुराना और असुरक्षित माना जाता है। इससे वे परेशान हो गए। पत्नी ने पति से पूछा- "हम उस पुल को कैसे पार करेंगे ? मुझे तो उस पर पांव रखने में भी डर लगता है और वहां कोई नाव भी नहीं होती जो हमें नदी पार ले जाए।"

पति ने जबाब दिया, "तुमने बिल्कुल ठीक कहा, पुल से जाना खतरनाक है, क्या हो अगर हम उस पुल से गुजरें और वह टूट जाए ? हम पानी में डूब जाएंगे" पत्नी आगे बोली, "कल्पना करो कि गले हुए फट्टे पर पैर रखो और तुम्हारी टांग टूट जाए, फिर मेरा और बच्चों का ख्याल कौन रखेगा?"

उस पर पत्नी बोली कहीं मेरी टांग टूट गयी तो हम सबका क्या होगा? शायद हमें भूखे मरना पड़ेगा" इस प्रकार की मुसीबत के बारे में कल्पना व चिंता करते पुल तक आ पहुंचे तो उनके आश्चर्य और प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने देखा कि वहां नया पुल बन गया था।

खुशी-खुशी दोंनो ने आसानी ने पुल पार कर लिया। कहने को तो ये साधारण कहानी है परंतु साफ दर्शाते हैं कि कहीं हम सब भी भविष्य की चिंता करके फिजूल समय व ऊर्जा व्यर्थ तो नहीं कर रहे हैं।

सकारात्मक विचार आपकी मनचाही और प्रिय चीजों के बारे में होते हैं, नकारात्मक विचार आपकी अनचाही और अप्रिय चीजों के बारे में होते हैं। अपने जीवन में लाना चाहते हैं तो उसी के बारे में सोचना चाहिए।

अधिकतर लोग अप्रिय चीजों के बारे में सोच-सोच कर जीवन व्यतीत करते हैं, इतना हीं नहीं इस बारे में सभी से बातें भी कर कर के समय व उर्जा नष्ट करते हैं। इस तरह वे प्रेम के बजाय नकारात्मक भाव ऊर्जा के रुप में ज्यादा भेजते रहते हैं। इस तरह से अनजाने में वे खुद के जीवन की सभी अच्छी चीजों को अपने आप से दूर करते रहते हैं और जीवन को भी कोसते रहेत हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम हमेशा अप्रिय चीजों के बारे में बात करेंगे तो छोटी-छोटी अप्रिय चीज भी आपके जीवन में आती रहेगी।

बेहतर यह है कि आप दिनभर अच्छी घटनाओं के बारे में हीं सोच विचार करें और उसी के बारे में वार्तालाप करें। यह प्रकृति का नियम है कि हम जो भी देते हैं वो ही हमारे पास वापस आता है और हमें मिलता है। जिसको हम कर्म भी कहते हैं, चाहे वह विचार ही क्यों न हो। किसी ने सही कहा है कि सोच के सोचो कि जो सोच रहे हो वह सही है कि नहीं, नहीं तो उसे वहीं पर छोड़ दो।

******

सेवानिवृत्ति क्यों

श्रीमती ज्योति पाटिल
कार्यालय अधीक्षक, मुंबई

सेवानिवृत्ति व्यक्ति के जीवन का आवश्यक पहलू है, क्योंकि हम अपनी नौकरी, व्यवसाय और व्यापार द्वारा संसार के प्रत्येक कोने से थन कमाने के लिए कई वर्ष तक क्रियाशील रहते हैं, जैसे मधुमक्खी एक फूल से दूसरे फूल तक शहद का संचयन करती रहती है। हम अपने माता-पिता, पत्नी और बच्चों तथा परिवार के अन्य सदस्यों की देख रेख भरण-पोषण और सुख-सुविधा के लिए आर्थिक बोझ वहन कर लेते हैं।

वास्तव में सेवानिवृत्ति विश्राम है, किंतु निष्क्रियता नही है, सुखद जीवन की आशा है। सेवानिवृत्ति वृद्धावस्था से जुड़ी प्रक्रिया है, जो वृद्ध लोगों को सुखद भविष्य की प्रेरणा देती है, वे लोग नवीन उत्साह के साथ नए जीवन का शुभारंभ करें, बीत गया सो बीत गया, हो गया सो हो गया- इस भावना से अनुप्रणित होकर अपने जीवन को सुखी बनाएँ।

सेवानिवृत्ति अभिशाप तो नहीं है, यह तो आलस्य का प्रतिरोध है। वृद्धों के थके हुए तन और मन का आराम है। कुछ वृद्ध माँ बाप स्वेच्छा से कार्य-भार अपने बच्चों को सौंप देते हैं और स्वयं अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। जब हम नौकरी में होते हैं या कोई व्यवसाय करते हैं, तब सांसारिक प्रलोभन, लालच और मायाजाल में फंसे रहते हैं, यह सत्य है कि जीवन आवश्यक समझौतों से भरा हुआ है, हममें से बहुत से लोग आर्थिक आवश्यकता के कारण नौकरी में बने रहते हैं, या सेवानिवृत्ति के बाद पुनः कहीं नौकरी करने लगते हैं। कुछ रोजी-रोटी की तलाश में भटकते है और कुछ लोग धन-संपदा और प्रतिष्ठा की खोज में जीवन के आनंद और विश्राम को गवाँ देते है।

विश्राम अवकाश-प्राप्ति है और अवकाश-प्राप्ति विश्राम है, किंतु कर्तव्य मनुष्य के जीवन की अंतिम सांसो तक साथ नही छोड़ता। यह कर्तव्य अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए करना पड़ता है। जीवन धन है। दूसरों के सुख के लिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए।

" हम आए हैं इस दुनिया में,
प्यार कराने नही, प्यार करने।
कुछ पाने नहीं, कुछ देने,
सेवा कराने नहीं, सेवा करने।। "

सेवानिवृत्ति के बाद लोग यदि स भावना को अपने ह्रदय में बसाकर क्रियाशील रहते हैं तो सेवानिवृत्ति कभी अभिशाप नहीं हो सकती।

इसे अभिशाप या वरदान बनाना हमारे विचारों पर निर्भर करता है। विचार जीवन की दिव्य पूंजी है, इसी के अनुरुप जीवन ढल जाना है।

आशावादियों के लिए सेवानिवृत्त जीवन वरदान है और निराशावादी के लिए अभिशाप।

******

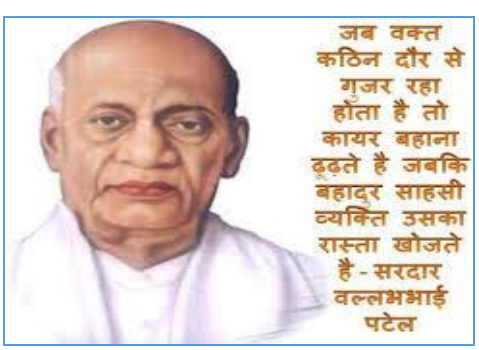

विभिन्न संस्थाओं के संस्कृत ध्येय वाक्य

श्री राजीव कुमार
कार्यालय अधीक्षक,
इलाहाबाद

एक-एक कर पढ़ें कि संस्कृत किस तरह भारत की नींव है-

भारत सरकार	सत्यमेव जयते
लोक सभा	धर्मचक्र प्रवर्तनाय
उच्चतम न्यायालय	यतो धर्मस्ततो जयः
ऑल इंडिया रेडियो	सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय
दूरदर्शन	सत्यं शिवं सुंदरम्
गोवा राज्य	सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चिद् दुःखभाग्भवेत्
भारतीय जीवन बीमा निगम	योगक्षेमं वहाम्यहम्
डाक तार विभाग	अहर्निशं सेवामहे
श्रम मंत्रालय	श्रम एवं जयते
भारतीय सांख्यिकी संस्थान	भिन्नेष्वेकस्य दर्शनम्
थल सेना	सेवा अस्माकं धर्मः
वायु सेना	नभः स्पृशं दीप्तम्
जल सेना	शं नो वरूणः
मुंबई पुलिस	सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय
हिंदी अकादमी	अहं राष्ट्री संगमनी वसूनाम्
भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी	हव्याभिर्भगः सवितुर्वरेण्यम्
भारतीय प्रशासनिक सेवा अकादमी	योगः कर्मसु कौशलम्
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये
नेशनल कौंसिल फॉर टीचर एजुकेशन	गुरूर्गुरूतमो धाम
गुरूकुल काङ्गडी	ब्रहमचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाघ्नत
इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय	ज्योतिर्व्रणीत तमसो विज्ञानन
काशी हिन्दू विश्वविद्यालयः	विदयायाडमृतमश्नुते
आन्ध्र विश्वविद्यालय	तेजस्विनावधीतमस्तु
बंगाल अभियांत्रिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, शिवपुर	उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत
गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय	आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः
संपूणानंद संस्कृत विश्वविद्यालय	श्रुतं मे गोपाय
श्री वैंकटेश्वर विश्वविद्यालय	ज्ञानं सम्यग् वेक्षणम्
कालीकट विश्वविद्यालय	निर्भय कर्मणा श्री
दिल्ली विश्वविद्यालय	निष्ठा धृतिः सत्यम
केरल विश्वविद्यालय	कर्मणि व्यज्यते प्रज्ञा
राजस्थान विश्वविद्यालय	धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा
पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय	युक्तिहीने विचारे तु धर्महानिः प्रजायते
वनस्थली विद्यापीठ	सा विद्या या विमुक्तये
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद	विदयाडमृतमश्नुते
केन्द्रीय विद्यालय	तत् त्वं पूषन् अपावृणु
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड	असतो मा सद्गमय
प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, त्रिवेन्द्रम	कर्मज्यायो हि अकर्मणः
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर	धियो यो नः प्रचोदयात्
गोविंद बल्लभ पंत अभियांत्रिकी, पौडी	तमसो मा ज्योतिर्गमय
मदनमोहन मालवीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय गोरखपुर	योगः कर्मसु कौशलम्
भारतीय प्रशासनिक कर्मचारी महाविद्यालय, हैदराबाद	संगच्छध्वं संवदधवम्
इंडिया विश्वविद्यालय का राष्ट्रीय विधि विद्यालय	धर्मो रक्षति रक्षितः
संत स्टीफन महाविद्यालय, दिल्ली	सत्यमेव विजयते नानृतम्
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान	शरीरमादयं खलुधर्मसाधनम्
विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर	योगः कर्मेसु कौशलम्
मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद	सिद्धिर्भवति कर्मजा

बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, पिलानी	ज्ञानं परमं बलम्
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर	योगः कर्मसुकौशलम्
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई	ज्ञानं परमं ध्येयम्
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर	तमसो मा ज्योतिर्गमय
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई	सिद्धिर्भवति कर्मजा
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की	श्रमं विना नकिमपि साध्यम्
भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद	विद्या विनियोगाद्विकासः
भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगलूरू	तेजस्वि नावधीतमस्तु
भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझीकोड	योगः कर्मसु कौशलम्
सेना ई एम ई कोर	कर्महि धर्महि
सेना राजपूताना राजफल	वीर भोग्या वसुंधरा
सेना मेडिकल कोर	सर्वे संतु निरामया.....
सेना शिक्षा कोर	विद्यैव बलम्
सेना एयर डिफेंस	आकाशेय शत्रुन जहि
सेना ग्रेनेडियर रेजिमेन्ट	सर्वदा शक्तिशालिम्
सेना राजपूत बटालियन	सर्वत्र विजये
सेना डोगरा रेजिमेन्ट	कर्तव्यम् अन्वात्मा
सेना गढवाल रायफल	युद्धया कृत निश्चयः
सेना कुमायू रेजिमेंट	पराक्रमो विजयते
सेना महार रेजिमेन्ट	यश सिद्धि?
सेना जम्मू काश्मीर रायफल	प्रस्थ रणवीरता?
सेना कश्मीर लाइट इंफैन्ट्री	बलिदान वीर-लक्ष्यम?
सेना इंजीनियर रेजिमेन्ट	सर्वत्र
भारतीय तट रक्षक	वयम् रक्षामः
सैन्य विद्यालय	युद्धं प्रगायय?
सैन्य अनुसंधान केन्द्र	बलस्य मूलं विज्ञानम्

सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता, विदेशी भी हमारे कायल हैं देखो जरा.....

नेपाल सरकार	जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी
इंडोनेशिया जलसेना	जलेष्वेव जयामहे (इंडोनेशिया)- पञ्चित
कोलंबो विश्वविद्यालय (श्रीलंका)	बुद्धि सर्वत्र भ्राजते
मोराटुवा विश्वविद्यालय(श्रीलंका)	विद्यैव सर्वधनम् पेरादे पञ्चचित
पेरादेनिया विश्वविद्यालय	सर्वस्य लोचनशास्त्रम्

संस्कृत और संस्कृति ही भारतीयता का मूल है..... भारत का विकास इसी से संभव है- संस्कृत हमारी पहचान है, हमें अपने गौरव का अभिमान है।"

******

वृक्षारोपण

श्री अशोक सिंह,
उच्च श्रेणी लिपिक,
जबलपुर

आओ वृक्षारोपण कर हम धरती का श्रृंगार करें।
पर्यावरण संतुलित करके जन-जन का उद्धार करें।
आओ वृक्षारोपण कर हम धरती का श्रृंगार करें।
जल जीवन है वायु प्राण, पर वृक्ष है दोनो का आधार,
मातृ, पितृ, गुरू ऋण न कोई, है क्यों वृक्षों का प्रतिकार
छाल, फूल, फल, शीतल छाया, पात अस्थि सम शाखाएं
मानव को दे देते हैं ये सरवस, पक्षी का होता घर बार,
ईश्वर का प्रत्यक्ष रुप ये सत्य यही स्वीकार करो
आओ वृक्षारोपण कर हम धरती का श्रृंगार करें
वर्षा को दे देते हैं न्यौता, मिट्टी को बांधे रहते,
देते शीतल प्राण वायु, पर स्वयं ताप पाला सहते।
वायु प्रदूषण दूर करे ये, वातावरण भी सुरक्षित हो
मानव के सच्चे साथी बन, दूषित वायु को भी पीते
वृक्ष न काटे कोई मानव, जीवों पर उपकार करें
आओ वृक्षारोपण कर हम धरती का श्रृंगार करें।
दूषित होगी अगर हवाएं, सांसे तक जल जायेगी
अधरों की नन्ही मुस्काने, खिलते ही कुम्हालायेगी
व्यार के जंगल-जंगल जैसी अगर बढ़ेंगी आबादी
आने वाली पीढ़ी हमको कोसेगी शर्मायेगी

धरा नरक बन जायेगी मिलकर सभी विचार करो
आओ वृक्षारोपण कर हम धरती का श्रृंगार करें।
बाग बगीचे उपवन पनपे, उन पर भी पंक्षी चहके,
कहीं पे बेला कहीं मोगरा, जूही चंपा सब महके
सुरक्षित हो सभी दिशाएं, हर मौसम का प्यार मिले
देख धरा की हरी ओढ़नी, नीरस अम्बर भी बहके
हरी-भरी, स्वच्छ और सुंदर धरती का स्वप्न साकार करें
आओ वृक्षारोपण कर हम धरती का श्रृंगार करें।

******

पानीवाला

गर्मी का मौसम था। दिन के बारह बज चुके थे। अब सूरज के गोले में तनिक भी पीलापन नहीं बचा था। चिलचिलाती धूप और चरख होने लगी थी। जब सवेरा हुआ थो तो पक्षी पेड़ों पर चहचहा रहे थे। धूप तेज होने के कारण चारो तरण स्तब्धता की चादर सी फैल गई। बस्ती में पत्ता खड़कने तक की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। कोयल की कूहकू किसके कानों को राहत नहीं देती। वह भी चुप बैठी थी। एक घरेलू चिडिंया थी जिसके ची-ची की आवाज कभी-कभार सुनाई दे जाती थी। वह भी क्या करती। प्यास से उसका गला सूख गया। थक हारकर छप्पर के एक कोने में छिप कर बैठ गई।

पानी की ऐसी किल्लत, जानवर तो क्या इंसानो तक के लिए पानी उपलब्ध नही हो पा रहा था। पूरे क्षेत्र को अकाल ने अपनी चपेट में ले लिया। त्राहि-त्राहि मच गई। सूरजा के बाड़े में सात ऊंट, चार बकरियां, पांच भैंसों में से केवल दो भैंसे ही बची थी, बाकी बिना पानी के एक-एक करके मरती चली गईं। पूरा एक महीना बीतने को आ गया। सूरजा नहाया तक नही था। मुंह धोने के लिए आधा लोटा पानी काम में लेता। अंग-अंग तपिस से जल रहा था। शरीर को ठंढ़ा रखने के लिए गीले कपड़े से पोछ लिया करता। देहरी के पास एक गज की दूरी पर छप्पर के नीचे बैठा-बैठा बड़बड़ाए जा रहा था। सारी सुविधाएं बड़े-बड़े शहर वालों के लिए ही बनवा रखे हैं। दिन भर बिजली मिलती है। कूलर चला कर कमरों में ठंडी हवा में पड़े रहते हैं। सरकार पानी के लिए लड़ती है। उनकी नाक के नीचे बड़ी-बड़ी कंपनियां जैसे- कोका-कोला, पेप्सी, लिम्का, मिरिंडा, बिसलेरी आदि के बोतलों में पानी से करोड़ो की कमाई कर रहे हैं। ऐसे में गांव वालों की किसको चिंता है? फिर गांव वालों की सुनता कौन है? उन्हें पानी मिले तो ठीक, न मिले तो ठीक। अपनी बला से!

"बापू बड़बड़ाने से समस्या हल होने वाली नहीं है। तुम नहीं जानते शहरों में कार मोटरें धोने के लिए बहुत सारा पाना बरबाद कर देते हैं। कमरों में लोगों ने पानी वाले कूलर लगा रखे हैं। उनके काम में हजारो लीटर पानी आ जाता है। "- मिट्ठू बोला। तपती धूप की अकुलाहट में सूरजा का मन मितला रहा था। सुबह से उसका मन नहाने का कर रहा था। मगर करे तो क्या करे ? गांव में पानी का टैंकर ही नहीं आया। उसके गावं में 10-15 कच्चे मकान थे। गांव वालो ने बरसात के पानी को एकत्रित करने के लिए छोटे-छोटे टैंक बना रखे थे। उसमें बरसात का पानी भर जाता। जानवरों को पिलाने के लिए यही एक सहारा था। इस वर्ष भगवान की ऐसी नजर टेढ़ी हुई कि भूजल स्तर काफी नीचे चला गया। मई-जून के आते-आते पोखर तालाब सब सूख गए। जगह-जगह धरती चटख गई। गांव में चार कुंए थे। वे सब सूख गए। सरकार ने दो हैंड पंप लगवाए थे। वे भी कांपने लगे।

सूरजा प्रतीक्षा कर रहा था कि जिला परिषद की ओर से पानी का टैंकर आ जाए। कम से कम पीने के पानी का तो जुगाड़ हो जाता। सड़क उसी गांव के पास से गुजरती थी। कभी-कभार भरकर टैंकर आ जाता तो लोग उस पर इस तरह से टूट पड़ते जैसे चील-कौवे शिकार पर टूट पड़ते हैं। दोपहर होते-होते सूरजा फिर से बड़बड़ाने लगा। बड़े लड़के मिट्ठू को उसने कई बार टोका- जा देख न, कोई टैंकर आया है क्या?

अभी नहीं आया बापू। मैं भी सड़क की तरफ ही टकटकी लगाए टैंकर का ही इंतजार कर रहा हूं- मिट्ठू बोला और झोपड़ी के सामने पड़ी चारपाई पर जाकर बैठ गया।

थोड़ी देर बाद सूरजा ने झोपड़े से बाहर निकलकर देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। आ गया। आ गया। पानी वाला आ गया। उसका मुरझाया चेहरा ऐसे खिल उठा जैसे अंधे का आंखे मिल जाती हैं। गोलू, गोपाल, छगन, महेश और कई छोकरे मोटे-मोटे डंडे के दोनो तरफ बाल्टियां लटकाए और कुछ मटके लिए भागने लगे। मिट्ठू बोला- बापू, जल्दी कर। टैंकर आ गया।

गांव वाले सब के सब टैंकर के पास पहुंच गए। कहीं ऐसा ना हो कि सारा पानी खत्म हो जाए। इसलिए सूरजा और मिट्ठू ने तराजूनुमा डंडे पर दो-दो बाल्टियां लटका ली। पीछे-पीछे सूरजा का छोटा बेटा राजू, पत्नी बुधिया, पड़ोसन सुखिया, कमला, विमला, सभी मटके लेकर दौड़ पड़े। देखते-देखते टैंकर के पास गांव की भीड़ जमा हो गई। पहले मेरी बाल्टी में पानी डालो। नहीं, पहले मेरी में। देखते-देखते छीना-झपटी होने लगी। औरतें एक-दूसरे पर गालियों की बौछार करने लगी। क्लीनर और ड्राइवर ने डांटा तो शांत हुई। बोला- पानी सबको मिलेगा। पूरा टैंकर भरकर पहले तुम्हारे पास लाया हूं। तुम लोग अपनी जरूरत का पूरा पानी भर लो। किसी को प्यासा छोड़कर नहीं जाउंगा। चलो लाइन लगाकर चुपचाप खड़े हो जाओ। झगड़ा करोगे तो किसी को पानी नहीं दूंगा।

टैंकर की टोटी से पानी बूंद-बूंद रिस रहा था। उसे देख कौवे और कोयल कहां पीछे रहने वाले थे। आम के पेड़ से उड़कर टैंकर के नल पर बैठ गए और चोंच से पानी भर-भर कर पीने लगे।

सूरजा और मिट्ठू ने फटाफट दो फेरे लगा लिए। साथ में उसकी पत्नी भी मटका भरकर दौड़ लगा रही थी। सूरजा ने अपनी जरूरत का पानी ले लिआ। अब वह स्नान भी कर सकता था। सोचा क्यों न नहाकर शरीर ठंडा कर लूं। बाल्टियां भर-भर उसने कई चक्कर लगाए थे, सो थक गया था। थोड़ी देर सूस्ताने के बाद पहला लोटा पानी भरकर सिर पर डाला ही था कि बड़ा बेटा मिट्ठू चिल्लाया- बापू नहाकर पानी क्यों बरबाद कर रहे हो। आज मुझे जी भरकर नहला लेने दो, मिट्ठू।

बापू मैं अभी चारपाई लाया। उस पर बैठकर नहा लो। नीचे पीतल की परात रख देता हूं। जो पानी इकट्ठा होगा वो जानवर के पीने के काम आ जाएगा। भैंसो के पेट में सुबह से पानी की एक बूंद नहीं गई। उनकी प्यास ऐसे ही बुझेगी। मिट्ठू तुरंत अंदर गया और चारपाई ले आया। बोला- मां, जल्दी से परात ले आ। डाल दे चारपाई के नीचे। परात रखकर बोली-अब नहा लो, कम से कम पानी तो बरबाद नहीं होगा। सूरजा ने चार लोटे पानी शरीर पर डाल लिए। साबुन तक न लगाया। वह जानता था कि साबुन लगाया तो भैंसो को पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। शरीर को ठंडा कर लिया।

मिट्ठू ने चारपाई उठाकर एक तरफ खड़ी कर दी और सूरजा पानी से भरी परात को उठाकर भैंस के पास ले आया। पानी देखकर भैंस पीने के लिए पहले से ही गर्रा रहे थे। सिर हिलाकर हंगामा खड़ा कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो खूंटा उखाड़ देगी। सूरजा ने पानी की परात भैंस के सामने रख दी तो चपर-चपर पानी पीने लगीं। भैंस को पानी पिलाते समय मिट्ठू की मां प्यार से उसकी पीठ सहलाती जा रही थी। सूरजा कभी परात के पानी को देखता तो कभी भैंस को। टैंकर वाले को धन्यवाद देता हुआ पुनः पेड़ की छाया तले आ कर बैठ गया।

******

कविता

संकलन कर्ताः-
श्री धर्मेन्द्रसिंह परमार
अवर श्रेणी लिपिक,
अहमदाबाद

छोटी-सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो।
जो पास में ना हो, उनकी आवाज़ में खुश रहो।
कोई रूठा हो तुमसे, उसके इस अंदाज़ में खुश रहो।
जो लौट के नही आने वाले है, उन लम्हों कि याद में खुश रहो।

कल किसने देखा है,
अपने आज में खुश रहो।
खुशियों का इन्तजार किस लिए,
दूसरों कि मुस्कान में खुश रहो।
क्यूँ तड़पते हो हर पल किसी के साथ को,
कभी तो अपने आप में खुश रहो।
छोटी सी जिंदगी है, हर हाल में खुश रहो।

******

समर्पण

श्री पंकज वर्गी
अवर श्रेणी लिपिक,
अहमदाबाद

"माँ मुझे अब नींद आने लगी है और कितना टेम लगेगा?" कबीर ने मिचमिचाती आँखो को मसलते हुए खुद को उसके करीब खिसकाते हुए कहा।

"बस बेटा थोड़ा टेम और लगेगा तू सो मति जइयों मैने आज तेरे लिए और भी कुछ बनाना है आज तो तुझे पेट भरके अपनी पसंद का खाना खाना है, कितने दिन हुए तुझे यूं ही आधा पेट सोते हुए। बस ये चूल्हे की आग जो बुझ गई है बड़ा टेम लगा रही है कुछ और कांटे इसमें भर के एक फूंकनी और दे दूँ बस फटाफट रेडी है। उसने कबीर को लगभग गले लगाते हुए कहा, पर उसका सारा ध्यान उसी में था कि जो भी थोड़े चावल साहिल पंसारी से उधार मिल गये है उन्हें मसालो के साथ भून कर अपने बेटे के लिए कुछ ऐसा बना दे कि भूख शान्त होने के साथ-साथ उसका मन भी खुश हो जाए और वो आज की रात खुश हो के सो सके। आज का पूरा दिन हाड़ तोड़ देने वाली मेहनत की थी उसने। ताकि आज कबीर के जन्मदिन के दिन तो कम से कम उसे भरपेट और कुछ अच्छा खाने को मिल सके। इसलिए ही तो रास्ते में एक खेत से मिली सरसो की एक पोथी को उबालकर साग बनाया था, और कुछ सत्तू भी पानी के साथ घोलकर तैयार किया था। बस भात उबलने का इन्तजार करती चूल्हे में फूंकनी से फूँक मारे जा रही थी और साथ में रोज की तरह अपने बच्चे को नये-नये सपनों के पूरा होने का यकीन भी दिलाती जा रही थी मीरा।

मीरा। हाँ यही तो नाम रखा था उसके पिता ने उसके पैदा होने पर और कहा था "जो समर्पण और त्याग था ना मीराबाई मे वही होगा इसमें, देख लेना मीरा की माँ, जिस किसी भी घर मे जाएगी हमारी मीरा, खुद जल कर भी रोशनी ही फैलाएगी।

मीरा बचपन से ही अपने बाप के समर्पण और शिद्दत वाले एहसास को खुद के जहन के साथ आत्मसात कर चुकी थी। उसे नही पता था कि दुनियां की और लड़कियो के लिए खुशी और सपने समर्पण से ज्यादा बड़े होते है। उसे तो जैसे बस, किसी और के लिए ही जीने को बनाया गया था। बचपन में माँ के जाने के बाद बाप की माँ बनकर देख भाल की। जवान होने से पहले ही एक और समर्पण के लिए सौप दी गई जहाँ उसके समर्पण की शायद सबसे कडी परीक्षा होनी थी। बेवड़े पति की मार सहते-सहते जिन्दगी के सबसे घिनौने तीन साल निकाले थे, उसने और साथ था उसका वही त्याग वही समर्पण और तीसरे साल वो घिनौना अध्याय फिर से एक नये समर्पण में तब्दील हो चुका था। जब उसके पति ने इसी खोली में आखरी साँस ली थी और उसकी गोद में

छोड गया था दो साल के कबीर को। जो आज चार साल का हो गया है।

"माँ क्या जन्मदिन में सब ऐसे ही करते हैं वो हमारी मालकिन की लड़की सारा तो कह रही थी कि जन्मदिन में तो सब जलसा करते हैं सबको बुलाते हैं नाचते-गाते हैं।

"तू भी कहाँ उसकी बातों में आरिया है, वो तो लड़की है बेटा। लड़के थोडी ना ऐसा करते है ये तो सब लड़कियों के चोंचले होते है। लड़के तो अपने मन के राजा होते है, जिस दिन चाहे उसी दिन जलसा है। और फिर हम दोनो तो है ना, अपनी खोली मे जलसा करेंगे।"

आँसू तो जैसे उसकी आँखों से सूख ही चुके थे। बस हमेशा एक जैसी मुस्कान तेजी से चेहरे पर तैर जाती थी।

और पता नहीं कब वो कबीर के ख्यालों के समन्दर में गोते लगा चुकी थी। उसकी सोच उसे जिन्दगी के उन्हीं दिनों में ले गई थी जहाँ वह अपनी ज़िन्दगी विलासिताओं के साथ अपनी भरपूर जवानी के साथ, पूरे ऐशो-आराम के साथ जी चुकी थी क्या कम मौके मिले थे उसे? चाहती तो दुनियां की और लड़कियों की तरह चेहरों पे चेहरे लगा के अय्याशियों के साथ जी सकती थी और पूरी अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर सकती थी।

लेकिन उसने चुना था वही समर्पण। उसके नाम के साथ गुँथ चुका था उसके ज़हन में । उसके लिए उसकी शिद्दत और खुद से किया वादा, बस यही सबसे बड़ा था। उसे पता ही नहीं चला कि कब वो ख्यालों के उस घर से बाहर कहीं किसी अलग रास्ते पर कूद गई थी।

"ऐ कबीर उठ-उठ जल्दी उठ खाना बन गया है।"

पर आज फिर से इतने ही चावल थे कि कबीर के हिस्से में भी पूरे नहीं आने वाले थे और मीरा की सिसकियाँ हमेशा की तरह उसकी खामोशियों के पीछे चेहरा छुपा चुकी थी।

******

गर, आज भगत सिंह होते

बेइंसाफी इतनी-, बर्दाश कहाँ कर पाते
लहू उतरता आंखों में, दिलों में शोले सुलगा जाते
गर आज भगत सिंह होते

सिस्टम के आगे बेबस तो, हरगिज़ नही हो पाते
इंकलाब लाने को, फिर से फांसी चढ़ जाते
गर, आज भगत सिंह होते

सियासत बाँट रही लोगों को, अपने-अपने पाले में
धर्म-खुदा के वहम को, लोगों को समझा जाते
गर, आज भगत सिंह होते

ना निर्भया, ना प्रियंका, ना सोनी सोरी होती
औरत पर होते जुल्म, ना फिर दोहराये जाते
गर, आज भगत सिंह होते

पूंजीवाद का चेहरा, बेनक़ाब हो जाता
संसाधनों में सबकी, हिस्सेदारी बंटवाते
गर, आज भगत सिंह होते

शिक्षा, सेहत, रोजगार पे हक़ सबका करवाते
देश के असली मुद्दे, चर्चाओं में लाते,
गर, आज भगत सिंह होते

इंसाफ की खातिर लड़ना, हर एक को समझा जाते
हर बहन भगत सिंह होती, हर भाई भगत सिंह होता
गर, आज भगत सिंह होते

******

माँ

श्री राम प्रेवश कुमार
अवर श्रेणी लिपिक,
जबलपुर

जब छोटा था तब मां की शैय्या गीली करता था,
अब बड़ा हुआ तो मां की आंखे गीली करता हूं।
मां पहले जब आंसू आते थे..... तब तुम याद आती थीं,
आज तुम याद आती हो.....तो पलकों में आंसू छलकते हैं।
जिन बेटों के जन्म पर मां-बाप ने हंसी-खुशी मिठाई बांटी,
वही बेटे जवान होकर आज मां-बाप को बांटे।
एक दिन तुझे भी यह सब सहना है।
घर की देवी को छोड़ मूर्ख.....पत्थर को चुनरी ओढ़ाने क्यों जाता है.....
जीवन की संध्या में आज तू उसके साथ रह ले,
जाते हुए साए का तू आज आशीष ले ले.....
उसके अंधेरे पथ में सूरज बनकर रोशनी कर.....
चार दिन और जीने की चाहत उसमें निर्माण कर.....
तूने मां का दूध पिया है.....
उसका कर्ज अदा कर..... उसका कर्ज अदा कर.....

कोरोना

श्रीमती मिलन पाटिल,
अवर श्रेणी लिपिक, मुंबई

वैसे तो कोरोना एक वैश्विक महामारी है
हम इसे कभी भूल ही नहीं सकते हैं
इसने भागती-दौड़ती दुनियां को एकदम से बंद कर दिया
सब के दिल में घबराहट का आक्रोश मचा दिया
सब लोग अपने-अपने परिवार के साथ
लढ़ रहे हैं करने कोरोना को मात
बंद हुए मंदिर, चर्च और मस्जिद,
बंद हुए मॉल्स, नाई, दर्जी और दुकानें
थम गई ट्रेनें, बस और रिक्शा
शोर-शराबा वाले मार्केट और रास्तों पर
अचानक से मच गया मातम
चेहरों पर लगाए मास्क घुमने लगे जब सब लोग
किसी को पहचानते हुए भी अनदेखा करने लगे अब सब लोग
इस रोग की इतनी आदत लगी है अब के
बिना हाथ धोए खाना जा ही नही सकता मुँह में
सैनिटायज़र, मास्क अब हमें जीवानावश्यक वस्तुएं लग रही हैं
पॉजिटीव शब्द से अब हमें नफरत होने लगी है
अब खत्म हो जाए कोरोना का यह महासंकट

******

बेटियाँ

जिस घर में हो लड़की का जनम
घर वह हो जाता है पावन
लड़कियाँ होती हैं उत्साहपूर्ण देवी की मूर्तियां
बिना बिजली भी घर में जलता दिया
माँ-बाप के लिए हीरे के समान होती है ये बेटियाँ

उनके प्यारी सी हँसी से घर में आती है खुशियाँ
उनके नटखट शरारतों से बहती हैं आनंद की नदियाँ
प्यारे-प्यारे बोल उनके, सुंदर उनका रूप
माँ-बाप को होती हैं बहुत प्यारी ये बेटियां

शादी के वक्त अपना परिवार छोड़ना
जिसे रीति-रिवाज कहता है यह जमाना
नए परिवार को अपनाना, अपनी खुशी मानना
माँ-बाप के पास छोड़ जाती है कितनी सारी यादें ये बेटियां
अपने परिवार के लिए कितने भी कष्ट उठाकर
स्वागत करती हैं सबका हमेशा हँसकर
कभी होती हैं दामिनी तो कभी रणरागिनी
यह होती हैं प्यार की जननी
माँ-बाप से दूर रहकर भी कितना प्यार करती हैं यह बेटियां

बेटियों के जन्म पर नाराज होने वाले कुछ लोग
उनके जन्म से पहले ही मार देने वाले कुछ लोग
जमाना इतना आगे बढ़कर भी बेटा-बेटी में फर्क करने वाले लोग

क्या जाने बेटियां कितनी प्यारी होती हैं
यह तो सिर्फ उस बाप से पूछो जिस घर में बेटी है
क्योंकि बेटी एक बाप के लिए किसी परी से कम नहीं होती
माँ-बाप के दिल का टुकड़ा होती हैं यह बेटियां।

******

कोरोना से बदला जीवन

श्रीमती सोनाली मोरे
अवर श्रेणी लिपिक,
मुंबई

मार्च महीने से लगा था जनता कर्फ्यू,
बढ़ गया आंकड़ा सर्दी, खांसी किसी को है फ्लू,
परदेस से आया ये है वायरस मेहमान,
अब सबके घर-घर में मचाया है कोहराम।।1।।

न्यूज में, फेसबुक में और वॉट्सअप पर बस उसके ही हैं चर्चे,
उससे ही जनता के मन में फैला डर का कहर,
दिनभर सब वायरस के बारे में ही सोचते,
शाम को प्रेस नोट पढ़कर और भी डरते।।2।।

इस वायरस के बारे में सबकी अलग-अलग राय
कोई कहता है, बार-बार अपने हाथ धो लो
वाफ और गरम पानी से अपने गले को सेंक लो
तो कोई कहता है कि साधारण है
ये बुखार इससे डरना है बेकार।।3।।

घर में रह-रह के पति का हुआ बुरा हाल,
कहता है, घर में है शेरनी तो बाहर है वायरस शेर,
पत्नियां भी दिन भर काम करके परेशान,
नए-नए पक्वान बनाकर पूरी की बच्चों की फरमाइश,

फिर भी परिवार का महत्व समझा लॉकडाउन के साथ।।4।।

अब इस समय से भी हमें मिल-जुलकर लड़ना है,
घर पैसों से ही चलता है तो कमाने के लिए बाहर निकलना है,
लेकिन शासन द्वारा दिए हुए नियम के साथ,
हमें आगे बढ़ना है,
ये बुरा समय भी निकल जाएगा सभी को धीरज रखना है,
एक बार मिलने वाली इस जिदंगी को,
हमें हर हाल में बचाना है।।5।।

******

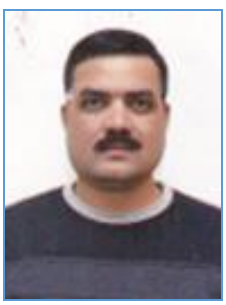

प्रसन्नता का स्त्रोत

श्री चन्द्रभान सिंह
अवर श्रेणी लिपिक,
लखनऊ पीठ

भौतिकवादी प्रगति ने मानव को सुविधा संपन्न बना दिया है। आज इंसान जीवन में अधिक से अधिक धन पाने की तृष्णा में दिन-रात उसके संग्रहण में व्यर्थ भाग रहा है। पैसों की चकाचौंध और लालच ने इंसान को अंधा कर दिया है। न तन का ख्याल है न ही आत्मा को सुकून, केवल भागम-भाग जारी है। वह इस बात से अनभिज्ञ है कि जो कर रहा है उससे सुविधाएं जरूर बढ़ेंगी लेकिन खुशी की प्राप्ति नहीं होगी। आज सब कुछ मानव के वश में होने के बावजूद उसके चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई नहीं दे रही है। दरअसल खुशी का संबंध मन में आत्मसंतुष्टि के वास से है। खुशी का धन से दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं है। अतः खुशी धन से खरीदी नहीं जा सकती और न ही बेतहाशा संसाधनों की खपत करके खुशी को हासिल किया जा सकता है।

खुशी के लिए पहली अनिवार्य शर्त है मन की संतुष्टि। जब मन में संतोष का मकान बनने लगेगा तो खुशी अनायास ही उसमें रहने आएगी। मन की संतुष्टि के लिए लोभ की वृत्ति पर पाबंदी लगानी होगी। गीता के अनुसार न किसी को भाग्य से अधिक और न ही भाग्य से कम प्राप्त होता है। हमें अपने पुरुषार्थ और कर्म पर विश्वास होना चाहिए। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो अपनी अटूट आस्था से कर्म को अनवरत जारी रखते हैं। खुशी कठिनाईयों और दुखों के पीछे ही सुप्त है। इसलिए कठिनाईयों से मुकाबला करना मानव का धर्म होना चाहिए। जीवन लीला को इस कारण खत्म करना कि दुख सीमा पार कर गया था, बिल्कुल भी उचित नहीं है।

आज खुशी के लिए हमें कोई बड़ी कीमत चुकाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें छोटी-छोटी चीजों में बड़ी-बड़ी खुशी तलाशने की आदत डालने की जरूरत है। यह खुशी हमें दूसरों की मदद कर, असहाय की सहायता कर, सच बोलकर, ईमानदारी से रोगियों का उपचार कर, सिद्धांतवादी जीवन निर्वाह कर प्राप्त हो सकती है।

****

बेटी पंखुड़ी कहलाती है

श्री लोकेश प्रकाश चावरे
अवर श्रेणी लिपिक, पुणे

जन्म हुआ कन्या का फूटी किस्मत पाई है
बोझ बड़ा जीवन में आगे सब कठनाई है।
ऐसे कहने वालों को कन्या ही
आनंद की अनुभूति करवाती है
बेटी पंखुड़ी कहलाती है।
बेटी पंखुड़ी कहलाती है।

बढ़ती उम्र में वह अपने रंग रुप दिखलाती है
अपने नटखटावों से वह खूब हंसाती जाती है,
हवा के झोंके के साथ वह हर गम दूर भगाती है
बेटी पंखुड़ी कहलाती है।
बेटी पंखुड़ी कहलाती है।

ब्याहने के बाद वह अपने नए घर चली जाती है
अपनी सुगंधताओं से वह उस घर को महकाती है
माता-पिता के मान-सम्मान के चलते खुद ही झड़-झड़ जाती है
हर घर की रौनक यूं ही नहीं मानी जाती है
बेटी पंखुड़ी कहलाती है।
बेटी पंखुड़ी कहलाती है।

बुढ़ापे का सहारा बनकर अपने होने का एहसास जताती है
तन्हाई में आस बनकर हर वक्त गुदगुदाती है
ममता की मूरत क्या होती है वह हमें सिखलाती है
बेटी पंखुड़ी कहलाती है।
बेटी पंखुड़ी कहलाती है।

******

आयकर अपीलीय अधिकरण , हैदराबाद
एसएमसी , ''क'' पीठ हैदराबाद में

श्रीमती पी.माधवी देवी, माननीय न्यायिक सदस्य के समक्ष

आ.अ.सं.42/हैदरा/2019 मुल्यांकन वर्ष :2014-15		
ज्योति वादेरा लेबर कांट्राक्ट को-आपरेटिव सोसायटी लि हैदराबाद पान: एएएएजे1115 सी	बनाम	आयकर अधिकारी वार्ड -15(3), हैदराबाद
(अपीलार्थी)		(प्रत्यार्थी)

निर्धारिती की ओर से : के.ए. साइ प्रसाद , एआर
राजस्व की ओर से : श्री.संदीप कुमार महता , डीआर

सुनवाई की तिथि : 10/02/2020
आदेश घोषणा की तिथि :12/02/2020

<u>आदेश</u>

यह निर्धारिती की मूल्यांकन वर्ष 2014-15 के लिए विद्वान आयकर आयुक्त (अ)-7, हैदराबाद, दिनांकित 14/11/2018 को पारित आदेश के खिलाफ फाइल की गयी ।

2. संक्षेप में मामले के तथ्य निम्नवत् हैं. निर्धारिती एक श्रमिक सहकारी ठेका समिति है और वह एओपी की हैसियत से आयकर की रिटर्न फाइल करती रही. वह दिनांक 25.09.2014 को यह दर्शाते हुए आय की रिटर्न दर्ज की कि आयकर अधिनियम (अधिनियम) की धारा 80 पी के अंतर्गत रु.14,47,605/- की छूट का दावा कर कुल आय रु.'शून्य' बताया है. तदोपरांत मामला सीएएसएएस के अंतर्गत स्क्रूटिनी के लिए चुना गया है. अधिनियम की धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण प्रक्रिया के दौरान निर्धारण अधिकारी ने यह पाया कि निर्धारिती ठेकों का कार्य करता है अत: वह अधिनियम की धारा 80पी के अंतर्गत छूट के लिए पात्र नहीं है. आगे निर्धारण अधिकारी ने यह भी पाया है कि आय की रिटर्न तथा निर्धारिती के 26 एएस के अनुसार सकल प्राप्तियों में अंतर है. अत: निर्धारण अधिकारी ने प्राप्तियों के अंतर पर 12.8% आय का आकलन किया और उसे कर के परिप्रेक्ष्य में लाया.

2.1 इससे व्यथित निर्धारिती ने आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील की. उन्होंने आदेशों का समर्थन किया परंतु सकल प्राप्तियों के अंतर पर आय का आकलन 12.8% के बदले 8% तक सीमित किया.

3. आयकर आयुक्त (अपील) के इस आदेश के विरुद्ध निर्धारिती ने अपील में निम्न मद्दों को उठाते हुए अधिकरण के समक्ष अपील की.

''1. प्रथम अपीलेट प्राधिकारी का आदेश कानूनन या तथ्यों या दोनों दृष्टिकोणों से सही नहीं है.

2. अधिनियम की धारा 80 पी2 (ए) (vi) के अंतर्गत विद्वान प्रथम अपीलेट प्राधिकारी द्वारा अपीलेंट द्वारा दावित (रु.6,16,817/-) राशि की छूट को सीमित करना, जो उनके सदस्यों द्वारा श्रम के सामूहिक वितरण कार्यों द्वारा प्राप्त हुई है, न्यायोचित नहीं है.

3. विद्वान प्रथम अपीलेट प्राधिकारी इस तथ्य का समर्थन करने में विफल हुए हैं कि वस्तुत: सामग्री पर किया गया व्यय श्रम बल का सामूहिक वितरण प्रासंगिक है.

4. अपीलकर्ता यह भी प्रार्थना करना चाहता है कि उसे अपील की सुनवाई के दौरान अपील में उक्त मदों में संवर्धन या संशोधन करने की अनुमति दी जाए.''

3.1. निर्धारिती के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि निर्धारिती एक सहकारी समिति है और वह हमेशा आय रिटर्न प्रस्तुत किया करती है. इसलिए वह अधिनियम की धारा 80 पी2 (vi) के अंतर्गत छूट दावा किया करती है. निर्धारिती के विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया है कि निर्धारिती केवल श्रम के ठेके किया करती है और जैसा कि आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा नोटिस किया गया है कि श्रम के अलावा यदि किसी अन्य स्रोत से आय प्राप्त होती है तो वह निर्धारिती द्वारा किए गये कार्य का मात्र प्रासंगिक है. अत: उसके अनुसार निर्धारिती द्वारा किए गए ठेके केवल श्रम ठेके हैं न कि कार्य ठेके, जैसा कि निर्धारण अधिकारी और आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा बताया गया है. उन्होंने निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिए आईटीए संख्या 234/हैदराबाद/2016 के संदर्भ में मेसर्स साई कृष्णा डब्ल्यू एल सी सी एस के मामले में इस खंड पीठ के समेकित बेंच के निर्णय के दिनांक 31.03.2017 के निर्णय पर निर्भर किया, जहाँ ऐसी ही परिस्थितियों में यह निर्णय किया गया है कि निर्धारिती अधिनियम की धारा 80 पी2 (vi) के अंतर्गत छूट दावा के लिए पात्र है. उसकी एक प्रति हमारे सामने प्रस्तुत की गयी है.

3.2. प्रतिवादी के विद्वान प्रतिनिधि ने निम्न प्राधिकारियों के आदेशों का समर्थन किया और प्रस्तुत किया कि चूँकि निर्धारिती न केवल श्रम शक्ति ही नहीं, अपितु वस्तु-सामग्री के भी ठेके करता है, यह मात्र श्रम ठेका नहीं है, परंतु वस्तु-सामग्री का ठेका भी है, जैसा कि आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा निर्धारित किया गया है तथा अधिनियम की धारा 80 पी2 (ए)(vi) के अंतर्गत छूट दावे के लिए पात्र नहीं है.

4. दोनों वाद और विवाद और अभिलेख में उपलब्ध विषय-वस्तु को ध्यान में रखते हुए मैंने यह देखा कि मेसर्स साई कृष्णा डब्ल्यू एल सी सी एस के प्रकरण में इस अधिकरण के एसएमसी बेंच ने आयकर आयुक्त बनाम मेसर्स उरलुंगल लेबर कांट्रैक्ट के दिनांक 29.10.2009 के 2009 के आईटीए संख्या.1722 के प्रकरण में माननीय केरल उच्च न्यायालय के निर्णय का अनुसरण किया. उसमें यह निर्णय दिया गया है कि निर्माण गतिविधियों से प्राप्त आय अधिनियम की धारा 80 पी2(vi) के अंतर्गत छूट दावे के लिए पात्र है तथा ऐसे ठेकों के संदर्भ में यदि कोई लेनदेन प्रासंगिक होता है, तों वह भी धारा 80 पी2(vi) के अंतर्गत छूट दावे के लिए पात्र है. स्पष्टीकरण और सुलभ संदर्भ हेतु संबंधित पैरा निम्न प्रस्तुत हैं :

"2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य निम्नवत् हैं. निर्धारिती अपने सदस्यों के श्रम के समेकित वितरण से उसकी गतिविधियों द्वारा सिविल ठेके का व्यापार करता है. निर्धारिती श्रम ठेका सहकारी लिमिटेड के रूप में पंजीकृत है. उसमें कुशल और अकुशल श्रमिक कार्यरत हैं और वह विभिन्न सरकारी विभागों के ठेकों का निष्पादन करती है. आरोपित निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती ने रु. 12,16,350/- की आय मानते हुए अधिनियम की धारा 80 पी2 (ए)(vi) के अधीन संपूर्णराशि के लिए छूट का दावा किया. अधिनियम की धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण करते हुए निर्धारण अधिकारी ने छूट को यह बताते

हुए अस्वीकार किया कि निर्धारिती जीएचएमसी के लिए सिविल ठेकेदार है न कि श्रमिक ठेकेदार नहीं है. आगे वह सकल ठेके प्राप्तियों के 8% राशि को लाभ के रूप में आकलन करते हुए सकल आय को रु.14,28,370/- निर्धारित किया.

5. विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष निर्धारिती ने प्रस्तुत किया कि वह समिति की हैसियत से रिटर्न फाइल करती आ रही है और धारा 80पी के अंतर्गत इन्हीं तथ्यों के आधार पर पिछले वर्षों में भी छूट मिलता रहा है. निर्धारिती ने यह भी प्रस्तुत किया है कि केवल श्रमिक ही इसके सदस्य हैं और लाभांश के रूप लाभ उनके बीच बांटा जाता है. सामग्री और मशीनरी का किराया ठेके कार्य के प्रासंगिक व्यय है. निर्धारिती के सदस्य ठेके के निष्पादन करते हैं. आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि यद्यपि ठेके में दोनों श्रम और सिविल ठेके सम्मिलित हैं, समिति धारा 80 पी के अंतर्गत छूट के लिए पात्र है क्योंकि व्यापार में किसी एक या उससे अधिक गतिविधियों से प्राप्त संपूर्ण लाभ छूट के लिए पात्र है.

5.1. विद्वान आयकर आयुक्त इस वाद से तुष्ट नहीं हुए और यह बताते हुए दावे का अस्वीकरण किया कि :

"7.2 रिकार्ड में उपलब्ध सूचना पर ध्यान से विचार किया गया. धारा 80पी के प्रावधानों के अधीन धारा 80पी के अंतर्गत केवल श्रम आपूर्ति की गतिविधियों के लाभ एवं प्राप्तियाँ ही छूट के लिए पात्र हैं.
श्रमिक गतिविधियों से प्राप्त बेशी और समिति के सदस्यों के बीच वितरित राशि की मात्रा की जाँच करने के लिए, एआर से पूछा गया कि समिति के सदस्यों के बीच बेशी को कैसे बाँटा गया है और इसे साबित करने के लिए बैंक खाते को प्रस्तुत करें. तथापि, ऐसे विवरण प्रस्तुत नहीं किए गए. इस आशा के साथ निर्धारण अधिकारी से रिकार्ड भी प्राप्त किए गए और उनका अवलोकन भी किया गया कि कुछ ऐसे मौलिक विवरण जैसे समिति का पंजीकरण, समिति के सदस्य आदि विवरण प्राप्त किए जा सके. निर्धारण रिकार्ड में ऐसा कोई विवरण प्राप्त नहीं हुआ है. तथापि, दिनांक 24.11.2011 के आदेश पत्र की प्रविष्टि में एक निर्धारण रिकार्ड प्राप्त हुआ, जो निम्नवत् है :

> "निर्धारिती का प्रतिनिधि सुनवाई के लिए उपस्थित रहा और मामले पर चर्चा हुई. जाँच प्रक्रिया के दौरान एआर को रु.4,40,000 के माल प्रभार और रु.2,00,000 के किराए प्रभार से संबंधित विभिन्न वाउचरों के बारे में सूचित किया गया, जिनकी प्रकृति की जाँच नहीं की जा सकी. इन के लिए एआर ने सूचित किया कि चूँकि समिति सदस्यों, उनके संबंधी और रिश्तेदारों के लिए गठित है, सभी प्रकार के भुगतान उन्हीं को किए गए हैं. आगे उन्होंने यह भी बताया कि समिति निरंतर सांविधिक लेखा परीक्षा के अधीन है. आगे और पूछे जाने पर एआर ने बताया कि अस्वीकरण के लिए उसे कोई आपत्ति नहीं है (80पी की परिसीमा से बाहर) और कहा कि वे इस मामले में अपील नहीं करेंगे."

मामला जो भी हो, लाभ एवं हानि खाते के अवलोकन से वस्तु सामग्री के लिए रु.50,72,269 मशीनरी किराये प्रभार हेतु रु.8.8 लाख, माल प्रभार के लिए रु.5.25 लाख, वेट(VAT) के लिए रु.6.14 लाख आदि. लाभ एवं हानि खाते को नामे किए गए. यह निरूपित किया गया है कि संपूर्ण लाभ केवल श्रम आपूर्ति से संबंधित नहीं है. जीएचएमसी के लिए अपीलेंट द्वारा निष्पादित पर्याप्त कार्य ठेके के कार्य से संबंधित है. केवल श्रमिक कार्यों के लिए प्राप्त विशिष्ट लाभ के निर्धारण करने हेतु किसी भी तंत्र की अनुपस्थिति में धारा 80पी के अंतर्गत छूट के प्रयोजन हेतु लाभों के अनुपात (रु.74,38,580 / रु. 1,73,76,419 X रु.12,16,349) पर विचार किया जाना चाहिए, जिसका आकलन रु. 3,55,338 है".

6. विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि निर्धारिती के वाद मेसर्स साई कृष्णा डब्ल्यू एल सी सी एस के मामले में आयकर आयुक्त बनाम मेसर्स उरलुंगल लेबर कांट्रैक्ट के दिनांक 29.10.2009 के 2009 के आईटीए संख्या 1722 के मामले में माननीय केरल उच्च न्यायालय के निर्णय के समर्थन में हैं. अपने इस तर्क के समर्थन में कि समिति के संपूर्ण आय छूट के लिए पात्र है, उसने उक्त आदेश पर निर्भर किया.

7. प्रतिवादी के विद्वान प्रतिनिधि ने प्रस्तुत किया कि निर्धारिती सिविल ठेके करता है इसलिए समिति के लिए छूट अस्वीकार्य है. यह प्रस्तुत किया गया कि विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) ने श्रम ठेके केलिए धारा 80पी के अंतर्गत आनुपातिक छूट मंजूर की. दिनांक 04.01.2016 के शुद्धि पत्र द्वारा रु.5,20,700/- तक छूट दिए जाने के लिए आदेश दी. उत्तर में विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि निर्धारिती छूट के लिए पात्र है और इसके विकल्प में निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित आय पर छूट दिया जाना है न कि निर्धारिती द्वारा बतायी गयी आय पर.

8. मैंने दोनों पक्षकारों के वाद और विवाद पर विचार किया और अभिलेख में उपलब्ध विषय वस्तु का अवलोकन किया. निर्धारिती के जैसे इसी प्रकार के वाद के संदर्भ में मेसर्स उरलुंगल लेबर कांट्रैक्ट के दिनांक 29.10.2009 के 2009 के आईटीए संख्या 1722 (उपर्युक्त) के मामले में माननीय केरल उच्च न्यायालय के निर्णय निम्न प्रकार रहा :

> '' जहाँ तक प्रकरण के तथ्यों का संबंध है, दायर किए गए अपीलों में हालांकि कोई प्रश्न नहीं उठाया गया है, अपीलेंट के वरिष्ठ स्थायी वकील ने प्रस्तुत किया कि यह एक त्रुटि है और विभाग अपील का संशोधन करना चाहता है कि ऐसे प्रश्नों को भी कवर किया जा सके. हम नहीं सोचते हैं कि यदि आयकर अधिनियम की धारा 260ए के अंतर्गत इस न्यायालय के निर्णय के लिए अपेक्षित किसी पर्याप्त विधिक प्रश्न को उठाने के लिए कौसिल को अनुमति देने के लिए किसी प्रकार के लिखित संशोधन की आवश्यकता नहीं है. अत: हमने मौखिक रूप से प्रश्न उठाने और उसकी श्रेष्ठताओं पर वाद करने के लिए कौंसिल को अनुमति दी. तथापि अधिकरण के आदेश के अवलोकन के बाद तथा प्रतिवादी समिति के संगठन और गतिविधियों की प्रकृति पर विचार करने के बाद हम यह महसूस करते हैं कि समिति अधिनियम की धारा 80 पी2(vi) के अधीन संपूर्णराशि पर छूट के लिए पात्र है क्योंकि पहले समिति के सभी श्रमिक समिति के सदस्य हैं. वे अपने द्वारा उठाये गये सभी कार्यों के निष्पादन में स्वयं भाग लेते हैं. विभाग के लिए ऐसा कोई मुद्दा नहीं है समिति में ऐसा कोई सदस्य नहीं है, जो निर्माण श्रमिक नहीं है और ऐसा भी कोई मामला नहीं है, जिसमें समिति किसी भी सिविल निर्माण कार्य में समिति के सभी सदस्य शामिल नहीं हुए हैं. सिविल ठेके के कार्य को स्वयं अपनाने वाली और उसका निष्पादन करने वाली कोई कार्मिक समिति अधिनियम की धारा 80 पी2(vi) में संदर्भित गतिविधि का सही जवाब दे सकती है, यानी समिति के सदस्यों द्वारा श्रम का समेकित वितरण. यदि समिति के सदस्य निर्माण कार्य से जुड़े हुए हैं, तो समूचे समिति को अपने सदस्यों के समेकित श्रम वितरण में जुड़ा हुआ मानना चाहिए. अत: निर्माण कार्य में अर्जित आय धारा 80 पी2(vi) के अंतर्गत छूट के लिए पात्र है. शेष मामला केवल रेती जैसे निर्माण माल के व्यापार से संबंधित है, जिसके बारे में यह बताया गया है कि यह समिति द्वारा खरीदा और बेचा गया है. अत: ये लेनदेन प्रासंगिक हैं और सदस्य खरीदी और बिक्रीके समय स्वयं इस लेनदेन में जुटे हैं. यहाँ बतायी गयी निर्माण माल रेत हैं, इसमें भी श्रमिक शामिल हुए हैं और इसमें प्राप्त आय की परिगणना व्यापारिक लाभ के लिए नहीं लिया जा सकता और श्रमिक निविष्टियों के लिए नहीं लिया जा सकता. अत: हम मानते हैं कि ट्रिबुनल द्वारा अधिनियम की धारा 80 पी2(vi) के अंतर्गत दिया गया छूट सही है. परिणाम स्वरूप अपील खारिज की जाती है.''

8.1. इस मामले में भी चूँकि निर्धारिती व्यापार में शामिल नहीं हुआ परंतु ठेके कार्य में लगा हुआ है, जिसमें सरकार द्वारा माल की आपूर्ति भी शामिल है, मेरा यह अभिमत है कि निर्धारिती अधिनियम की धारा 80 पी2 (ए)(vi) के अंतर्गत छूट के लिए पात्र है. इसके विपरीत और कोई न्याय निर्णय मेरे समक्ष नहीं लाया गया है. उक्त न्याय निर्णय की नीतियों का सादर अनुसरण करते हुए मैं निर्धारण अधिकारी को निदेश देता हूँ, कि पिछले वर्षों में दिये जैसा इस वर्ष भी धारा 80 पी2 (ए)(vi) के अंतर्गत छूट दिया जाए. आधारों को स्वीकार किया गया."

9. चूँकि प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य और परिस्थितियाँ मेसर्स साई कृष्णा डब्ल्यू एल सी सी एस (उपर्युक्त) एक समान हैं, यह सही और उचित मानता हूँ कि उसी निर्णय का अनुसरण करूँ और निर्धारण अधिकारी को निदेश देता हूँ कि वे अधिनियम की धारा 80 पी2 (ए)(vi) के अंतर्गत छूट दें. आगे फार्म 26 एएस में प्रतिबिंबित राशि के अंतर के संदर्भ में आय के आकलन के लिए, मैंने देखा है कि वह भी अधिनियम की धारा 80 पी2 (ए)(vi) के अंतर्गत छूट के लिए पात्र है. अतएव निर्धारिती की अपील को स्वीकार किया जाता है.

10. परिणामस्वरूप निर्धारिती की अपील को अनुमति है।

आदेश की घोषणा खुली अदालत में 12 फरवरी, 2020 को की।

हस्ता/-
(पी.माधवी देवी)
न्यायिक सदस्य

दिनांक: 12 फरवरी, 2020

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. ज्योति वादेरा लेबर कांट्राक्ट को-आपरेटिव सोसायटी लि . सी/ओ कत्रापति एवं एसोसियेट्स , 1-1-298/2/बी/3 , प्रथम माला, अशोक नगर , हैदराबाद , हैदराबाद 500020
2. आईटीओ, वार्ड -15 (3),हैदराबाद
3. जेसीआईटी/एसीआइटी,रेंज 15, हैदराबाद।
4. सीआईटी (ए) -7, हैदराबाद।
5. पीआर .सीआइटी-7,हैदराबाद।
6. डीआर .आइटीएटी , हैदराबाद
7. गाड फ़ाइल।

<u>आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर</u>

श्री कुल भारत,न्यायिक सदस्य तथा
श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य के समक्ष

आ (एसएस) अ.सं. 104/ इंदौर/ 2018 (निर्धारण वर्ष : 2009-10)

श्री दीपक चौरसिया प्रो. मे. चौरसिया ट्रेडिंग कं. स्टेशन रोड़, गंजबासौदा, जिला विदिशा, म.प्र.	बनाम	सहायक आयकर आयुक्त 2 (1), भोपाल
अपीलार्थी		राजस्व
स्था.ले.सं. एईएसपीसी 5107 क्यू		

अपीलार्थी की ओर से	श्री एस.एस.देशपांडे, प्राधिकृत प्रतिनिधि
प्रत्यर्थी की ओर से	श्री लाल चंद, विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई की तारीख	05.02.2020
उद्घोषणा की तारीख	07.02.2020

<u>आदेश</u>

<u>श्री कुल भारत, न्यायिक सदस्य द्वारा</u>

निर्धारिती द्वारा यह अपील निर्धारण वर्ष 2009-10 से संबंधित आयकर आयुक्त (अपील)-1, भोपाल के आदेश दिनांक 17.05.2018 के विरूद्ध निदेशित है। निर्धारिती ने अपील के निम्नलिखित आधार लिए है :

1. कि प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) रु. 10,87,979/- के बेहिसाबी स्टॉक लेखे किए गए परिवर्धनों की पुष्टि करने में न्यायसंगत नहीं थे।
2. अपीलार्थी सुनवाई के समय या उससे पूर्व अपील के किसी भी आधार में जोड़ने, बदलने, संशोधन करने या हटाने की छूट हेतु अनुरोध करता है।

2. एकमात्र प्रभावी आधार रु. 10,87,979/- के बेहिसाबी स्टॉक लेखे किए गए परिवर्धनों की पुष्टि करने के विरूद्ध है। वर्तमान अपील को उद्भूत करने वाले तथ्य ये हैं कि निर्धारिती के परिवार पर 22.01.2009 को तलाशी कार्रवाई की गई थी, जिसके दौरान लेखाबहियां तथा अन्य दस्तावेज अभिग्रहित किए गए थे। निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961(इसके पश्चात 'अधिनियम' के रूप में संबोधित) की धारा 153 ए के अधीन पूर्ण किया गया था, जिसके द्वारा विभिन्न परिवर्धन किए गए थे। निर्धारिती ने विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) (संक्षिप्त में 'आ.आ.(अ).') के समक्ष अपील की, जिन्होंने परिवर्धन हटा दिए। विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) के आदेश पर राजस्व द्वारा इस अधिकरण के समक्ष आपत्ति की गई थी और इस अधिकरण ने ने आ(एसएस) अ.सं. 394

तथा 395/इंदौर/2012 में उसके आदेश दिनांक 16.7.2013 के द्वारा विभिन्न हटाए गए परिवर्धनों पर विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) के आदेश की पुष्टि की हालांकि, समाप्ति स्टॉक के संबंध में परिवर्धन के मुद्दे को पुनर्विचार हेतु अपास्त किया। यह भी निदेश दिया गया कि आरंभिक स्टॉक के आंकडों पर विचार करके तलाशी की तारीख तक किए गए क्रय एवं विक्रय को समाहित करने पर समाप्ति स्टॉक लिया जाना चाहिए। उसके अनुपालन में, निर्धारण अधिकारी (संक्षिप्त में 'नि.अ.') अपास्त कार्यवाही में आदेश दिनांक 31.3.2015 के द्वारा निर्धारण पूर्ण किया। तद्नुसार, निर्धारण अधिकारी ने व्यापारी लेखा तैयार किया। अधिकरण द्वारा दिए गए निदेशानुसार आरंभिक स्टॉक का आंकडा लिया गया, क्रय एवं विक्रय समाहित किए गए तथा सकल लाभ (रु. 2,47,072/- की सकल हानि) लिया गया और तद्नुसार रु. 65,49,852/- का समाप्ति स्टॉक का आंकडा आया। चूंकि तलाशी के समय पाया गया समाप्ति स्टॉक रु. 85,80,563/- था, रु. 20,30,711/- के इस अंतर को स्टॉक का दमन माना गया और विवरणी में दी गई आय में परिवर्धन किया गया। इससे असंतुष्ट होकर, निर्धारिती ने विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील की, जिन्होंने निवेदनों पर विचार करने के पश्चात, अपील आंशिक रूप से स्वीकृत की। तद्द्वारा विद्वान आयकर आयुक्त ने व्यापारी लेखा को बदला तथा रु. 10,87,979/- के अंतर को अस्पष्टीकृत निवेश के रूप में माना। इसके विरूद्ध, निर्धारिती वर्तमान अपील में है।

3. निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने प्रबल रूप से तर्क किया कि विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) आंशिक परिवर्धन की पुष्टि करने में तर्कसंगत नहीं थे। उसने विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष किए हुए निवेदनों को दोहराया। उसने दावा किया कि विचाराधीन वर्ष का सकल लाभ पूर्ववर्ती वर्ष से अधिक है। उसने इसके अतिरिक्त निवेदन किया कि यदि विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) ने वर्तमान वर्ष का सकल लाभ शामिल किया होता, तो वहाँ स्टॉक में कोई अंतर नहीं होता।

4. विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने इन निवेदनों का विरोध किया तथा निवेदन किया कि विचाराधीन वर्ष के दौरान, वहाँ कुछ विसंगतियां थी। अतः विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) ने उचित रूप से अपीलाधीन वर्ष का सकल लाभ दर शामिल नहीं किया था।

5. हमने परस्पर विरोधी निवेदनों को सुना है, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है तथा निम्न प्राधिकारियों के आदेशों का अध्ययन किया है। हमने पाया कि विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) ने आदेश के परिच्छेद 11 एवं 12 में इस मुद्दे को निम्न रूप से निर्णयित किया है :

> 11. सामान्य परिस्थितियों में, व्यापारी लेखा तैयार करते समय आरंभिक स्टॉक के वास्तविक आंकड़े, क्रय, विक्रय और समाप्ति स्टॉक लागत या बाजार मूल्य, जो भी कम हो, के आधार पर समाहित किए जाते और शेष आंकड़ा सकल लाभ या हानि होता। इस प्रकरण में, हमारे पास समाप्ति स्टॉक का आंकड़ा है, इस स्टॉक का लेखाबही मूल्य प्राप्त करने के उद्देश्य से सकल लाभ/सकल हानि का आंकड़ा समाहित किया जाना है। ऐसा करने के लिए, अपीलार्थी ने वित्त वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 के सकल लाभ दरों का औसत (5.36+12.78/2) के रूप में 9% की दर से लागू सकल लाभ दर लिया है। मेरे विचार से केवल दो वर्षों का औसत लेना जिसमें वर्तमान वर्ष भी शामिल है, निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत नहीं करेगा। तलाशी की तारीख तक सकल लाभ का आंकड़ा प्राप्त करने हेतु वर्तमान वर्ष का सकल लाभ विचार में लेना उचित नहीं होगा क्योंकि ये आंकड़ें पूर्णतः सही या प्रामाणिक नहीं हैं तथा व्यापारी लेखा को पुनः तैयार करके प्राप्त किए गए हैं। वित्त वर्ष 2008-09 से तलाशी की तारीख तक लागू करने हेतु सकल लाभ दर का तर्कसंगत आंकड़ा प्राप्त करने हेतु पिछले तीन वर्षों का सकल लाभ प्रतिशत लेना अधिक उपयुक्त पाया गया है। अपीलार्थी द्वारा अपीलीय कार्यवाही के दौरान दिए गए ब्यौरों के अनुसार, वित्त वर्ष 2005-06 में सकल लाभ दर

4.21% था, वित्त वर्ष 2006-07 में 2.90% था तथा वित्त वर्ष 2007-08 में 5.37% था। पूर्ववर्ती 3 वर्षों का औसत 4.16% आता है। इसको ध्यान में रखते हुए, 01.04.2008 से 22.01.2009 तक की अवधि के लिए विक्रय पर सकल लाभ 6,95,660/- (रु. 1,67,22,603/- का 4.16%) आता है। तद्नुसार, व्यापारी लेखा निम्न रूप से बदला गया है :

बदला गया (रिकास्टेड) व्यापारी लेखा

आरंभिक स्टॉक	5574475/-	विक्रय	16722603/-
क्रय	17945052/-	समाप्ति स्टॉक	7492584/-
सकल लाभ	695660/-		
	24215187/-		24215187/-

12. चूंकि तलाशी की तारीख को रु 85,80,563/- का समाप्ति स्टॉक पाया गया था और इसका लेखाबही मूल्य रु. 74,92,584/- था, जैसे ऊपर संगणित किया गया है, अतः रु. 10,87,979/- के अंतर को बेहिसाबी स्टॉक के रूप में माना जाना है और स्टॉक में अस्पष्टीकृत निवेश के रूप में कुल आय में जोड़ा जाना है। रु. 10,87,979/- के परिवर्धन की पुष्टि की जाती है। तद्नुसार, निर्धारण अधिकारी को इस लेखे परिवर्धन को रु. 20,30,711/- से रु. 10,87,979/- तक घटाने का निदेश दिया जाता है। अपीलार्थी को पारिणामिक राहत प्राप्त होगी।

6. निर्धारिती की शिकायत यह है कि विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) को औसत निकालने के लिए अपीलाधीन वर्ष का सकल लाभ शामिल करना चाहिए। हमने पाया कि विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) दो वर्षों अर्थात वित्त वर्षों 2005-06 तथा 2006-07 का औसत लिया है। इस तथ्य के संदर्भ में कोई वाद नहीं है कि विचाराधीन वर्ष वर्ष में उच्चतर लाभ दर घोषित किया गया है। अपीलाधीन वर्ष को छोड़ने का परिणाम कम सकल लाभ में हुआ है। विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) को औसत का आंकलन करते समय विचाराधीन वर्ष को शामिल करना चाहिए था। अतः, हम विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) के निष्कर्ष को अपास्त करते हैं तथा निर्धारण अधिकारी को औसत सकल लाभ निकालने के लिए वित्त वर्षों 2008-09, 2007-08, 2006-07 तथा 2005-06 के सकल लाभ को शामिल करने तथा तद्नुसार अस्वीकृति की पुनर्गणना करने का निदेश देते है। निर्धारिती की अपील का यह आधार यहाँ ऊपर उल्लिखित निबंधनों में स्वीकृत किया जाता है।

7. परिणामतः, निर्धारिती द्वारा निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिए दाखिल अपील स्वीकृत की जाती है।

आदेश खुले न्यायालय में 07.02.2020 को उद्घोषित किया गया।

हस्ता/-
(मनीष बोरड)
लेखा सदस्य

हस्ता/-
(कुल भारत)
न्यायिक सदस्य

दिनांक : 07.02.2020

आयकर अपीलीय अधिकरण में जनवरी-दिसंबर, 2019 की अवधि में हुई नियुक्तियां

क्र.सं.	नाम(श्री/सुश्री/श्रीमती)	पदनाम	सेवानिवृत्ति क तिथि	पीठ
1	श्री राजेश कुमार	एमटीएस	01.02.2019	चंडीगढ़

आयकर अपीलीय अधिकरण में जनवरी-दिसंबर, 2019 की अवधि में हुई सेवानिवृत्तियां

क्र.सं.	नाम(श्री/सुश्री/श्रीमती)	पदनाम	सेवानिवृत्ति क तिथि	पीठ
1.	श्री जी.डी. अग्रवाल	उपाध्यक्ष	06.07.2019	दिल्ली
2.	श्री जोगिन्दर सिंह	उपाध्यक्ष	31.01.2019	मुंबई
3.	श्री अब्राहम पी. जार्ज	लेखा सदस्य	02.05.2019	चेन्नै
4.	श्री एन.एस. सैनी	लेखा सदस्य	21.06.2019	दिल्ली
5.	श्री जॉसन बी बोज	लेखा सदस्य	09.09.2019	बेगलूरू
6.	श्री के. शन्मुगासुंदरम	वरिष्ठ निजी सचिव	31.01.2019	चेन्नै
7.	श्री वर्घीस मैथ्यू	वरिष्ठ निजी सचिव	30.04.2019	मुंबई
8.	श्रीमती एम.सी. नंदा	वरिष्ठ निजी सचिव	31.05.2019	बेंगलूरू
9.	श्री विजय शर्मा	वरिष्ठ निजी सचिव	30.11.2019	दिल्ली
10.	श्री ई.के. निवासुलू	वरिष्ठ निजी सचिव	31.12.2019	बेंगलूरू
11.	श्रीमती रजनी हलदनकर (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति)	अधीक्षक	30.06.2019	मुंबई
12.	सुश्री शशि बाला	कार्यालय अधीक्षक	30.11.2019	चंडीगढ़ (मुख्यालय अमृतसर)
13.	श्री अतार सिंह	स्टाफ कार चालक	31.12.2019	आगरा
14.	श्री आर. लक्ष्मण	एमटीएस	30.04.2019	चेन्नै
15.	श्री आनंद भारती	एमटीएस	31.05.2019	जोधपुर
16.	श्री सुब्रमण्यम	एमटीएस	31.05.2019	बेंगलूरू
17.	श्री बी.डी. कलोतरा	एमटीएस	31.05.2019	राजकोट
18.	श्री रतन लाल (निधन)	एमटीएस	29.09.2019	दिल्ली
19.	श्री के. सुधाकरन	एमटीएस	30.09.2019	कोचीन
20.	श्री रतन गुचैत	एमटीएस	30.11.2019	कोलकाता
21.	श्री मल्खान सिंह (निधन)	एमटीएस	22.12.2019	चंडीगढ़

सृजन, सितंबर 2019 संस्करण के पुरस्कृत विजेताओं की सूची

क्र.सं.	नाम एवं पदनाम	पुरस्कार
1.	श्रीमती आशा पाल, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक, मुंबई	प्रथम
2.	सुश्री रेणुबाला, कार्यालय अधीक्षक, नई दिल्ली	द्वितीय पुरस्कार
3.	श्री अशोक सिंह, उच्च श्रेणी लिपिक, जबलपुर	तृतीय पुरस्कार
4.	श्रीमती शीतल कपूर, अवर श्रेणी लिपिक, मुंबई	तृतीय पुरस्कार
5.	श्री जयशंकर कुमार, अवर श्रेणी लिपिक, कोलकाता	प्रोत्साहन पुरस्कार
6.	श्री राजगोपाल अयंगार, कार्यालय अधीक्षक, मुंबई	प्रोत्साहन पुरस्कार

सृजन

छायाचित्र अनुभाग

वर्ष 2019 एवं 2020 से कुछ झलकियाँ

आयकर अपीलीय अधिकरण, कटक पीठ का उद्घाटन समारोह

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आयकर अपीलीय अधिकरण, कटक पीठ के कार्यालय-सह-आवासीय भवन परिसर के उद्घाटन समारोह में संबोधित करते हुए।

आयकर अपीलीय अधिकरण, कटक पीठ का नवनिर्मित कार्यालय-सह-आवासीय भवन परिसर ।

24-25 जनवरी, 2020 को अशोक होटल, नई दिल्ली में आयकर अपीलीय अधिकरण का 79वां स्थापना दिवस समारोह

आयकर अपीलीय अधिकरण के 79वां स्थापना दिवस समारोह दिनांक 24/01/2020 को अशोक होटल, नई दिल्ली में माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. ए. बोबडे, मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का पौधा देकर स्वागत करते हुए माननीय न्यायमूर्ति श्री पी.पी. भट्ट, अध्यक्ष, आय.अपी.अधि.

आयकर अपीलीय अधिकरण के 79वां स्थापना दिवस समारोह दिनांक 24/01/2020 को अशोक होटल, नई दिल्ली में दीप प्रज्वलित करते हुए माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.ए. बोबडे, मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय एवं गणमान्य अतिथिगण।

माननीय न्यायमूर्ति श्री एम आर. शाह, न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय, आय.अपी.अधि. के 79वां स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर दीप प्रज्वलित करते हुए, साथ में माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री एस.ए. बोबडे, न्यायमूर्ति श्री पी.पी. भट्ट, अध्यक्ष, आय.अपी.अधि., श्री तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल एवं श्री ए.के. मेंदीरत्ता।

माननीय न्यायमूर्ति श्री ए.के. सिकरी, न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री पी.पी. भट्ट, अध्यक्ष, आय.अपी.अधि., एवं मंचासीन अन्य गणमान्य अतिथि ।

माननीय न्यायमूर्ति श्री डी.एन. पटेल, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री पी.पी. भट्ट, अध्यक्ष, आय.अपी.अधि., साथ में उपाध्यक्षगण, आय.अपी.अधि. (बाएं से दाएं) श्री महावीर सिंह उपाध्यक्ष, चेन्नै क्षेत्र, श्री राजपाल यादव, उपाध्यक्ष, अहमदाबाद क्षेत्र, श्री जी.एस. पन्नू, उपाध्यक्ष, दिल्ली क्षेत्र, श्री आर.एस. स्याल, उपाध्यक्ष, पुणे क्षेत्र, श्री प्रमोद कुमार, उपाध्यक्ष, मुंबई, सुश्री सुषमा चावला, उपाध्यक्ष, हैदराबाद क्षेत्र, श्री पी.एम. जगताप उपाध्यक्ष, कोलकाता क्षेत्र, श्री एन.के. सैनी उपाध्यक्ष, चंडीगढ़ क्षेत्र।

अशोक होटल, नई दिल्ली में आयोजित आय.अपी.अधि. के 79वां स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर उपस्थित विभिन्न दर्शकगण।

देहरादून सर्किट पीठ का फरवरी, 2020 में उद्घाटन समारोह

आयकर अपीलीय अधिकरण, देहरादून सर्किट पीठ के उद्घाटन के अवसर पर माननीय केंद्रीय कानून मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद का स्वागत करते हुए न्यायमूर्ति श्री पी.पी. भट्ट, माननीय अध्यक्ष आय.अपी.अधि.।

माननीय केंद्रीय कानून मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद आयकर अपीलीय अधिकरण, देहरादून सर्किट पीठ के उद्घाटन के अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए ।

कैपिटल फाउंडेशन नेशनल अवार्ड समारोह

आंध्र प्रदेश के राज्यपाल महामहिम श्री बिश्वभूषण हरिचंद, माननीय न्यायमूर्ति श्री पीपी भट्ट, अध्यक्ष , आय.अपी.अधि., को न्यायिक सुधारों एवं मामलों के शीघ्र निपटान में विशिष्ट योगदान के लिए कैपिटल फाउंडेशन नेशनल अवार्ड से सम्मानित करते हुए।

माननीय न्यायमूर्ति श्री पी.पी. भट्ट, अध्यक्ष, आय.अपी.अधि., साथ में माननीय मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल, जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय, महामहिम श्री बिश्वभूषण हरिचंद, गर्वनर आंध्र प्रदेश तथा अन्य विशिष्ट गणमान्य व्यक्ति अवार्ड समारोह में।

माननीय न्यायमूर्ति श्री पी.पी. भट्ट, अध्यक्ष, आय.अपी.अधि., श्री जी.एस. पन्नु, उपाध्यक्ष दिल्ली क्षेत्र एवं श्री महावीर सिंह, न्यायिक सदस्य की उपस्थिति में दिनांक 06/09/2019 को मुंबई के उपाध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण करते हुए श्री प्रमोद कुमार।

श्री प्रमोद कुमार द्वारा मुंबई के उपाध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण करने पर उनका स्वागत करते हुए माननीय न्यायमूर्ति श्री पी.पी. भट्ट, अध्यक्ष, आयकर अपीलीय अधिकरण।

मुंबई पीठ, हिंदी पखवाड़ा समारोह

माननीय न्यायमूर्ति श्री पी.पी. भट्ट, अध्यक्ष, आयकर अपीलीय अधिकरण, सितंबर माह में, मुंबई पीठ के हिंदी पखवाड़ा कार्यक्रम में सदस्यों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए ।

हिंदी पखवाड़ा कार्यक्रम के दौरान विभागीय राजभाषा पत्रिका "सृजन-2019" का विमोचन करते हुए माननीय न्यायमूर्ति श्री पी.पी. भट्ट, अध्यक्ष, आयकर अपीलीय अधिकरण, श्री प्रमोद कुमार, उपाध्यक्ष, मुंबई एवं श्री महावीर सिंह।

आयकर अपीलीय अधिकरण, मुंबई पीठ के हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह के दौरान समूह गीत गाते हुए कर्मचारीगण।

आयकर अपीलीय अधिकरण, मुंबई पीठ के हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह के दौरान संगीत का आनंद लेते हुए कर्मचारीगण

आयकर अपीलीय अधिकरण, चेन्नई पीठ में ई- कोर्ट का उद्घाटन समारोह

दिनांक 15/11/2019 को आयकर अपीलीय अधिकरण, चेन्नै पीठ में ई-कोर्ट का उद्घाटन करते हुए माननीय न्यायमूर्ति श्री पी.पी. भट्ट, अध्यक्ष, आयकर अपीलीय अधिकरण एवं श्री जी.एस. पन्नु, उपाध्यक्ष दिल्ली एवं चेन्नै क्षेत्र, श्री एन. वी. वासुदेवन उपाध्यक्ष, बेंगलूर क्षेत्र एवं चेन्नै पीठ के सदस्यगण।

मुंबई पीठ में संविधान दिवस समारोह

26/11/2019 को मुंबई पीठ में संविधान दिवस समारोह मनाते हुए श्री प्रमोद कुमार, उपाध्यक्ष, मुंबई एवं सदस्यगण।

पुणे एवं कोलकाता पीठ में संविधान दिवस समारोह

वर्ष 2019 में आयकर अपीलीय अधिकरण, पुणे पीठ में संविधान दिवस मनाते हुए श्री आर. एस. स्याल, माननीय उपाध्यक्ष पुणे क्षेत्र एवं अन्य सदस्यगण (बाएं से दाएं) श्री एस.एस. वी. रवि. न्यायिक सदस्य, श्री अनिल चतुर्वेदी, लेखा सदस्य एवं श्री पार्थ सारथी चौधरी, न्यायिक सदस्य।

वर्ष 2019 में आयकर अपीलीय अधिकरण, कोलकाता पीठ में संविधान दिवस मनाते हुए श्री पी.एम. जगताप, माननीय उपाध्यक्ष कोलकाता क्षेत्र (बाएं से दाएं) श्री एस.एस. गोदारा, न्यायिक सदस्य, श्री सुधाकर रेड्डी, लेखा सदस्य एवं श्री ए.टी. वर्की, न्यायिक सदस्य।

आयकर अपीलीय अधिकरण, मुंबई पीठ में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर शपथ लेते हुए सदस्य, अधिकारी एवं कर्मचारी गण।

स्वच्छता दिवस के अवसर पर माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश सुनते हुए सदस्य, अधिकारी एवं कर्मचारी गण।

चेन्नै पीठ में हिंदी पखवाड़ा कार्यक्रम-2020

आयकर अपीलीय अधिकरण, चेन्नै पीठ में हिंदी पखवाड़ा मनाते हुए सदस्य, अधिकारी एवं कर्मचारीगण।

आयकर अपीलीय अधिकरण, चेन्नै पीठ में हिंदी पखवाड़ा के दौरान प्रतियोगिता में भाग लेते कर्मचारीगण।

आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर पीठ में हिंदी पखवाड़ा समारोह

आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर पीठ में हिंदी पखवाड़ा कार्यक्रम, 2020 का उद्घाटन करते हुए सदस्यगण।

हैदराबाद पीठ में स्वच्छता दिवस

हैदराबाद पीठ में स्वच्छता दिवस के अवसर पर उपाध्यक्ष का संदेश सुनते हुए सदस्य, अधिकारी एवं कर्मचारीगण।

अहमदाबाद पीठ में हिंदी पखवाड़ा समारोह 2019

आयकर अपीलीय अधिकरण, अहमदाबाद पीठ में हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह के अवसर पर प्रमाणपत्र देते हुए श्री राजपाल यादव, न्यायिक सदस्य।

आयकर अपीलीय अधिकरण, अहमदाबाद पीठ में हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह मनाते हुए श्री प्रमोद कुमार, उपाध्यक्ष एवं अहमदाबाद पीठ के सदस्यगण।

आयकर अपीलीय अधिकरण, दिल्ली पीठ में स्वच्छता पखवाड़ा समारोह 2019

दिल्ली पीठ में स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान कार्यालय का निरीक्षण करते हुए माननीय उपाध्यक्ष, श्री जी.एस. पन्नु एवं अन्य अधिकारीगण।

स्वच्छता जागरुकता रैली का आयोजन करते हुए आयकर अपीलीय अधिकरण, दिल्ली पीठ के अधिकारी एवं कर्मचारीगण।

वर्ष 2019 के स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान कार्यालय की सफाई करते हुए आयकर अपीलीय अधिकरण, दिल्ली पीठ के कर्मचारी।

लखनऊ पीठ

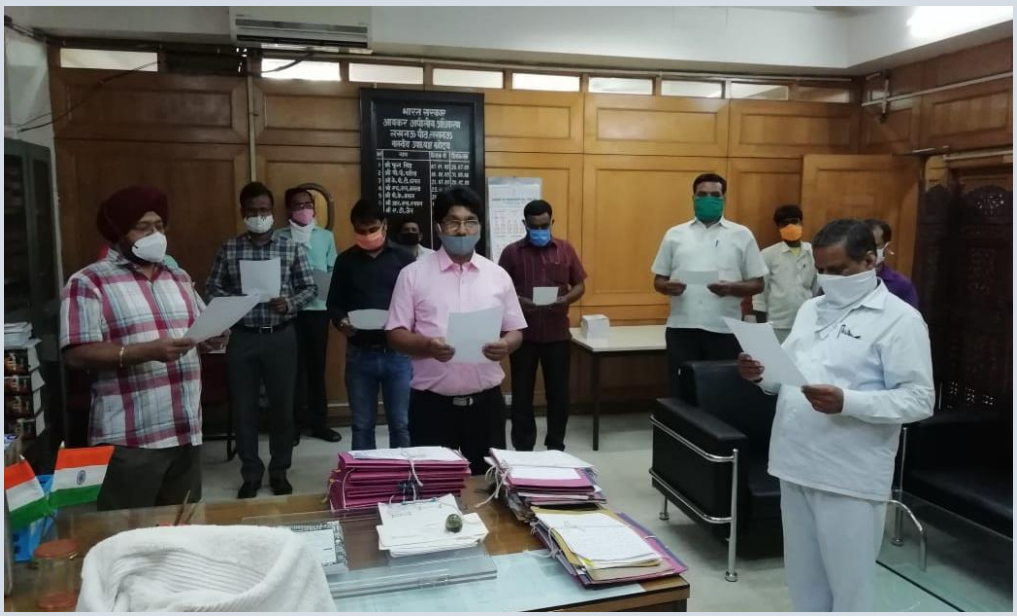

कोविड-19 के खिलाफ लड़ने का संकल्प लेते हुए आयकर अपीलीय अधिकरण, लखनऊ पीठ के सदस्य एवं कर्मचारी।

राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय एकता की प्रतिज्ञा लेते हुए अधिकारी एवं कर्मचारीगण।

माननीय न्यायमूर्ति उज्जल भुय्यां, न्यायाधीश बॉम्बे उच्च न्यायालय, माननीय न्यायमूर्ति श्री पी.पी. भट्ट, अध्यक्ष, आयकर अपीलीय अधिकरण तथा मंचासीन गणमान्य अतिथिगण, दिसंबर, 2019 के ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिसनर्स के 22 वें राष्ट्रीय अधिवेशन मुंबई में ।

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल में माननीय न्यायमूर्ति श्री पी.पी. भट्ट, अध्यक्ष, आयकर अपीलीय अधिकरण एवं अन्य गणमान्य अतिथि।

कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के बाद सितंबर, 2020 में अपीलों की प्रत्यक्ष सुनवाई के लिए पहले कोर्ट की कार्यवाही में माननीय न्यायमूर्ति श्री पी.पी. भट्ट, अध्यक्ष एवं श्री शमीम याह्या, लेखा सदस्य।

सुश्री सुषमा चावला, उपाध्यक्ष, हैदराबाद के सेवानिवृत्ति के अवसर पर वर्चुअल रुप में फुल कोर्ट रेफरेंस के अवसर पर माननीय न्यायमूर्ति श्री पी.पी. भट्ट, अध्यक्ष, आय.अपी.अधि., उपाध्यक्ष श्री जी.एस. पन्नु तथा सुश्री सुषमा चावला, उपाध्यक्ष।

माननीय न्यायमूर्ति श्री पी.पी. भट्ट, अध्यक्ष, आय.अपी.अधि., उपाध्यक्षगण एवं सदस्यगण, आयकर अपीलीय अधिकरण के 79वां स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर दिनांक 25.01.2020 को अशोक होटल, नई दिल्ली में।